लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है / Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. in English/Hindi].

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २९—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ४६—गुरुवार, ९ अप्रैल, १९६४/२० चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उतर		
*तारांकित प्रश्न संख्या		
९६८	एशियाई जनसंख्या सम्मेलन	३५२१—२३
९६९	विद्युत पारेषण तथा वितरण	३५२४–२५
९७०	रावी बहुप्रयोजनीय परियोजना	३५२५—२७
९७१	कोयला उद्योग	३५२७–२८
९७२	ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाना	३५२९–३०
९७३	नेवेली तापीय संयंत्र	३५३१–३२
९७४	खाद्य उत्पादन के लिये बिजली	३५३२—३४
९७६	तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	३५३५—३७
९७७	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए समिति	३५३७—४१
९८०	सिन्धु आयोग	३५४१–४२
९८१	चिट फंड	३५४२—४४
प्रश्नों के लिखित उतर		३५४४—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
९७५	पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय	३५४४
९७८	दिल्ली में जल संभरण	३५४४–४५
९७९	बच्चों का रोग	३५४५
९८२	धान पर पेशगी देने की अधिकतम सीमा	३५४६
९८३	कांग्रेस का भवनेश्वर अधिवेशन	३५४६
९८४	निर्यात के कम मूल्य के तथा आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाना	३५४६–४७
९८५	सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मूल्य पर अनाज दिया जाना	३५४७
९८६	मद्य निषेध	३५४७–४८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXIX—Seventh Session, 1964]

No. 46—*Thursday*, *April* 9, 1964/*Chaitra* 20, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	SUBJECT	PAGE
968.	Asian Population Conference	3521—23
969.	Transmission and Distribution of Power	3524-25
970.	Ravi Multi-purpose Project	3525—27
971.	Coal Industry	3527-28
972.	Linking of Brahmaputra with Ganga	3525—30
973.	Neyveli Thermal Plant	3531-32
974.	Electricity for Food Production	3532—34
976.	Public Sector Projects in Third Plan	3535—37
977.	Committee for D.P.s. from East Pakistan	3537—41
980.	Indus Commission	3541-42
981.	Chit Funds	3542—44

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 3544—66

Starred Questions Nos.		
975.	Minority Community in East Pakistan	3544
978.	Water Supply in Delhi	3544-45
979.	Children's Diseases	3545
982.	Ceiling on Advances against Paddy	3546
983.	Bhubaneswar Session of Congress Party	3546
984.	Under-invoicing and Over-invoicing in Export-Import Trade	3546-47
985.	Supply of Subsidised Foodgrains to Govt. Employees	3547
986.	Prohibition.	3547-48

* The sign + marked above the name of Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८७	नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कृत्य तथा शक्तियां .	३५४८
९८८	राजस्थान नहर . . .	३५४८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९९३	भुवनेश्वर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . .	३५४८–४९
१९९४	संजीवनी बूटी	३५४९
१९९५	आस्ट्रिया के साथ व्यापार करार . .	३५४९–५०
१९९६	बिजली का घरेलू सामान	३५५०
१९९७	चीनी से प्राप्त उत्पादन राजस्व . . .	३५५०
१९९८	उत्तर प्रदेश मे सुनारों को पुनः रोजगार दिलाना .	३५५०–५१
१९९९	"सेवा गृह" . . .	३५५१
२०००	बंगाल और बिहार मे विद्युत उत्पादन . .	३५५१–५२
२००१	कंजिरापुरा सिंचाई योजना .	३५५२
२००२	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें . . .	३५५२–५३
२००३	विदेशी साथों को दी गयी रायल्टी .	३५५३
२००४	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . .	३५५३
२००५	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी . . .	३५५३
२००६	प्रबन्ध अभिकरण .	३५५४
२००७	बिहार में चेचक के टीके .	३५५४
२००८	अनुवादकों का वेतन-क्रम .	३५५४–५५
२००९	पंजाब में लोहे के चादरों की कमी . .	३५५५
२०१०	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . .	३५५५
२०११	आर्थिक सर्वेक्षण .	३५५६
२०१२	दिल्ली में अवैध शराब बनाना . .	३५५६
२०१३	कोयला परिवहन समस्या . . .	३५५६–५७
२०१४	धोखा-निरोध दस्ता . .	३५५७
२०१५	राजस्थान के सीकर जिले मे क्षय रोग अस्पताल . .	३५५७
२०१६	सूती कपड़े का जब्त किया जाना . .	३५५८
२०१७	सूत के स्टाक पर उत्पादन-शुल्क . .	३५५८–५९
२०१८	महंगाई भत्ता .	३५५९

	SUBJECT	PAGE
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*		
987.	Functions and Powers of C. &. A. G.	3548
988.	Rajasthan Canal	3548
Unstarred Questions Nos.		
1993.	Staff Quarters at Bhubaneswar.	3548–49
1994.	Medicinal Plant "Sanjeevani'	3549
1995.	Trade Agreement with Austria	3549–50
1996.	Domestic Electrical Appliances	3550
1997.	Excise Revenue From Sugar.	3550
1998.	Rehabilitation of Goldsmiths in U.P.	3550–51
1999.	"Service Home"	3551
2000.	Power Production in Bengal and Bihar.	3551–52
2001	Kanjirapuza Irrigation Scheme	3552
2002.	Rural Industrial Pojects	3552–53
2003.	Royalty Paid to Foreign Concerns	3553
2004.	Primary Health Centres	3553
2005.	Hindustan Housing Factory.	3553
2006.	Managing Agencies	3554
2007.	Small Pox Vaccination in Bihar	3554
2008.	Pay Scale of Translators	3554–55
2009.	Shortage of Iron Sheets in Punjab.	3555
2010.	Slum Clearance in Delhi.	3555
2011.	Economic Survey	3556
2012.	Illicit Distillation in Delhi.	3556
2013.	Coal Transport Problem.	3556–57
2014.	Anti-Fraud Squad.	3557
2015.	T. B. Sanatorium in Distt. Sikar, Rajasthan	3557
2016.	Seizure of Cotton Cloth	3558
2017.	Excise Duty on Sotck of Yarn	3558–59
2018.	Dearness Allowance	3559

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
२०१९	आयुर्वेदिक औषधियां	३५५९
२०२०	अध्ययन पर्यटन	३५५९—६०
२०२१	सिंचाई सुविधायें	३५६०
२०२२	दिल्ली वृहद योजना . .	३५६०
२०२३	नगर-ग्राम सम्बन्ध समिति	३५६१
२०२४	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	३५६१
२०२५	उत्तर प्रदेश का विकास	३५६१—६२
२०२६	पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति . . .	३५६२
२०२७	दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासी . . .	३५६२
२०२८	स्वास्थ्य मंत्री की रूस यात्रा . . .	३५६३
२०२९	आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड चिकित्सक . .	३५६३—६४
२०३०	आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालिज . . .	३५६४
२०३१	लक्ष्मी बैंक . . .	३५६४
२०३२	उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य . .	३५६५
२०३३	शरवती जल-विद्युत परियोजना . .	३५६५
२०३४	भाखड़ा जलाशय . . .	३५६५—६६
२०३५	मिन्टो रोड नई दिल्ली के क्वार्टर .	३५६६
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३५६६—६८
	बम्बई बन्दरगाह के टग के मल्लाहों की कथित हड़ताल	
	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती . .	३५६६
	श्री राज बहादुर . .	३५६७—६८
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६८
	प्राक्कलन समिति	३५६९
	बावनवां प्रतिवेदन	
	अनुदानों की मांगें	३५६९—३६०३
	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय . .	३५६९—९०
	श्री प्र० चं० सेठी . .	३५६९—७१
	श्री रंगा . .	३५७१—७४

	SUBJECT	PAGE
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*		
2019.	Ayurvedic Medicines. .	3559
2020.	Study Tours .	3559-60
2021.	Irrigation Facilities	3560
2022.	Delhi Master Plan	3560
2023.	Committee on Relationship between Cities and Villages .	3561
2024.	Foreign Exchange for Students. . . .	3561
2025.	Development of U.P. . .	3561-62
2026.	Economic Conditions in Eastern U.P. . .	3562
2027.	Slum-dwellers in Delhi. . .	3562
2028.	Health Minister's visit to Soviet Union . .	3563
2029.	Ayurvedic Registered Physicians . .	3563-64
2030.	Medical Colleges in Andhra Pradesh . .	3564
2031.	Laxmi Bank	3564
2032.	Local Development Works in U. P. .	3465
2033.	Sharavarthy Hydro-electric Project	3565
2034.	Bhakra Reservoir	3565-66
2035.	Quarters at Minto Road, New Delhi.	3566
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .		3566—68
Reported strike by Bombay harbour tug crew		
Papers laid on the Table .		3568
Estimates Committee .		3569
Fifty-second Report		
Demands for Grants .		3569—3603
Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering		3569—90
Shri P. C. Sethi .		3569—71
Shri Ranga . .		3571—74

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की मांगें--जारी		
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	. .	३५७४–७५
श्री रा० गि० दुबे	. .	३५७५–७६
श्री ल० ना० भंजदेव	.	३५७६–७७
श्री शिकरे	. .	३५७७–७८
श्री ब० कु० दास	. .	३५७८–७९
श्री रामेश्वर टांटिया	. .	३५७९–८०
श्री स० मो० बनर्जी		३५८०–८१
श्री मुथिया		३५८१--८९
श्री चि० सुब्रह्मण्यम		३५८९–९०
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	. . .	३५९१—३६०३
श्री प्र० के० देव	. . .	३५९१--९३
डा० सुन्द गोविदास		३५९३–९४
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	. .	३५९४—३६०१
श्री स्वैल .		३६०१–०२
श्री दी० चं० शर्मा		३६०२–०३

SUBJECT	PAGE
DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*	
Shri Harish Chandra Mathur	3574-75
Shri R. G. Dubey	3575-76
Shri L. N. Bhanja Deo	3576-77
Shri Shinkre	3577-78
Shri B. K. Das	3578-79
Shri Rameshwar Tantia	3579-80
Shri S. M. Banerjee	3580-81
Shri Muthiah	3581—89
Shri C. Subramaniam	3589-90
Ministry of External Affairs	3591—3603
Shri P. K. Deo	3591—93
Dr. Govind Das	3593-94
Shri Brajeshwar Prasad	3594—3601
Dr. Swell	3601-02
Shri D. C. Sharma	3602-03

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, ९ अप्रैल, १९६४/२० चैत्र, १८८६ (शक)

Thursday, April 9, 1964/Chaitra 20, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एशियाई जनसंख्या सम्मेलन

\+

*९६८. { श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६३ में दिल्ली में हुए एशियाई जनसंख्या सम्मेलन में भारत में जनसंख्या नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव दिया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जनसंख्या की वृद्धि, रचना तथा भौगोलिक वितरण की वर्तमान तथा भावी प्रवृत्तियों को दृष्टिगत करते हुए एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के अन्तर्गत जो प्रदेश आता है उसके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के हेतु आयोजन करने सम्बन्धी मुख्य समस्याओं पर एशियाई जनसंख्या सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। चर्चा के दौरान भारत तथा प्रदेश के अन्य देशों में जनसंख्या नियंत्रण की समस्या का उल्लेख किया गया था।

545 (Ai) LS—1.

(ख) सम्मेलन में भारत में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये गये। सम्मेलन की ओर से यह सिफारिश की गई कि जिन देशों में परिवार के कल्याण तथा स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना वांछनीय तथा सुकर पाया जाय, वहां ऐसे उपाय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करने सम्बन्धी योजनाओं का अभिन्न अंग के रूप में किये जाने चाहियें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताई गई सिफारिश पर भारत सरकार ने विचार किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : भारत सरकार इस पहलू को सबसे अधिक महत्व देती आ रही है तथा इस बात की इस जनसंख्या सम्मेलन में भी प्रशंसा की गई थी।

श्री भागवत झा आजाद : भौगोलिक प्रदेश में, जिसके अन्तर्गत भारत भी है, अधिक आबादी के प्रश्न पर हुई चर्चा के संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में हमारे देश में जो अधिक आबादी की समस्या है, उस पर कहां तक चर्चा हुई ? क्या यह बात हमारे प्रतिनिधिमंडल ने अपने आप ही उठाई थी ?

डा० सुशीला नायर : अधिक आबादी की समस्या इस समस्त प्रदेश में लगभग एक जैसी ही है। भारत उन देशों में से एक है जोकि जनसंख्या समस्या को सही रूप में तथा पूरी गंभीरता के साथ सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह बात प्रदेश के प्रत्येक अन्य देश के बारे में नहीं कही जा सकती। सम्मेलन में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों के प्रति हर्ष प्रगट किया गया और हमसे यह कहा गया कि हम प्रदेश के अन्य देशों को भी इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करें।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की गयी और क्या उन्होंने यह इच्छा भी प्रगट की कि उनके देशों के कार्यकर्ताओं को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ?

डा० सुशीला नायर : जी, हां।

Shri Sidheshwar Prasad : What do the Government propose to popularise family planning programme on block level and how much expansion is likely to be made with regard to this programme in the remaining period of the Third Five Year Plan and during the Fourth Plan period ?

Dr. Sushila Nayar : We want to acquaint each and every family with the family planning programme. The greatest emphasis is being laid on educating the people so that they may themselves realise the utility of having a small family. Then arises the question : what means we can make available for them for the purpose. We are conducting research also to find out simple as also cheap methods helpful in this regard.

श्री हेम बरुआ : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आबादी में होने वाली यह अत्यधिक बढ़ोतरी हमारी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से अस्त व्यस्त कर रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार शेष संसार में संतति-निग्रह के साधनों के बारे में की गई नवीनतम खोजों के बारे में, जैसा कि हाल में ही ब्रिटेन में एक नयी खोज की गई है, बराबर जानकारी प्राप्त करती रही है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस देश में उन तरीकों को लोकप्रिय बनाने का विचार है ?

डा० सुशीला नायर : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य किस विशेष तरीके का उल्लेख कर रहे हैं। हमें समस्त नये तरीकों के बारे में जानकारी है और केवल जानकारी ही नहीं, अपितु हम इन नये तरीकों में से अनेक तरीके प्रयोग में ला रहे हैं और उनके बारे में स्वयं अध्ययन भी कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह समझा सकता हूं कि मेरा आशय किस तरीके से है ?

अध्यक्ष महोदय : उस विशेष सुझाव के बारे में माननीय सदस्य मंत्री जी को लिख सकते हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that it was also pointed out in the conference that family planning either by way of operation or injection, has been restricted only to educated and middle class people and the poor labour class has so far been deprived of the facilities in this regard ? If so, what suggestions have been made in the conference to popularise this programme among the poor people ?

Dr. Sushila Nayar : It is not correct to say that family planning has so far been restricted to the people belonging to higher classes alone. It is, of course, true that these people easily take to family planning and are much eager to have a small family. But the fact remains that this programme covers all classes of people such as labourers, poor people and agriculturists and all type of places including slum areas in villages and towns.

Shri Tulsidas Jadhav : Out of the countries which participated in the Asian Population Conference, which country has earned maximum amount of appreciation in the matter of birth control ?

Dr. Sushila Nayar : That is India.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि संतति-निग्रह द्वारा जनता के आर्थिक स्तर को उन्नत करने के प्रयास निरर्थक हैं ?

डा० सुशीला नायर : मेरे माननीय साथी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनसंख्या सम्बन्धी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के अन्तर्गत जो प्रदेश आता है उसके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आयोजन करने सम्बन्धी मुख्य समस्याओं पर विचार करना था। जनसंख्या पर नियंत्रण करना तो अनेक साधनों में से एक है। आर्थिक प्रगति के लिए इस पर मुख्य रूप से बल दिया जाना आवश्यक है।

डा० मा० श्री० अणे : क्या उन कार्यकर्ताओं को जो कि जनता को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए घर-घर कहते फिरते हैं यह हिदायतें हैं कि वे उन व्यक्तियों के पास न जायें जो नि:संतान हैं अथवा जिनके तीन या तीन से कम बच्चे हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैं प्रश्न को समझ नहीं सकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री यशपाल सिंह। हम ने इस प्रश्न पर ६ मिनट लगा दिये हैं।

डा० मा० श्री० अणे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित् उन्हें प्रश्न पूछने से ही सन्तोष हो गया होगा।

विद्युत् पारेषण तथा वितरण

*९६९. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विद्युत् की पारेषण और वितरण पद्धतियों के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक संहिता को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या वह राज्य सरकारों को क्रियान्वित किये जाने के लिए भेज दी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विद्युत् की पारेषण और वितरण पद्धतियों के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव सम्बन्धी संहिता में यह दिया गया है कि पारेषण और वितरण पद्धतियों के बारे में क्या सुरक्षा सम्बन्धी सावधानी बरती जानी चाहिये । इसमें इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि निम्नलिखित के बारे में क्या सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाई जाय :—

(१) सुरक्षात्मक उपकरण तथा औजार ।

(२) सामग्री और उपकरण को भांडागार में रखना तथा ठीक प्रकार से प्रयोग में लाना ।

(३) परिवहन तथा स्वयंचालित (आटोमोटिव) उपकरण ।

(४) वर्कशाप तथा गराज ।

(५) आग रोकना तथा इसका शमन ।

(६) प्रथमोपचार तथा पुनरुज्जीवन ।

(७) मट्टी का काम ।

(८) निकासी प्रक्रिया ।

(९) रिसीविंग स्टेशन, सब-स्टेशन तथा स्विचिंग स्टेशन ।

(१०) ओवरहैड लाइन ।

(११) वन सम्बन्धी कार्य ।

(१२) 'हॉट लाइन' तकनीक ।

(ग) प्रतियां छप रही हैं तथा शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेज दी जायेंगी ।

Shri Yashpal Singh : May I know the latest position with regard to transmission ? What will be the position in this regard at the end of the current Plan ?

डा० कु० ल० राव : दूसरी योजना की समाप्ति तक पारेषण लाइनों की लम्बाई १३४,४०० सरकिट किलोमीटर थी तथा तीसरी योजना में हम १०५,००० सरकिट किलोमीटर और बढ़ा रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : किस प्रकार की संहिता को अन्तिम रूप दिया गया है तथा इसको कहां लागू किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : देश में जो वर्तमान नियम हैं और जिनका अनेक राज्यों में पालन किया जा रहा है, वे न तो एक-समान हैं, न ही व्यापक हैं और न ही नवीनतम आधुनिक अनुसंधान के अनुरूप हैं। इसीलिए हाल में ही एक पृथक संहिता तैयार की गई है जोकि अब छप रही है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि बिजली हमेशा उन उपभोक्ताओं को दी जाती है जो कि कृषक नहीं हैं और यदि कृषक बिजली का प्रयोग करना चाहते हैं तो उनसे अतिरिक्त मूल्य लिया जाता है ?

डा० कु० ल० राव : यह कहना कि कृषकों को बिजली नहीं दी जाती है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको बिजली दी जाती है। वस्तुतः उनको तो इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है। हां, शुल्क विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कि कुछ न्यूनतम भुगतान करना आवश्यक है।

श्री बड़े : यह कृषकों को क्यों नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या संहिता भविष्य में पारेषण के सुरक्षित संचालन तथा रख-रखाव से सम्बन्ध रखती है अथवा यह बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो गड़बड़ है उसके ठीक करने के लिए है जहां कि उत्पादन तो ठीक हो रहा है परन्तु जरूरतमंद आदमियों को बिजली नहीं दी गई है ?

डा० कु० ल० राव : यह संहिता सुरक्षा के उपायों के हेतु बनाई गई है। यह पारेषण लाइन के डिजाइन अथवा किस्म को निर्धारित नहीं करती है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उत्तरी बिहार में उत्पादित क्षमता को उपयोग में लाने के लिए पूरी तरह से पारेषण लाइनें नहीं बिछाई गई हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या यह सच है कि कृषकों से उस अवधि के लिए जिसके दौरान या तो वे बिल्कुल ही बिजली खर्च नहीं करते हैं या कम बिजली खर्च करते हैं न्यूनतम मूल्य के रूप में कुछ लिया जाता है तथा कुछ राज्यों में ये राशि बहुत अधिक इकट्ठी हो गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

रावी बहुप्रयोजनीय परियोजना

+

*९७०. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली बहु-प्रयोजनीय परियोजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का जांच प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पेश कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की सिंचाई और विद्युत् क्षमता तथा सम्भावित लागत के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा बताई गई मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

थीन बांध (यूनिट १) परियोजना प्रतिवेदन हाल में ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को प्राप्त हो गया है तथा विचाराधीन है । परियोजना के अधीन २६.६ लाख एकड़ फुट जल का संग्रह करने के लिये, जिसमें से १९ लाख एकड़ फुट जल चालू स्टोरेज के रूप में होगा, थीन गांव के निकट ४८२ फुट ऊंचा रॉक-फिल बांध बनाया जायेगा । बायें किनारे पर एक बिजली घर बनाया जायेगा जिसमें ६ यूनिट होंगे जिन में से प्रत्येक की क्षमता ७०,००० किलोवाट होगी । थीन विद्युत् संयंत्र ६० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से २,२२,००० किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा । इस बांध के बन जाने से यू० बी० डी० सी० जल-विद्युत् परियोजना की स्थायी विद्युत् क्षमता ६० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से ३०,००० किलोवाट से बढ़कर ६० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से १,२३,००० किलोवाट हो जायेगी । अतः, थीन बांध परियोजना से ६० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से ३.१५,००० किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा । इस परियोजना से ८,६१,५२० एकड़ भूमि की और अधिक सिंचाई भी होने लगेगी । इस परियोजना की अनुमित लागत ६९·६३ करोड़ रुपये है जिसमें से बिजली के उत्पादन पर ५८·६१ करोड़ रुपये, सिंचाई की व्यवस्था पर ९.८४ करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण पर १.१८ करोड़ रुपये व्यय होंगे । यह बताया गया है कि पूरी हो जाने के बाद १७वें वर्ष में परियोजना से १०·०८ प्रतिशत की आय होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : ६९.६३ करोड़ रुपये वाली इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

डा० कु० ल० राव : यह अभी बताना कठिन है, क्योंकि परियोजना की अभी जांच की जानी है और यह तीसरी योजना में सम्मिलित नहीं है । अभी इस बारे में यह निश्चय किया जाना है कि इसको तीसरी योजना में लिया जाना है अथवा नहीं । परन्तु सामान्यतया लगभग २० प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर सरकारों को कितना कितना लाभ पहुंचेगा तथा क्या केन्द्र की ओर से भी कोई अंशदान दिया जायेगा और यदि हां, तो कितना ?

डा० कु० ल० राव : यह बांध तैयार किये जाने वाले उन बांधों में से एक है जोकि सिन्धु संधि हो जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले जल के उपयोग के लिये बनाये जायेंगे और उसके अधीन राजस्थान को ८० लाख एकड़ फुट की प्राप्ति होगी । इस ८० लाख एकड़ फुट के लिये राजस्थान सरकार को खर्च का अपना अंश वहन करना पड़ेगा । इस समय, परियोजना की बिल्कुल ही प्रारम्भिक अवस्था में जांच पड़ताल की जा रही है तथा इसलिए आवंटन के बारे में अभी नहीं सोचा गया है ।

Shri Gulshan : Have Government ever thought over it that there is considerable unirrigated land in Punjab and if early steps are taken to provide water for it, production of foodgrains can be augmented ? If so, by when it is likely to arrange for irrigational facilities for this unirrigated land ?

डा० कु० ल० राव : व्यास बांध के पूरा हो जाने पर, पंजाब के लिये काफी मात्रा में पानी उपलब्ध हो जायेगा तथा थीन बांध से थोड़ा और अधिक प्राप्त हो जायेगा। परन्तु पंजाब को व्यास बांध के शीघ्र पूरा हो जाने से काफी लाभ पहुंचेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में यह बताया गया है कि पूरी हो जाने पर १७वें वर्ष में परियोजना से १० प्रतिशत आय होने की आशा है। क्या उससे पहिले परियोजना को पूरा किये जाने की दिशा में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अर्थ है कि परियोजना के पूरा हो जाने के बाद २५ या ३० वर्ष और लग जायेंगे ।

डा० कु० ल० राव : प्रारम्भ हो जाने पर, परियोजना के पूरा होने में लगभग ६ से ८ वर्ष तक लगेंगे तथा १७ वर्ष तो वह अवधि है जिसके दौरान वित्तीय आय का हिसाब लगाया जायेगा तथा आय १० प्रतिशत होने की आशा है। पूरा हो जाने के १७ वर्ष बाद यह आय उपलब्ध होगी। पूरा होने से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। परियोजना का पूरा होना तो उपलब्ध धन तथा भौगोलिक कठिनाइयों पर, जिन पर हमें काबू पाना है, निर्भर करेगा ।

कोयला उद्योग

***९७१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने, जिसने कि भारत के कोयला उद्योग के कार्यकरण के सम्बन्ध में हाल ही में जांच की थी, यह सुझाव दिया है कि उत्तम श्रेणियों के कोकिंग कोयले के मूल्य में २० प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जानी चाहिये ; और

(ख) क्या उसने एक वैकल्पिक उपाय के रूप में कोयले पर से नियंत्रण को हटाने का सुझाव दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख). भारत के कोयला उद्योग के कार्यकरण की कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई है परन्तु विश्व बैंक दल ने सामान्यतया उत्तम श्रेणियों के कोकिंग कोयले के मूल्य में वृद्धि करने अथवा एक वैकल्पिक उपाय के रूप में वर्तमान नियंत्रण पद्धति की सख्त पाबन्दियों में ढील देने की राय दी है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस सिफारिश को करते समय विश्व बैंक ने इसके पक्ष में किन विशेष कारणों की दलील पेश की है और सरकार ने उन को कहां तक स्वीकार कर लिया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह प्रतिवेदन हम को पेश नहीं किया गया है । विश्व बैंक का प्रतिनिधिमण्डल समय-समय यहां पर आता है और अपने निजी लाभ के लिये, विश्व बैंक की जानकारी के लाभ के लिये, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यकरण और उसकी स्थिति की जांच करता है और इसलिये उनका प्रतिवेदन विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था । हमारा एक कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर) विश्व बैंक का एक डाइरेक्टर है और वह भी, विश्व बैंक के आभार से, प्रतिवेदन को देखता है, और वह प्रतिवेदन भारत सरकार को दिखाया गया था। उस आधार पर वह जानकारी हमें मिली थी और यह सच है कि इस देश के कोयला उद्योग के बारे में उन्होंने आम रूप में टीका-टिप्पणी की थी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : एक इतनी विशेषज्ञ संस्था की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार ने कोयले पर से नियंत्रण हटाने के सम्भावित प्रभावों के सम्बन्ध में विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है और उन्होंने कुछ कार्यवाही की है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या भारत का कोई प्रतिनिधि भी इस दल के साथ सम्बद्ध था जिसने कि कोयला उद्योग की इस समस्या का अध्ययन किया और क्या उसने अपना प्रतिवेदन केवल विश्व बैंक को ही दिया और क्या भारत रस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि प्रश्न में यह बात पूछी गई है कि क्या उस दल का प्रतिवेदन के तैयार किये जाने में भारत सरकार भी इससे सम्बद्ध रही है तो देश में चारों ओर जाने में हमने उनकी सहायता की थी और आम तौर पर विश्व बैंक में जो हमारा प्रतिनिधि है, विश्व बैंक के बोर्ड में, वह उनके साथ जाता है । विश्व बैंक से हमारे इतने अच्छे सम्बन्ध हैं और हमें उनसे इतनी अधिक सहायता मिलती है कि हम उन लोगों से कोई भी प्रसंगोचित जानकारी नहीं छिपाते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सम्बन्धित मंत्रालय भी बहुत समय से इस प्रश्न की जांच करता रहा है और उन्होंने जो कार्यवाही उचित समझी है वह की है । ये जो दो जांच की गई हैं, एक विश्व बैंक द्वारा और दूसरी मंत्रालय द्वारा, उनके निष्कर्ष एक दूसरे की तुलना में कैसे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विश्व बैंक ने जो स्थिति की प्रशंसा की है वह केवल आनुषंगिक है ; विश्व बैंक का प्रतिवेदन भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में है । जहां तक मंत्रालय द्वारा की गई जांच का सम्बन्ध है वह एक प्रारम्भिक जांच है ।

Shri Kachhavaiya : It has just been indicated that control on coking coal will be lifted May I know its possible effects ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : As stated by the hon. Minister, the concerned Ministry has accepted certain recommendations and action is being taken on them.

श्री बड़े : कुछ समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कोकिंग कोयले के भण्डार बीस वर्ष तक ही चलेंगे । यदि नियंत्रण हटा लिये जाते हैं तो इसका कोकिंग कोयले की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? कोयला खानों पर तीसरी, चौथी और पांचवीं श्रेणियों के कोयले के स्टाक पड़े हुए हैं । इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस समय सदन में जो चर्चा चल रही है वह विश्व बैंक के प्रतिवेदन के बारे में है और मैं समझता हूं कि उनका इस बात के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या प्रतिवेदन में कोयले की परिवहन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह एक बिलकुल दूसरा मामला है वह एक दूसरा दल था । यह भारत की आर्थिक अवस्था का एक सामान्य सर्वेक्षण था और आनुषंगिक रूप से कोयले के मूल्यों के बारे में उल्लेख किया गया था, जोकि सस्ते और बड़ी मात्रा के कोयले के उत्पादन के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं ।

ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलाना

\+

*६७२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जी, हां ।

श्री सुबोध हंसदा : यह योजना कब प्रारम्भ की जायेगी और इस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना की जांच की जा रही है । प्रतिवेदन इस वर्ष प्राप्त हो जायेगा और उस पर उचित विचार करना होगा । मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि वास्तव में इसका कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : इस योजना की प्रस्तावित मार्गरेखा क्या है ?

डा० कु० ल० राव : यह नहर फरक्का बांध से आरम्भ होती है और फिर तीस्ता पर गाजलदोबा नामक स्थान को जाती है और आसाम में डुबरी पर ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यदि इस पर होने वाले व्यय का हिसाब लगा लिया गया है तो वह कितना होगा ?

डा० कु० ल० राव : प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और वित्तीय पहलुओं का अभी अध्ययन किया जाना है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस प्रयोजन के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई थी और यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

डा० कु० ल० राव : अभी तक नहीं ।

श्री नाथ पाई : क्या इस देश में समस्त नदी प्रणाली को मिलाने की सरकार की कोई दीर्घकालीन योजना है, जिसके लिये बाढ़ों और अकालों से उत्पन्न आपदाओं का सामना करने के एक उपाय के रूप में और आन्तरिक नदी परिवहन का विकास करने के लिये भी डा० सी० वी० रामस्वामी ने सुझाव दिया था ?

डा० कु० ल० राव : सम्भाव्य जल मार्गों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है और यह भी उनमें से एक है ।

श्री दे० जी० नायक : क्या देश की सभी बड़ी-बड़ी नदियों को मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या ताप्ती नदी को नर्मदा के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि सभी बड़ी-बड़ी नदियों को मिलाने की एक आम योजना है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो वह पहले ही यह बात कह चुके हैं ।

Shri Kachhavaiya : When this scheme will be taken up and when completed and how much expenditure will be incurred by the Govt. of India and State Govt. respectively on it ?

डा० कु० ल० राव : प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ; मैं वास्तविक अनुमान ठीक-ठीक नहीं बता सकूंगा । परन्तु मोट तौर पर लगभग इतना रुपया व्यय होगा । बांध पर लगभग २० करोड़ रुपये, सम्बन्धित तटबंधों पर लगभग १० करोड़ रुपये, और नौपरिवहन नहर पर—जिसका व्यय अन्तिम रूप से चुने जाने वाले आकार पर निर्भर करता है—लगभग १०० करोड़ और १५० करोड़ रुपये के बीच व्यय होगा ।

Shri Kachhavaiya : I wanted to know when this scheme will be taken up. This has not been stated by the Minister.

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं कि इसका उत्तर पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं दे चुका हूं । अनुमान तैयार किये जा रहे हैं, फिर उन पर उचित रूप से विचार करना होगा और वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेना होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मिलाने वाली नहर की अनुमानित लम्बाई कितनी है ?

डा० कु० ल० राव : दोनों नहरों की, फरक्का से ढुबरी तक कुल लम्बाई ३०० मील होगी ।

श्री विश्राम प्रसाद : यदि गंगा नदी को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के साथ मिला दिया जाता है तो इसका जल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

डा० कु० ल० राव : गंगा और तीस्ता के जल की सतह में अन्तर है, जो कि आसाम में लगभग ३०० फीट है। इसका अर्थ यह है कि जहाजों अथवा नावों को तीस्ता में ३२० फीट ऊंचा जाना होगा और फिर ब्रह्मपुत्र में ३२० फीट नीचे आना होगा । इसकी व्यवस्था नहर के जलावरोधों (लाक्स) की एक श्रंखला बना कर की जायेगी ।

डा० रानेन सेन : क्या इन नदियों को मिलाने से भागीरथी नदी और कलकत्ता में हुगली नदी के जलधावन पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा इससे आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले संचार में सहायता मात्र ही मिलेगी ?

डा० कु० ल० राव : जलधावन में इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी । नौपरिवहन नहर के लिये अपेक्षित जल तीस्ता नदी से आयेगा ।

नेवेली तापीय संयंत्र

\+
*६७३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धर्मालिंगम् :
श्री मुत्तु गोंडर :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली तापीय संयंत्र परियोजना के प्रसार के लिये सोवियत संघ द्वारा मशीनों तथा उपकरण सम्बन्धी शर्तों को मंजूर कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब मशीनें और उपकरण आ जायेंगे तथा संयंत्र की विद्युत् जनन क्षमता दुगुनी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। २५० मैंगावाट की अधिष्ठापित क्षमता को ४०० मैंगावाट तक बढ़ाने के लिये।

(ख) आशा है कि पहली यूनिट (५० मैंगावाट) के लिये उपकरण १९६४ की तीसरी तिमाही तक सोवियत संघ द्वारा भारत को सुपुर्द कर दिया जायेगा। सुपुर्दगी की इस निर्धारित तिथि के आधार पर इस यूनिट के मार्च, १९६५ तक चालू हो जाने की सम्भावना है। आशा है कि दूसरी यूनिट (१०० मैंगावाट) के लिये उपकरण १९६५ की अन्तिम तिमाही तक भारत के सुपुर्द कर दिया जायेगा। सुपुर्दगी की इस निर्धारित तिथि के आधार पर, इस यूनिट के मार्च, १९६६ तक चालू हो जाने की संभावना है।

इस परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता ४०० मैंगावाट से और बढ़ा कर ६०० मैंगावाट की जानी है।

श्री दी० चं० शर्मा : अधिष्ठापित क्षमता को ४०० मैंगावाट से ६०० मैंगावाट तक बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी और क्या यह व्यवस्था सोवियत संघ के साथ ही की जायेगी अथवा अन्य किसी देश के साथ ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस समय तो यह नहीं बता सकता यूनिटकितने मैंगावाट का होगा ; अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है। परन्तु मैं समझता हूं कि पहले की भांति ही दोबारा क्रयादेश दिया जायेगा---१०० मैंगावाट वाले दो यूनिट मंगाये जायेंगे। यह कार्य सोवियत सहायता से ही होगा क्योंकि अन्य यूनिट भी सोवियत सहायता से प्राप्त किये जा रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : इस परियोजना के लिये मशीनों और उपकरण के सम्भरण के सम्बन्ध में सोवियत संघ और हमारे देश के बीच क्या शर्तें तय हुई हैं ?

डा० कु० ल० राव : २½ प्रतिशत सूद की दर पर १२ वर्षों में धनराशि को संपरिवर्तनीय पयों में लौटाया जाना है।

Shri Kachhavaiya : Are we to pay some cost for the equipment which is being obtained from the Soviet Union, and if so, whether it is payable in their currency or in Indian currency ?

डा० कु० ल० राव : संपरिवर्तनीय रुपयों में ।

Shri Onkar Lal Berwa : Which of the conditions put by Russia have been accepted ?

डा० कु० ल० राव : और कोई शर्तें नहीं हैं ।

खाद्य उत्पादन के लिए बिजली

+

*९७४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरुआ :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक खाद्यान्न के उत्पादन के लिये बिजली के लिये केन्द्रीय सहायता किस सीमा तक बढ़ायी जा रही है ; और

(ख) यह धन राशि किस प्रकार वितरित की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sidheshwar Prasad : What points are being considered by the Government regarding this matter and by when final decision will be taken ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : In fact this matter is still under consideration of the Government since State Governments are also concerned with it. In a meeting of the Agricultural Board held in December last State Governments were asked that they should try to provide power for agricultural purposes in villages at cheaper rates.

Shri Sidheshwar Prasad : Has this thing come to the notice of the Government in this regard that electricity for industrial purposes has been supplied at cheaper rates and that for agricultural purposes at very high rates ; if so, what action Government are taking to bring about unformity in these rates ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : In some states rates are even less than 9 naye paise and in some other States, including the State the hon. Member hails from, the rates are more than 9 naye paise. It is, therefore, proper—and some State Governments are already considering this matter—that electricity for agricultural and for some other purposes may be provided at cheaper rates.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई व्यापक कार्यक्रम, एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है जिससे कि कमसे कम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तो भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तृतीय योजना में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये १०५ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है जिसमें से १०० करोड़ रुपये के प्रथम चार वर्षों में व्यय हो जाने की आशा है। ऐसी संभावना है कि १९६५-६६ में इस कार्य पर लगभग २० करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। माननीय सदस्य को सम्पूर्ण योजना के एकीकरण के सम्बन्ध में पूछा था जिससे कि वह कृषकों के लिये अति लाभदायक सिद्ध हो सके। सरकार इस समस्या की गम्भीरता से पूर्णतः परिचित है और वह इसकी जांच कर रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत तथा खाद्य और कृषि मंत्रालयों ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव रखे हैं और यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और उन पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कृषि उत्पादन बोर्ड ने २३ दिसम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि सिंचाई प्रयोजनों के लिये विद्युत शुल्क के इस प्रश्न को उसकी प्रादेशिक बैठकों में राज्यों के सम्मुख रखा जाये। निष्कर्षों पर पहुंचने के उपरान्त राज्य सरकारों से यह कहा गया कि वे इस मामले में निकट भविष्य में ही आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि उपर्यक्त लिखित दोनों मंत्रालयों के ठोस प्रस्ताव क्या हैं और उन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जहां तक इन दोनों मंत्रालयों के प्रस्तावों का सम्बन्ध है उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : किस बात पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ? क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मूल उत्तर में कहा गया है कि "मामला विचाराधीन है"। योजना आयोग, कृषि मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस मामले की अपने से सम्बन्धित बातों पर विचार कर रहे हैं। कृषि उत्पादन परिषद एक मिश्रित निकाय है जिसमें इन सब मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और मेरी सहयोगी ने चार प्रदेशों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के बारे में उल्लेख किया था जहां कि कृषि उत्पादन बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने बताया था कि किन किन आधारों पर राज्य सरकारें आगे कार्यवाही करेंगी। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस पर निरन्तर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य यह जानते हैं—पहले एक दिन सभा में मैंने कहा था—कि ८० जिलों में गहन उत्पादन के मामले से कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि सिफारिशें क्या हैं क्योंकि ८० जिलों के लिये सिफारिशों में काफी अन्तर होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्योंकि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री कहते हैं कि इस पर निरन्तर विचार किया जाता रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि पहले पहल यह मामला कब इस विचार के लिये लाया गया था और समिति को क्या क्या मद सौंपे गये थे ? इस मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा इस सारे मामले पर बिना किसी विलम्ब के तुरन्त कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने कहा था कि इस मामले पर निरन्तर विचार किया जाता रहा है जिसका अर्थ है कदाचित हमेशा ही। विद्युत उत्पादन और उसकी व्यवस्था का प्रश्न कृषि उत्पादन योजना का एक अंग मात्र है। उस मामले के बारे में मेरी सहयोगी ने बताया था कि कृषि उत्पादन बोर्ड ने विद्युत शुल्क और विद्युत सम्भरण दोनों ही मामलों के लिये एक योजना तैयार की है। कृषि मंत्रालय तथा सिचाई मंत्रालय दोनों ही इस समस्या से परिचित हैं।

Shri Yashpal Singh : There is a large gap between the rates of electricity supplied to an industrialist and to an agriculturist. An industrialist gets it at the rate of 3 naye paise per unit, while an agriculturist has to pay for it at the rate of 19 naye paise per unit. Has some attention been paid to reduce this rate ; if so, what relief has been provided to the agriculturists ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : I have stated in my reply that this is correct, and keeping in view this state of affairs State Governments have been asked to consider the question of reducing the rates of electricity for agricultural purposes. I may intimate to the hon. Member the progress made in regard to consumption of electricity for agricultural purposes during the last ten years. 833 million kilo hours electricity was consumed for agricultural purposes during 1960-61 as against 162 million kilo hours during 1950-51.

Shri D. S. Patil : Is it a fact that the Board of Agricultural Production has fixed the rate of electricity for agricultural purposes at 9 naye paise per unit and has recommended that 50% subsidty for the purpose should be given by the State Governments and 50% by the Centre ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : It is correct that in those States where the rates of electricity are higher than 9 naye paise per unit State Governments have been asked to give subsidy for reducing the rates.

Shri A. P. Jain : Is it correct that, besides these higher rates of electricity, difficulties are also faced in getting connections from the main points to the villages and sometimes thousands of rupees are spent over this ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : What the hon. Member complains is correct. He himself went to Uttar Pradesh recently and invited the attention of the Government of the State towards this fact.

Shri Onkar Lal Berwa : Why there is a difference between the rates of electricity at present being supplied to Madhya Pradesh and Rajasthan from Gandhi Sagar Dam ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : This question relates to electricity for agricultural purposes only.

Shri Onkar Lal Berwa : My question also relates to electricity for agricultural purposes.

Mr. Speaker : This information is not available with her at present.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कम से कम मोटे तौर पर हमें यह आंकड़े बता सकती है कि उद्योगों और कृषि दोनों ही में कितनी कितनी मात्रा में तथा कितने रुपयों की बिजली का उपभोग किया जाता है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कृषि और सिंचाई प्रयोजनों के लिये उपभोग की जाने वाली बिजली के आंकड़े मैं बता चुकी हूं। औद्योगिक प्रयोजनों सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ९७५ के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री हरि विष्णु कामत ।

एक माननीय सदस्य : वह उपस्थित नहीं हैं ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, प्रश्न के महत्व को देखते हुए, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न को वाद-विवाद के लिये लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रश्न-काल के अन्त में समय उपलब्ध न हो ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि यदि समय उपलब्ध हो तो इस प्रश्न को लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय होगा तो इसे अवश्य लिया जायेगा ।

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

***९७६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **योजना** मंत्री १२ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में उपबन्धित ३३० करोड़ रुपये की रकम में से केवल ९६ करोड़ रुपये व्यय करने के क्या कारण हैं ;

(ख) १९६४–६५ में प्रत्येक राज्य में अनुमानित व्यय कितना है ; और

(ग) इस बात के क्या कारण हैं कि व्यय किये गये ५९६ करोड़ रुपयों में से राजस्थान में केवल ०.८ करोड़ रुपये ही खर्च किए गए ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६६९/६४]**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राजस्थान में पहली और दूसरी योजना अवधियों में सरकारी क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में ,विभिन्न राज्यों में खर्च की गई ५९६ करोड़ रुपयों की राशि में से केवल ०.८ करोड़ रुपये राजस्थान में खर्च किये गये हैं और अगले वर्ष कुल ३११ करोड़ रुपये की व्यवस्था में से केवल ०.६ करोड़ रुपये राजस्थान में खर्च किये जायेंगे और योजना आयोग किस प्रकार अन्य मंत्रालयों को, राजस्थान को कम से कम अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिये अधिक सरकारी क्षेत्रीय परियोजनायें देने के लिए कहेगा ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : योजना आयोग मुख्यतः उन सुझावों पर निर्भर करता है जो केन्द्रीय मंत्रालयों या राज्य सरकारों की ओर से उसके पास आती हैं । निस्सन्देह, योजना आयोग के यह बात विचाराधीन है कि क्षेत्रीय विकास संतुलित होना चाहिये । बात यह है राजस्थान सरकार बड़ी योजनाओं में पहले से लगी हुई है, उदाहरणार्थ, राजस्थान नहर, जिससे संभवतः बाद में दूसरी सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाएं स्थापित हो सकें । परन्तु निश्चय ही, माननीय सदस्य के इस सुझाव को ध्यान में रखा जायगा । मैं चौथी योजना के सम्बन्ध में इसे योजना आयोग को भेज दूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली दो तथा तीसरी योजना में राजस्थान को उसमें से पांच सौवां भाग भी प्राप्त नहीं हुआ जो अन्य सभी राज्यों को बांटा गया है। जो परियोजनाएं दी गई हैं उनके लिये, एक कोटा में, और दूसरी खेत्री में, अपेक्षित विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है। खेत्री परियोजना के लिये ५ लाख डालर मांगे गये थे डेढ़ वर्ष पहले, किन्तु वह राशि भी नहीं दी गई। इस को देखते हुए क्या वित्त एवं योजना मंत्री यह बतलायेंगे कि स्थिति क्या है और उनका भविष्य में क्या करने का विचार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: जहां तक कोटा परियोजना का सम्बन्ध है, अब योजना चल रही है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही योजना को आगे बढ़ाने के लिये कार्यवाई की जायगी। जहां तक खेत्री परियोजना का सम्बन्ध है, इस में कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं। प्रश्न वित्त का नहीं—पांच लाख डालर, जितकी जरूरत है दे दिये जायेंगे, परन्तु उसके पश्चात् प्रविधिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रश्न आता है, और उन के कारण परियोजना को तेजी से चलाना कठिन होगा। परन्तु इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं इस को स्पष्ट कर दूं। धातु निगम सम्बन्धी प्रतिवेदन में, जो दो दिन पहले संसद् में पेश की गई है, कहा गया है कि उन्होंने खेत्री के लिये प्रथम अग्रता परियोजना के लिये ५ लाख डालर मांगे हैं और इतनी विदेशी मुद्रा भी इतनी लम्बी अवधि में नहीं दी गई। कम से कम २।। करोड़ रुपये तो दे दिये जाने चाहियें थे।]

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह कह रहा हूं कि इस समय इस मामले की जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, इस मामले में कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों के दूर होने पर धन दे दिया जायगा। मैं आप को इतना बता सकता हूं इसमें अधिक कुछ कहने में असमर्थ हूं।

Shri Tulsidas Jadhav : From this statement it would appear that some states have been given more money and some have been given less money. The hon. Minister has stated that money is given to the States in proportion to the schemes submitted by them. I want to know whether State Governments have requested the Centre to make up this imbalance ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Figures pertaining to public sector are given in it In some States investment to the tune of crores of rupees has been made in public sector and in some States no big factory has been started. As such the inbalance is there. As far as Rajasthan is concerned, a big factory precision instruments plant—was going to be established, but that scheme did not materialise. Hence that much money could not be spent on Rajasthan, as should have been.

श्री रामचन्द्र उलाका : १९६४-६५ में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ३३·५ करोड़ रुपये के कुल विनियोजन में से उड़ीसा को ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जायगी, और सरकार तीसरी योजना में उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का विकास करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १९६४-६५ के लिये केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के लिये कुल राशि ३४.८ करोड़ रुपये है—३३.५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये और १.३ करोड़ रुपये राज्यों की परियोजनाओं के लिये।

Shri Tan Singh : Just now the hon. Finance Minister stated that because much money was being spent on Rajasthan Canal, lesser amount was being spent on public sector in Rajasthan. Has Rajasthan Govt. requested the centre that Rajasthan canal should be treated as a national project ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब हम चौथी योजना के बारे में विचार करेंगे तो यह एक बात होगी, अर्थात् यह कि क्या राज्य इतनी बड़ी परियोजना को चला सकेगी और क्या परियोजना पृथक होनी चाहिये और इस पर होने वाला व्यय अभिज्ञेय होगा। यह मामला विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : समाजवाद तथा सरकारी क्षेत्र में विश्वास के सम्बन्ध में सरकारी की जोरदार गर्जना के बावजूद, इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी और कम है। क्या इस का कारण यह है कि सरकार में पर्याप्त उत्साह का अभाव है या इस कारण दोषयुक्त आयोजना है या इन रियोजनाओं को चलाने के लिये योग्य व्यक्तियों का अभाव है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं सभी आ ोपों का खंडन करता हूं।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए समिति

+

*९७७. **श्री धवन :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **निर्माण आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए एक समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके सदस्य कौन कौन हैं तथा इसके कृत्य और शक्तियां क्या हैं ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सचिवों की पुनर्वास समिति नामक एक समिति पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजकों के नवीन अन्तर्वाह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिये बनाई गई है।

उस समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

१. श्री एम० बूथा लिंगम, सचिव वित्त मंत्रालय (समन्वय विभाग)
२. श्री वी० देशंकर, सचिव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)
३. श्री वी० टी० हेजिया, सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय तथा राजस्व एवं समवाय विधि विभाग)
४. श्री एल० पी० सिंह, विशेष सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
५. श्री वी० बी० चारी, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
६. श्री प्रेम कृष्ण, अतिरिक्त सचिव, निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय

मंत्रिमंडल सचिव, यथावश्यकता, समिति की बैठकों में उपस्थित होगी ।

२. समिति यथाआवश्यकता, किसी बैठक के लिये अन्य सदस्यों को बुला सकेगी

३. निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय ने समिति के लिये सचिवालय व्यवस्था की है ।

*श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सभी विस्थापित व्यक्तियों को जो पाकिस्तान द्वारा किये नृशंस अत्याचारों के कारण भारत आ रहे हैं, भारत में राजनैतिक शरणाधीन पाकिस्तानी राष्ट्रजन माना जा रहा है, और यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का अनुचित नियम निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं और क्या इसके द्वारा उन को स्थायी पुनर्वास से वंचित किया जायगा ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : वह किस प्रश्न की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय । यह प्रश्न संख्या ६७७ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न संगत है । मैं जानना चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है ।

डा० रानेन सेन : विवरण से पता चलता है कि छः अधिकारी समिति के सदस्य हैं चूंकि दण्डकारण्य प्राधिकार इसे पुनर्वास के लिये मुख्यतः उत्तरदायी है, सरकार ने उस के सभापति को इस समिति में क्यों नहीं लिया ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह केन्द्रीय समिति है । दण्डकारण्य प्राधिकार का सभापति दण्डकारण्य सम्बन्धी विकास का प्रभारी है । उनकी अपनी समिति है, जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधि हैं । यह प्रश्न अखिल भारतीय स्तर पर हल किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समिति के निर्देश निबंधन क्या हैं, और इस समिति के कार्य क्या होंगे और क्या यह समिति विस्थापित व्यक्तियों को भारत में राजनीतिक शरण में आये हुए पाकिस्तानी राष्ट्रजन माने जायेंगे अथवा उनको स्थायी आधार पर बसाया जायेगा ?

श्री पू० शे० नास्कर : समिति केवल इन नवीन आप्रवजकों को सहायता देने तथा बसाने के काम का समन्वय करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पुनर्वास स्थायी आधार पर होगा अथवा उन को भारत में राजनीतिक शरण में आये पाकिस्तानी राष्ट्रजन माना जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस समिति का पुनर्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह समिति उन शरणार्थियों को अन्यत्र भेजने के प्रश्न पर भी विचार करेगी, जो स्वायत्त केन्द्रों से पुनर्वास केन्द्रों में आते हैं ? इस बीच, पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों में, इस आशय की शिकायतें प्रकाशित हुई हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हुए सरकार उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं देती ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जैसा कि बताया गया है, इस समिति का काम केन्द्र में सहायता तथा पुनर्वास कार्य का समन्वय करना है। सभी आरोप निराधार हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरकार ने इसका खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : केवल दो दिन पूर्व, इसी सभा में मैंने इस का खंडन किया था और माननीय सदस्य उपस्थित थे। मेरे सहयोगी ने भी खण्डन किया था, जो माना शिविर में गये थे।

Shri Kachhavaiya : Why people from the States concerned have not been taken on the committee appointed for rehabilitating displaced persons coming from East Pakistan in various States ?

Mr. Speaker : Rehabilitation work is different. This is a central committee of secretaries.

श्री हेम बरूआ : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि इन नवीन शरणार्थियों की समस्या को दोहरे स्तर पर हल करना होगा, तत्काल सहायता के लिये अल्पकालीन और हमारी अर्थ व्यवस्था में अन्ततोगत्वा उन लोगों को समाने के लिए दीर्घ-कालीन, क्या सरकार ने इस दिशा में कार्यक्रम बनाये हैं और क्या सरकार ने इस समिति को या किन्हीं अन्य भ्रामक कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिये कहा है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : सहायता तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति को दर्शाने के लिये एक पुस्तिका कुछ दिन हुए इस सभा के माननीय सदस्यों में परिचालित की गई थी, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इन शरणार्थी लोगों की समस्या को हल करने के लिये, क्या माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों को लिखा है कि वे समिति बनायें और इस प्रश्न को हल करें, जिन्होंने इस मामले में सक्रिय सहायता की पेशकश की है ?

श्री पू० शे० नास्कर : राज्य सरकारों को पुनर्वास मंत्री नियुक्त करने और इन शरणार्थियों के पुनर्वास तथा सहायता करने के लिये ही अफसर नियुक्त करने को कहा गया है।

श्री बड़े : अभी, माननीय मंत्री ने कहा है कि सहायता तथा पुनर्वास कार्य के लिये एक समिति बनाई गई है। पुनर्वास का सिद्धान्त क्या है ? क्या वही सिद्धान्त अपनाया जायेगा जो पहले शरणार्थियों के सम्बन्ध में अपनाया गया था अथवा नवीन सिद्धान्त होगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : आपने स्वयं स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है। निर्णय सरकारी स्तर पर किये जाते हैं और मेरे मंत्रालय में। इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालयों के बीच हमें समन्वय करना है। उदारणार्थ, मुझे लोहे की नालीदार चादरें चाहियें, या खुराक चाहिये या शिविरों के लिये सनिक अधिकारी चाहियें। अतः हम ने इस बात के लिये सचिवों की एक समिति बना ली है कि सरकारी स्तर पर लिये हुए सभी निर्णयों का उचित रूप से समन्वय हो। उसका काम यह है कि इन सहायता कार्यों में समन्वय किया जाये, सचिव स्तर पर, और वे शीघ्र तथा समन्वित कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पुनर्वास कार्य इसी समिति द्वारा किया जायेगा या किसी भिन्न निकाय द्वारा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : पुनर्वास का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा ।

Shri Vishram Prasad : On what basis this Committee of six persons including Secretaries and Additional Secretaries, has been formed, and why some local leaders have not been included among the personnel of this Committee ?

Mr. Speaker : This is a committee of the Centre.

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के हजारों शरणार्थियों ने असम की मिज़ो पहाड़ियों में शरण ली है और यदि हां, तो क्या सरकार ने मिजो पहाड़ियों में इन शरणार्थियों को बसाने का काम भी इस समिति को सौंप दिया है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : बहुतेरे विस्थापित व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं । उनमें बौद्ध, हिन्दू और ईसाई आदि हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, असम सरकार के परामर्श के साथ, हम ने दो निर्णय किये हैं, पहला, तत्काल शिविर स्थापित करना, और दूसरे पुनर्वास योजनाएं बनाना । जब पुनर्वास योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको कार्यान्वित करना होता है, तब यदि इधर उधर कोई कठिनाई किसी मंत्रालय में हो, तो सचिवों की समितियां उन कठिनाइयों को दूर करने और शीघ्रतापूर्वक निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्न करेंगी ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि हजारों बौद्ध शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भाग आये हैं और असम में मिज़ो पहाड़ियों में शरण ले रहे हैं ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे यह सूचना आज प्रातःकाल प्राप्त हुई और मैं समझता हूं कि मिज़ो पहाड़ियों में संख्या ५००० से ऊपर है . . .

श्री हेम बरुआ : असम के मुख्य मंत्री ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं और उस वक्तव्य के आधार पर जो मैंने आज प्रातः देखा । बहुतेरे लोग आ रहे हैं । उनकी संख्या मिज़ो पहाड़ियों में ५००० से अधिक है और गारो पहाड़ियों में ७५,००० से ८०,००० तक है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इस समिति तथा नवीन मंत्रीमंडल समिति के बीच क्या सम्बन्ध है ? क्या इस समिति ने प्रतिवेदन पुनर्वास मंत्रालय को भेजे हैं या मंत्रीमंडल समिति को ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मंत्रीमंडलीय समिति में मंत्री हैं, और इस समिति में सचिव हैं । मंत्रियों द्वारा जो निर्णय किया जायेगा वह सचिवों द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : The Govt. has employed displaced persons coming from East Pakistan on the work of building roads, and they are not given wages, but six chattanks of rice and small quantity of pulses. Has this committee considered over the question of paying them wages ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have to say regretfully that such allegations are not proper. Govt. keeps our unfortunate brethern who came, in camps and gives them ration and cloth.

Shri Onkar Lal Berwa : What wages are given to them ?

Shri Mehr Chand Khanna : If my reply pinches my hon. friend, what can I do ? Our practice is that we take them and we try to give them employment. Previously we kept them in Camps for a long time and they became lethargic like me and now I want that they should work like the hon. Member and remain healthy and well.

श्री बड़े : मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। अभी श्री बनर्जी ने एक प्रश्न पूछा था, जिसकी अनुमति आपने नहीं दी। मैंने प्रश्न पूछा और अनुमति नहीं मिली। श्री बनर्जी ने पूछा था कि सिद्धान्त क्या है और क्या उन को पाकिस्तानी राष्ट्रजन माना जायेगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। यदि सरकार इस पर प्रकाश नहीं डालेगी, तो संसद् अंधकार में रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि पुनर्वास कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। इन समस्याओं को कई मंत्रालय हल करते हैं। इस समिति का काम उन प्रस्तावों का समन्वय करना है, जब यह देखेगी कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो गई है। उस कठिनाई को हटाना इस समिति का काम होगा। इसे श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये नीति सम्बन्धी मामले से कोई सरोकार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उनको विस्थापित व्यक्ति माना जायेगा या नहीं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने इस मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा के दौरान सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है। मैंने कहा है और मैं उसको दुहरा रहा हूं कि विस्थापित व्यक्ति जो पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं, दो श्रेणियों में हैं, एक श्रेणी उन लोगों की है जिन के पास ढाका में दिये गये प्रव्रजन प्रमाणपत्र हैं और दूसरे वे हैं, जो खुली सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में आये हैं। संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जांच किये जाने के पश्चात्, क्या वह आसाम की सरकार है या पश्चिम बंगाल अथवा त्रिपुरा की, १ जनवरी, १९६४ के पश्चात् जो व्यक्ति भारत आया है, उसे सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जायेगी।

सिंधु आयोग

*९८०. **श्री दी चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल सन्धि, १९६० के अधीन स्थापित स्थाई सिन्धु आयोग की बैठक मार्च, १९६४ में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन समस्याओं पर चर्चा हुई तथा क्या निष्कर्ष निकले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) सिंधु आयोग की तेरहवीं बैठक के रिकार्ड की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६७०/६४]**

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने पूरा विवरण पढ़ा है और मुझे उसमें केवल एक वाक्य ही नज़र आया है कि दोनों आयुक्तों ने इस विषय में बातचीत की और स्वीकार किया कि अगली बैठक में इस पर और बातचीत होगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब बातचीत से कोई बात तक नहीं हो पाती है तो इन बैठकों को बुलाने का क्या लाभ है ? इन बैठकों में किन कारणों से निर्णय नहीं हो पाता है ? निर्णय करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : मेरा निवेदन है कि किसी एक बैठक में निर्णय करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कई बैठकें बुलानी पड़ती हैं तथा अब तक सिन्धु आयोग ठीक प्रकार काम कर रहा है। यदि माननीय सदस्य .पूरे कागज़ात देखें तो उनको मालूम होगा कि नालियों के बनाने, वायरलैस स्टेशन बनाने तथा इमारती लकड़ी की वसूली आदि के बारे में काफी प्रगति हुई है तथा एक दूसरे की बात का सार समझा गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : यह आयोग जो दौरे करना चाहता है क्या उनमें कोई लाभ होगा ? यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

डा० कु० ल० राव : १९६० की सिन्धु संधि के अधीन पांच वर्ष में एक बार नदी के बहाव आदि की जांच के लिए तथा यह देखने के लिये कि सम्बन्धित देशों में क्या विकास हुआ है एक सामान्य दौरा दोनों देशों का किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुरोध पर विशेष निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। यह सिन्धु सन्धि के अधीन अनिवार्यतः आता है।

श्री इकबाल सिंह : क्या इन बैठकों में अपर बारी दोआब, सरहिंद फीडर तथा गंगा नहर में पानी की कमी के प्रश्न पर बातचीत हुई थी तथा यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

डा० कु० ल० राव : पाकिस्तान को पानी सिंधु सन्धि के अनुसार दिया जाता है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष कुछ महीनों में पानी की कमी हुई है और इसलिये इस वर्ष पंजाब को कम पानी मिला है।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि सरकार सिन्धु सन्धि के अधीन पाकिस्तान को देय किस्तों को पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय करने के लिये रोक रहा है तथा क्या आयोग ने पाकिस्तान को इशारा किया है कि यदि पाकिस्तान शरणार्थियों के आने को नहीं रोकेगा तो भारत इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगा ?

डा० कु० ल० राव : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री नाथ पाई : क्या इस प्रकार का उत्तर इस प्रश्न का आना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो उन को नोटिस मांग लेना चाहिए था।

श्री नाथ पाई : कई वरिष्ठ मंत्री इसका उत्तर दे सकते थे।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सिंधु आयोग ने पन बिजली के सम्भरण के लिये पुंच नहर में लगाई गई बाधा के सम्बन्ध में विचार किया था क्योंकि सभा के समक्ष ऐसा वायदा किया गया था ?

डा० कु० ल० राव : जी हां। इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। निरीक्षण हुआ था तथा पता लगा कि निरीक्षण से पहले ही गड़बड़ी को दूर कर दिया गया था।

चिट फण्ड

*९८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मद्रास चिट फंड अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के फलस्वरूप चिट फंड से सम्बन्धित विनियमों में क्या मुख्य परिवर्तन किये जाने की संभावना है ; और

(ग) चिट फंड सम्बन्धी विधि को लगभग समान बनाने के लिये यदि कोई क़दम उठाये जा रहे हैं तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) मद्रास चिट फन्ड एक्ट, १९६१ के दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू हो जाने के बाद चिट फन्ड के पंजीयन, फन्ड के प्रभारी के कर्तव्य तथा कृत्य की परिभाषा, उचित लेखों का संधारण तथा अंशदाताओं को देय धन का ठीक भुगतान करने की व्यवस्था होगी ।

(ग) चिट फन्ड कुछ राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे मद्रास, केरल तथा दिल्ली में बहुत लोकप्रिय है । क्योंकि मद्रास और केरल (तथा मद्रास चिट फन्ड एक्ट जो दिल्ली में लागू होगा) के वर्तमान अधिनियमों को पर्याप्त तथा संतोषजनक माना गया है तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई विधान लागू किया जाये अथवा वर्तमान विधि में कोई परिवर्तन किया जाये ।

श्री प्र चं० बरुआ : क्या यह सच है कि वह कई चिट फन्ड साथों के विरुद्ध शिकायतें दिल्ली प्रशासन के सामने लम्बित हैं तथा क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने कोई कानून न होने के कारण कोई कार्यवाही करने में लाचारी जाहिर की है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन्होंने चिट फन्ड की कार्यप्रणाली में कठिनाइयों को कम करने के लिये दिल्ली में मद्रास चिट फन्ड लागू करने का निर्णय कर लिया है और उन्होंने मद्रास सरकार को लिखा है कि इस अधिनियम को तुरन्त लागू कर दें जिस से वह भी इस को तुरन्त लागू कर दें ।

Shri Yashpal Singh : Do Govt. know that gambling gets encouragement from these chit funds and do Govt. propose to stop the working of these chit funds during emergency ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Govt. are formulating measures in this connection which will be enforced strictly.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : चीटिंग फन्ड तथा चिट फन्ड में क्या अन्तर है ?

Shri Kachhavaiya : What is the number of chit funds in operation in Delhi and the number out of them which are bogus ? What action has been taken against them ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : According to our information 191 companies are registered under Registration Co. Act. 1956 which are functioning as chit funds companies in Delhi. In addition to these, there are some more firms and we have no information about them.

Shri Kachhavaiya : How many are bogus funds and..

Mr. Speaker : Companies operating bogus funds won't like to tell that these are so.

Shri Tulsi das Jadhav : How these chit funds are being utilised ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Some indulge in profiteering and some distribute prizes. I do not know how far I am correct, but I think they collect the money in instalments, and distribute prizes following the draw of lots.

Mr. Speaker: Let him have first hand experience by becoming a member of some chit fund.

प्रश्न संख्या ८७५ के बारे में

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, नियम ४६ के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्न संख्या ८७५ का उत्तर दिया जा सकता है । मंत्री उत्तर देने के लिये राजी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री के राजी होने का प्रश्न नहीं है । यदि मंत्री प्रार्थना करते हैं केवल तब ही . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे साथी भी मेरा समर्थन कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : यदि आप मंत्री की ओर देखें . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरे कान उनकी तरफ़ हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय

*९७५. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **निर्माण आवास तथा पुनर्वास** मंत्री पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में १२ मार्च, १९६४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान से भाग कर आने वाले अभागे अल्पसंख्यकों को उचित सहायता देने के लिए देश के गैर सरकारी लोकोपकारों संगठनो और सरकारी अथवा गैर-सरकारी अथवा संयुक्त राष्ट्र से सम्बन्धित विदेशी संगठनों से अपील करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) मामले पर विचार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में जल संभरण

*९७८. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में उत्तम पीने के पानी की सप्लाई के लिए वजीराबाद बांध के निकट पानी का स्तर ५-७ फुट ऊंचा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय किया है कि यमुना नदी में वजीराबाद पर बांध से पहले पानी के स्तर को, जो कि इस समय ६७२४ फुट है, बढ़ा कर ६७४.५ फुट कर दिया जाये । यह धीरे धीरे किया जायेगा ।

(ग) जलमग्न भूमि के लिये किसानों को प्रतिकर देने के अतिरिक्त इसमें कोई और व्यय नहीं करना पड़ेगा । इस बात का पता नहीं है कि प्रतिकर की कितनी राशि दी जायेगी ।

Children's Diseases

*979. **Shri Vishwa Nath Pandey**: Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a new scheme in the country to provide for the treatment of children's diseases and training of competent persons in this connection ; and

(b) if so, the details thereof and when it will be implemented ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b) The Government with assistance from W.H.O. and UNICEF has formulated a scheme for the development of paediatric training and Services in Medical Colleges and District Hospitals in India. The scheme embraces the following important phases for improving paediatric training and services in Medical Colleges :—

(*i*) improvement and expansion of teaching staff ;

(*ii*) improvement of service and teaching facilities in teaching hospitals—in wards, laboratory and outpatient departments ; and

(*iii*) establishment of a close working relationship between the Central teaching institution and MCH services both in rural and urban areas with a view to developing the paedia trictraining aspect in Social & Preventive Medicine.

The improved teaching facilities will help to provide undergraduates with a better knowledge in the field of clinical and social paediatrics and will also help in post-graduates paediatric training.

The plan for assistance to Paediatric Departments of district hospitals aims at the development of specialised services at the district level. Doctors with postgruaduate qualification posted at the District Hospital will organise regular paediatric consultations at the sub-district level.

A Master plan of Operations in this connection has been signed by Government with UNICEF and WHO.

Under the Master Plan of Operations, the W.H.O. will provide such technical assiatance as may be required for the successful execution of the project.

The UNICEF will provide to the medical collecges and district hospitals fulfilling the prescribed criteria, technical supplies and equipment to the extent of $5,80,500. This allocation is in addition to the UNICEF assistance received earlier for the entension, reorientation and improvement of teaching and service in child health in a number of medical colleges in India.

The commitments of Government will be *inter-alia* to provide all personnel, materials, permises, equipment, supplies, services and local expenses necessary for the implementation of the project.

धान पर पेशगी देने की अधिकतम सीमा

*९८२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को निदेश जारी किया है जिसके द्वारा इस वर्ष धान पर पेशगी देने की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है;

(ख) सीमा किस प्रकार निश्चित की गई है;

(ग) क्या भांडागार रसीदों पर दी जाने वाली पेशगियों के अतिरिक्त दी जाने वाली पेशगियों की अग्रेतर अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है; और

(घ) क्या पंजाब और उड़ीसा के बैंकों को प्राप्त अतिरिक्त ऋण सीमा इसी प्रकार निर्धारित रहेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे वर्ष १९६२ में जनवरी–फरवरी मास के धान और चावल पर दी गई पेशगियों के ९० प्रतिशत के बराबर कुल औसत पेशगियां जनवरी फरवरी १९६४ से आरम्भ होने वाले हर दो मास की अवधि में बनाये रखें ।

(ग) समस्त अधिकतम सीमा के अधीन, भांडागार रसीदों पर दी जाने वाली पेशगियों के अतिरिक्त पेशगियों के सम्बन्ध में एक अग्रेतर सीमा भी, जो कि पिछले वर्षों की उन्हीं अवधियों में इन पेशगियों के स्तर के ९० प्रतिशत के बराबर है, निर्धारित कर दी गई है ।

(घ) जी हां ।

कांग्रेस का भुवनेश्वर अधिवेशन

*९८३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस के भुवनेश्वर में हुए अधिवेशन तथा उसमें किये गये निर्णयों के प्रसंग के सम्बन्ध में कांग्रेस दल से कोई पत्र मिला है;

(ख) उसमें क्या सिफारिशें तथा सुझाव दिये गये हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि कोई उत्तर भेजा गया है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग) एक पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय से प्राप्त हुआ था जिसके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भुवनेश्वर में हुए अधिवेशन में पास किये गये आर्थिक संकल्प की एक प्रति भी थी ।

पत्र की प्राप्ति की सूचना दे दी गई थी ।

निर्यात के कम मूल्य के तथा आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाना

*९८४. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्वन निदेशालय ने संघ सरकार को एक योजना पेश की है जिसमें निर्यात के

कम मूल्य के बीजक बनाने और आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने को रोकने के उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मामले में संघ सरकार के क्या निर्णय हैं ;

(ग) १९६३ में विदेशी मुद्रा विनियम के उल्लंघन के कितने मामले हुए और वह कितनी विदेशी मुद्रा के थे ; और

(घ) मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) : आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के मामलों में प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही के लिये एक योजना प्रवर्तन निदेशक द्वारा सरकार के समक्ष पेश की गई थी और वह विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

(ग) और (घ) प्रवर्तन निदेशालय में १९६३ में दर्ज किये गये मामलों की संख्या ३४५५ थी । इन में से ३७० मामलों पर, जिनमें लगभग ६५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी, २९ फरवरी, १९६४ तक न्याय निर्णय किया गया । ६.७ लाख रु० के जुर्माने किये गये और लगभग २ लाख रु० की विदेशी मुद्रा और भारतीय चलार्थ जब्त की गई ।

सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मूल्य पर अनाज दिया जाना

*९८५ **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मूल्य पर अनाज देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के संघों का परामर्श लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा). (क) और (ख) : महंगाई भत्ता बढ़ाने के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मूल्य पर अनाज देने के प्रश्न पर सरकार अध्ययन कर रही है । इस पर विचार करने में समय लगेगा ।

(ग) कुछ प्रतिनिधियों से सलाह लेने पर विचार किया जायेगा ।

मद्य निषेध

*९८६ **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य निषेध सम्बन्धी टेकचन्द समिति को काम समाप्त करने के लिए चार महीने की

और अवधि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को प्रतिवेदन का प्रथम भाग भेज दिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य विचार तथा सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

(ग) प्रतिवेदन दो खण्डों में होगा । आशा है कि दल प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड अप्रैल, १९६४ के अन्त तक सरकार को दे देगा ।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कृत्य तथा शक्तियां

*१८७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कृत्य तथा शक्तियों की परिभाषा करने के उद्देश्य से विधान पुर:स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष के अन्त से पहले विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान नहर

*१८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर के निर्माण का काम निर्धारित कायक्रम के अनुसार तथा शीघ्रता से नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो काम कितने पीछे है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) काम की प्रगति को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) इसमें एक वर्ष का अन्तर है । ठीक कारणों का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) परियोजना के शीघ्र निर्माण के बारे में उपाय करने के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत हो रही है ।

भुवनेश्वर में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१९९३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर में महालेखापाल, उड़ीसा

के श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : २५६ अतिरिक्त क्वार्टरों के लिये नक्शे और अनुमान तैयार किये गये हैं । आवश्यक व्यय की मंजूरी शीघ्र ही दी जाने वाली है । निर्माण का काम उसके बाद आरम्भ होगा ।

Medicinal Plant "Sanjeevani"

1994. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Nav Bharat Times dated the 25th March, 1964 that the Chairman of the Medicinal Plants and Garden Committee appointed by the Gujarat Government has discovered the medicinal plant "Sanjeevani" ; and

(b) if so, whether Government have investigated the matter ; and

(c) if so, whether a statement giving details of the discovery will be laid on the Table ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Government have seen the news item.

(b) and (c) Information is awaited from the Government of Gujarat and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

आस्ट्रिया के साथ व्यापार करार

१९९५. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और आस्ट्रिया ने आस्ट्रिया से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किये ;

(ख) यदि हां, तो करार के निबन्धन और शर्तें क्या हैं ; और

(ग) आस्ट्रिया से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा और वहां किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आस्ट्रिया से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तथापि, ये आयात की वस्तुयें दो देशों के बीच २३ नवम्बर, १९६२ और ११ दिसम्बर, १९६३ को हस्ताक्षर किये गये दो ऋण सम्बन्धी करारों के अन्दर आ जाती हैं

(ख) और (ग). इन दो ऋणों, जिनके अन्तर्गत भारत को क्रमश: २३८ लाख और १८३ लाख रु० मिलेगा, की अदायगी २० समान और लगातार अर्धवर्षीय किश्तों में की जायेगी । पहले ऋण की पहली किश्त १ जनवरी, १९६५ को दी जायेगी और दूसरे ऋण की पहली किश्त १ जनवरी,

१९६७ को दी जायेगी । पहले ऋण के लिये ब्याज की दर ६ प्रतिशत है जब कि दूसरे के लिये ५½ प्रतिशत है ।

भारत सरकार को ऋणों के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुओं को चुनने की स्वतन्त्रता होगी बशर्ते कि वस्तुयें आस्ट्रिया की बनी हुई हों और क्रयादेशों का पर्याप्त पालन हो । दोनों ऋणों की नकद अदायगी की जायेगी और भारतीय वस्तुओं के निर्यात के बारे में कोई विचार नहीं है ।

बिजली का घरेलू सामान

१९९६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली के घरेलू सामान के लिये अनिवाय किस्म नियन्त्रण लागू करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में कब निर्णय किये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी से प्राप्त उत्पादन राजस्व

१९९७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३-६४ में चीनी से उत्पादन शुल्क के रूप में कम राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) यदि हां, तो यह आमदनी वर्ष के प्रत्येक चतुर्थ भाग में पिछले वर्ष की उन्हीं अवधियों के मुकाबले में कैसी थी ; और

(ग) आमदनी की इस कमी से चीनी के उत्पादन में कितनी कमी का पता चलता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय मे रख गया । देखिये संख्या एल टी-२६७१/६४]**

(ग) क्योंकि उत्पादन शुल्क निकासी के समय लिया जाता है, इसलिये राजस्व की कमी से उत्पादन की कमी का सही पता नहीं चल सकता । तथापि, उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि १९६३-६४ में उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबिले में १३०१ (०००) क्विंटल कम रहा ।

उत्तर प्रदेश में सुनारों को पुनः रोजगार दिलाना

१९९८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के कारण बेरोजगार हुए सुनारों के बच्चों की शिक्षा के लिये, वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) क्या राशि मंजूर की जा रही है ; और

(ग) कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न विचाराधीन हैं ।

"सेवा गृह"

१९९९. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कई मंजिलों वाली इमारत में "सेवा गृह" जिसकी स्थापना सम्बन्धी योजना को उनके मंत्रालय ने अनुमोदन कर दिया है और जो जनपथ (दिल्ली पर स्थापित किया जायेगा, के द्वारा किस प्रकार की सेवा की जायेगी और इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): "सेवा गृह" स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जनता के लिये एक केन्द्रीय स्थान पर सभी प्रकार की प्रवीण मंत्रणा और राय की व्यवस्था करना है । भवन में सभी प्रकार के व्यवसायिक व्यक्ति और विशेषज्ञ होंगे, जैसे कि डाक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, सलाहकार इंजीनियर, औद्योगिक सलाहकार आदि । भवन का डिजाइन नवीनतम होगा और इसमें तहखाना और अर्ध तहखाना और १० मंजिलें होंगी, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था तहखाने और अर्ध तहखाने के क्षेत्र में होगी । भवन वातानुकूलित होगा और इसमें ४ लिफ्टें होंगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में २२ फरवरी, १९६४ को दिल्ली के लिये सलाहकार समिति की हुई बैठक में उस समिति नें कई मंजिलों वाली इमारत, जिसे कि सेवा गृह कहा जायेगा, के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव का सामान्य रूप से अनुमोदन किया । प्रस्ताव का नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अभी तक अन्तिम रूप से अनुमोदन नहीं किया गया है । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत, दिल्ली परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित रूप में, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अनुमोदित किये जाने पर इस परियोजना की अनुमानित लागत की ५० प्रतिशत रकम सरकार से इसकी क्रियान्विति के लिये ऋण स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। शेष ५० प्रतिशत रकम नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने संसाधनों से पूरी की जा सकती है । अनुमानित लागत ७१.५३ लाख रु० बनती है और आशा है कि सारी राशि १० वर्ष में वापस कर दी जायेगी ।

बंगाल और बिहार में विद्युत उत्पादन

२०००. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारदीश राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला धोने के कारखानों के उपोत्पादों को इस्तेमाल कर के केन्द्रीय सरकार द्वारा बंगाल बिहार क्षेत्र में क्या विद्युत कार्यक्रम अपनाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में नीति का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) मामले में भारत सरकार की नीति यह है कि, जहां तक संभव हो, विद्युत उत्पादन क्षमता के भावी विकास की योजना इस ढंग से बनाई जाये कि कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त दरम्याने कोयले (मिडलिंग्स) का उपभोग किया जा सके। जिन मामलों में किन्हीं क्षेत्रों की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने की बजाय 'वाशरी मिडलिंग्स' पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उन क्षेत्रों को बिजली भेजना सस्ता पड़े, वहां दूसरे विकल्प को अधिमान दिया जायेगा, बशर्ते कि 'वाशरी मिडलिंग्स' उपलब्ध हों ।

बंगाल बिहार क्षेत्र में १९६४–६५ और १९६५–६६ के लिये "मिडलिंग्स" की प्रत्याशित उपलब्धता क्रमशः २८.९ और ४१.६ लाख मीट्रिक टन है। इन मात्राओं में और उसी क्षेत्र में बिजली घरों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं में परस्पर अनुपात स्थापित किया जा रहा है। चौथी योजना के लिये विद्युत् विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में, विद्यमान बिजली घरों का विस्तार कर के या नये बिजली घर स्थापित कर के, अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता की स्थापना उक्त पैरा में उल्लिखित नीति के अनुसार की जायेगी। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक 'वाशरी मिडलिंग्स' की उपलब्धता लगभग १४८ लाख मीट्रिक टन हो जायेगी।

कंजिरापुरा सिंचाई योजना

२००१. **श्री प० कुन्हन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने केरल में कंजिशपुरा सिंचाई योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब क्रियान्वित होने की आशा है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने योजना की क्रियान्विति के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां, २४-३-१९६४ को।

(ख) प्रारम्भिक निर्माण कार्य चालू है।

(ग) जी हां, इस योजना और अन्य परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये उन्होंने २ से ३ करोड़ रु० तक की अतिरिक्त राशियों की मांग की है। परन्तु उपलब्ध संसाधनों और अनुमोदित कार्यक्रमों के बीच पहले से जो बड़ा अन्तर है उसके कारण इस प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

२००२. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं चालू हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९६३–६४ में केन्द्र द्वारा राज्य को कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) उड़ीसा राज्य में दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं, अर्थात्, बारपाली और जाजपुर परियोजनाएं चालू हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६३–६४ के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार के लिये ६ लाख रु० की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर की है।

विदेशी साथों को दी गयी रायल्टी

२००३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा विदेशी साथों को दी गयी रायल्टी की कुल रकम कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): विदेशी साथों को दी गयी रायल्टी के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं परन्तु इनको व्यापारिक चिन्हों के प्रयोग, प्रतिलिप्यधिकार और विदेशी मशीनों आदि के रूप में दिये गये किराये सम्बन्धी आंकड़ों के साथ भुगतान-संतुलन तालिका में मिला दिये जाते हैं। सरकार के पास जिस अन्तिम छमाही के आंकड़े हैं वह मई–अक्तूबर, १९६३ है। इस अवधि में रायल्टी समेत इन भुगतानों के कारण विदेशी साथों को २४३.७ लाख रुपया भेजा गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

२००४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्या संख्या है जिनमें वर्ष १९६३–६४ में तीन महीनों से अधिक समय तक कोई डाक्टर नहीं था ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६७२/६४]

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

२००५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने वर्ष १९६३–६४ में कुल कितना लाभ अर्जित किया; और

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उनको किस हद तक प्राप्त किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) गैर-लेखापरीक्षिलेखों के अनुसार फ़ैक्टरी ने वर्ष १९६३–६४ की पहली तिमाही में इस फैक्टरी को ४.८१ लाख रुपये का लाभ हुआ। बाकी तीन महीनों के लेखे अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) फरवरी, १९६४ के अन्त तक कम्पनी ने १३९.४६ लाख रुपये मूल्य का उत्पादन किया जबकि उसी अवधि के लिये उत्पादन का प्राक्कलन १३०.२२ लाख रुपये का था।

प्रबन्ध अभिकरण

२००६. { **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने मामलों में वर्ष १९६३-६४ में समवाय अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरण का विस्तार करने की अनुमति दी गयी और कितने मामलों में अनुमति देने से इन्कार किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में नौ मामलों में वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्ताओं की सेवावधि बढ़ाने की अनुमति दी गयी। और नौ मामलों में यह अनुमति नहीं दी गयी।

बिहार में चेचक के टीके

२००७. **श्री हु० च० सोय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूम जिले में चेचक के टीके के लिये प्रयुक्त होने वाली रूसी औषधि का कोई असर नहीं हुआ और इसकी प्रतिक्रिया बुरी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, नहीं। बिहार के सिंहभूम जिले में प्रयुक्त रूसी शुष्क चेचक के टीके का असर हुआ है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। शुष्क टीका पहले इस्तेमाल की जा रही तरल औषधि से बढ़िया है क्योंकि इसका प्रभाव काफी लम्बी अवधि तक रहता है और प्राथमिक तथा द्वितीय प्रक्रम पर टीका लगाने में इसमें बड़ी भारी सफलता मिलती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Pay Scale of Translators

2008. { **Shri Bade :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any representation has been received from technical assistants or translators to the effect that their pay scales of 210—10—290—15—425 should be revised to 210—10—270—15—435 because as compared to the old scale of 160—10—330, they are put to a loss of Rs. 10 and Rs. 5 in the first and the second year respectively for two years consecutively in the new scale ;

(b) if so, whether their request is proposed to be acceded to and if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes Sir Representations were received from Technical Assistants and certain other similar categories. As compared to the old scale, there is a loss of Rs. 10 and Rs. 5 in emoluments at the stages of Rs. 320 and Rs. 335 in the revised scale (and not in the first and second years of the revised scale) on account of the reduced rate of dearness allowance admissible at those stages.

(b) and (c) The scale is not proposed to be revised as such losses occur in the case of other categories of employees also for the same reason It was also open to the employees concerned to avoid the loss by exercising an option to come over to the revised scale from a suitable date after 1-7-1959, the date of effect of the revised scales of pay.

पंजाब में लोहे की चादरों की कमी

२००९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में मकानों की छतों के लिये नालीदार लोहे की चादरों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान पर अन्य वस्तु निकालने के लिये, जिसे लोग आसानी से खरीद सकें, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम में १,६०,००० टन जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों के उत्पादन के लिये उपबन्ध किया गया है । दो गैर-सरकारी फर्मों ने भी तेल-शोधन कारखाने के उपोत्पाद, कोलतार से कोलतार और रेत मिली नालीदार चादरों के निर्माण के लिये कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस लिये हैं ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

२०१०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत आवास कार्य के लिये दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान से आये अनेकों गन्दी बस्ती निवासियों ने, जिनको इस योजना के अन्तर्गत भूमि दी गयी थी, अपने प्लाट बेच दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) अभी तक दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किये लोगों को झुग्गी तथा झोंपड़ी सफाई योजना के अन्तर्गत ७,८२९ प्लाट (२५–२५ वर्ग गज के ४,२६४ और ८०–८० वर्ग गज के ३,५६५) आवंटित किये गये हैं ।

(ख) इस बात का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता कि आवंटिती किस राज्य के हैं । तथापि, यह पता लगा है कि लगभग ३०० प्लाट बिके हैं ।

(ग) सभी मामलों में 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं । लगभग २०० आवंटितियों का आवंटन रद्द कर दिया गया है और उनसे कब्जा वापस लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

आर्थिक सर्वेक्षण

२०११. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग को तिरुचि के दो कालिजों द्वारा किये गये आर्थिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की उपपत्तियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) उपपत्तियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६७३/६४]**

Illicit Distillation in Delhi

2013. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that illicit distillation is increasing day by day in Delhi ;

(b) if so, the number of cases of illicit distillation detected last year ; and

(c) the number of persons prosecuted in this connection ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) There has been some increase in the number of cases of illicit distillation detected during 1963, as compared to the preceding years—

Year	No. of cases of illicit distillation detected
1961.	106
1962.	95
1963.	140
(b)	140
(c)	159

कोयला परिवहन समस्या

२०१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विदेशी परामर्शदाताओं के दल ने भारत में कोयला परिवहन समस्या के बारे में अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह कार्य अन्तिम चरण में है और काम को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई अनुचित विलम्ब हुआ है ।

धोखा-निरोध[1] दस्ता

२०१४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निगमित क्षेत्र में धन सम्बन्धी अपराधों को रोकने और दण्ड देने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त धोखाविरोधी दस्ता स्थापित करने के प्रस्ताव पर कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : राजस्व विभाग के अधीन वर्तमान छापा और गुप्तचर सगठनों के क्षत्र और कार्य का अध्ययन करने और इनकी गतिविधियों को समेकित करने और कार्य-क्षेत्र बढ़ाने के लिये सुझाव देने के लिये एक 'आफिसर ओन स्पेशल ड्यूटी' नियुक्त किया गया है । इस पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और अब वह सरकार के विचाराधीन है ।

T. B. Sanatorium in Distt. Sikar, Rajasthan

2015. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Shri Kalyani Arogya Sadan (T.B. Sanatorium) Saraswati, District Sikar, Rajasthan" is under construction ;

(b) if so, the assistance given by the Central Government for the hospital; and

(c) the number of beds to be provided therein ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes. Shri Kalyan Arogya Sadan is constructing a T.B. Hospital at Sanwali, Sikar District, Rajasthan.

(b) The following grants have been sanctioned so far to the hospital for the purposes mentioned against each :—

Year	Amount	Purpose
	Rs.	
1962-63	10,000	for starting a clinic and T.B. Control programme.
1962-63	30,000	for the purchase of 100 M.A. X-Ray plant.
1963-64	50,000	for the purchase of one operation table, operation light (mobile) on a stand, Boyle's anaesthesia apparatus, steam sterilizer, electric sterilizer, cold water sterilizer, electric sterilizer and bowl sterilizer, electric sterilizer apparatus & portable sterilizer (instrument).

(c) 600 beds.

[1]Anti Fraud Squad.

सूती कपड़े का जब्त किया जाना

२०१६. **श्री जेधे :**
श्री मा० ल० जाधव :
श्री लोनीकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में राज्य वार, सूती हथकरघा कपड़े की जब्ती के मामलों की संख्या क्या है ;

(ख) जब्त किये गये कपड़े की क्या मात्रा है और कितने मामलों में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) इन मामलों को अन्तिम रूप से निबटाने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें (१) वर्ष १९६३ में इस आधार पर रोके गये/जब्त किये गये सूती हथकरघा कपड़े के मामलों की राज्यवार संख्या दी गई है, कि इस कपड़े को उत्पादन स्थल से बिना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क चुकाये उठाया गया; (ख) रोके गये/जब्त किये गये कपड़े की मात्रा दी गई है ; और

(ग) मामलों की वर्तमान स्थिति बताई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६७४/६४]**

सूत के स्टाक पर उत्पादन-शुल्क

२०१७. **श्री जेधे :**
श्री लोनीकर :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ फरवरी, १९६४ और १ मार्च, १९६४ को लिये गये धागे के स्टाक पर भेदात्मक उत्पादन शुल्क वसूल करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी विशेष दिन तैयार 'साइज्ड बीम' पर भी शुल्क लगाया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादनशुल्क अधिकारी 'साइज्ड बीम' के वजन पर और 'कोरे धागे' के शुद्ध वज़न पर शुल्क वसूल कर रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं। एक कम्पोज़िट मिल में बुनने के लिये इस्तेमाल न किये जाने वाले सूती धागे पर शुल्क की दो दरें हैं; (१) कारखाने में गुच्छों के रूप में भेजे जाने वाले इकहरे धागे, चाहे वह कोरा हो या रंगा हुआ, और बटे हुए धागे पर (केवल कोटा) शुल्क की निम्न दर और (२) अन्य धागे के लिये उच्च दर। १ मार्च, १९६४ से 'बीमिंग, वारपिंग, वाइंडिंग, रीलिंग' आदि को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ के प्रयोजन के

लिये निर्माण का ही एक तरीका माना गया है। तदनुसार यदि आरम्भ में शुल्कों में दिया गया धागा, जिस पर निम्न शुल्क दर लगा हो, इन कामों में आये तो उस पर भेदात्मक शुल्क लगाया जायेगा, चाहे वह धागा १ मार्च, १९६४ से पहले समाप्त किया गया हो या बाद में।

(ख) १ मार्च, १९६४ से केवल साइज्ड धागे पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाया गया है। तदनुसार यदि आरम्भ में धागा गैर साइज्ड रूप मे निकाला जाये और फिर बिजली की सहायता से इसको साइज्ड बनाया जाये तो उस पर विशेष उत्पादन शुल्क लगेगा।

(ग) भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर मे बतायी गयी स्थिति पर गैर-साइज्ड कोरे धागे के वजन के आधार पर 'कोरे' अथवा 'साइज्ड' धागे पर केन्द्रीय उत्पादन-शल्क तथा विशेष उत्पादन-शुल्क लगता है ; तथापि, जहां धागा अन्य प्रकार का है, तैयार किये गये धागे के वजन के हिसाब से शुल्क लगाया जाता है।

(घ) जहां तक सरकार को पता है, उत्तर नकारात्मक है

महंगाई भत्ता

२०१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४०० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधियां

२०१९. **श्री रामपुरे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न अस्पतालों में आयर्वेदिक औषधियों के मूल स्टैण्डर्ड निर्धारित करने के लिये सेल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जोकि इन औषधियों की असलियत की गारंटी कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के क्या नाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक औषधि समिति ने ६–८ फरवरी, १९६४ को हुई अपनी बैठक में यह विचार व्यक्त किए कि उन अस्पतालों में, जिनसे फार्मेसियां सम्बद्ध हैं, एक औषधि और मिश्रित मिश्रण तैयार करने के बारे में मूल स्टैण्डर्ड निर्धारित करने के लिये, सेल स्थापित करना वांछनीय है। यह अभी राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र कर रही है और अभी सरकार को कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं।

अध्ययन पर्यटन

२०२०. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विदेशों को अध्ययन पर्यटनों के लिये भेजे गये विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी पदाधिकारियों की क्या संख्या है ;

(ख) अध्ययन कार्य के लिये उन में से कितनों को दूसरी बार भेजा गया है ; और

(ग) उन में कितनों ने सरकारी सेवा छोड़ दी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिंचाई सुविधायें

२०२१. **श्री जेधे :**
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री बसवन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से विभिन्न राज्यों में भूमि की सिंचाई के बारे में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है ; और

(ख) इस वृद्धि के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की क्या कसौटी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिये सिंचाई सुविधाओं में की गई प्रतिशत वृद्धि बताई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-२६७५/६४]**

(ख) कसौटी तृतीय पंचवर्षीय योजना के २४वें अध्याय में निर्धारित है।

दिल्ली वृहद योजना

२०२२. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली वृहद योजना के लागू होने से पूर्व राजधानी में स्थापित किये गये कितने कारखानों को गैरकानूनी और अहितकारी माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको हटाने के लिये अथवा वृहदयोजन के अन्तर्गत नियमित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिल्ली में बेहूदा और अहितकारी उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार गैर-स्वीकृत क्षेत्रों में लगभग ९८६० उद्योग धंधे चल रहे हैं। इनमें से १००७ कारखाने 'अहितकारी उद्योग' की श्रेणी में आते हैं।

(ख) वृहद योजना के उपबन्धों के अनुसार, इन उद्योगों का धीरे धीरे स्थानान्तरण किया जायेगा ताकि उत्पादन पर कम से कम प्रभाव पड़े और उद्योग कर्मचारियों को कोई अनुचित कठिनाई न हो। स्थानान्तरण के कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्राथमिकता 'अहितकारी उद्योगों' को दी जायेगी।

Committee on relationship between cities and villages

2023. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Health** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 153 on the 13th February, 1964 and state :

Whether the committee on relationship between cities and villages has submitted its report;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The terms of reference of the Committee are wide and require considerable spade-work. There has been a considerable delay in the receipt of replies to the questionnaire issued by the Committee. The Committee has to visit the various States to record opinion and evidence on the various issues. The Committee has, however, submitted an interim report on one of its terms of reference *viz.* Urban Community Development Programme.

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

२०२४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३--६४ में कुल कितने विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी गयी ;

(ख) इसी अवधि में उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी; और

(ग) क्या इसी अवधि में किसी विद्यार्थी को विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

Development of U. P.

2025. **Shri B. N. Kureel :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of Uttar Pradesh during the First, Second and Third Five Year Plans (Separately) ; and

(b) the amount that has actually been given to and spent by the Uttar Pradesh Government during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha) : (a) and (b)—A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Amount allocated and expenditure incurred during the Five Year Plans

(Rs. crores)

	Plan allocation	Expenditure incurred
First Five Year Plan	129.8	105.5
Second Five Year Plan	253.1	229.5
Third Five Year Plan	497.0	366.7*

*(1961-65-anticipated)

Economic Conditions in Eastern U. P.

2026. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Report of the Joint Committee appointed to study the economic conditions of the eastern districts of Uttar Pradesh was recently considered at a meeting of the Planning Commission ; and

(b) if so, the decisions taken therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha) : (a) Yes Sir.

(b) The programme of accelerated development recommended by the Team has been generally accepted. The State Government are working out the details of the programme for 1964-65.

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासी

२०२७. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये आवास की योजना के अधीन बड़े परिवारों को दो मकान देने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). गन्दी बस्तियों के निवासियों के बड़े परिवारों को दो मकान देने के दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि गन्दी बस्तियों के निवासियों की संख्या बनाये गये मकानों की संख्या से बहुत अधिक है और सीमित वित्तीय साधनों तथा भूमि की कमी के कारण यह अन्तर अभी बना रहेगा । बहुत से निवासी एक मकान का सहायता प्राप्त किराया भी नहीं दे सकते हैं । इन को भी मकान दे देने से ये लोग दूसरों को अपने मकानों को किराये पर उठायेंगे अथवा इन पर किराया बहुत बकाया हो जायेगा ।

Health Minister's Visit to Soviet Union

2028. **Shrimati Chavda :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether she had visited the Soviet Union some time back ; and

(b) the useful experiences gained by her with regard to the system of trea ment and nursing in the country ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The Government of U.S.S.R. was reported to be spending over 5 per cent of its overall budget on health matters and the State Government of Azirbaijan was spending 55% on health education and social welfare. The comprehensive health care which includes promotional, preventive, curative and restorative services was noted. Attention to maternal and child health is commendable. Control of communicable diseases has been achieved successfully by the working of the Inspectorate and the Epidemiological and Sanitary units. The population thus gets medical care at all stages and prophylactic cover. Industrial establishments have also first aid posts, poly-clinic hospitals, specialists institutes. The care given to the working population suggests that the U.S.S.R. expects ample returns in efficiency and production due to physical fitness.

The standard of nursing care is as good as in other countries. Medical and para medical personnel and other health workers are about 2 per cent of the population. Health Education is one of the most important activities of the Soviet system and every doctor and para medical personnel carries out Health Education along with other duties. Ample time is given by the National Radio and Television for Health education of the people. The health services of the country have adequate drugs equipment, physical facilities and personnel. The drugs are purchased by the patients attending poiy clinics, though consultation is free. Price of drugs is very reasonable. The importance attached to the utilisation of medicinal plants for the production of drugs was an interesting feature.

Their emergency medical service has provision for helping cases of clinical death due to any cause including coronary thrombosis, head injuries, electrocution, drawning etc., who are attended to by mobile teams. In the case of clinical deaths if a report is received within seven minutes, the team would make an attempt to revive the patient by modern techniques, and no death is considered final unless attempts at resuscitation having failed.

Ayurvedic Registered Physicians

2029. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the **Minister of Health** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have authorised the State Governments to declare the Ayurvedic registered physicians as Registered Medical Practitioners ; and

(b) if so, the names of the States which have adopted this system ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No. But under rule 2(ee) of the Drugs Rules State Governments have powers to declare by general order certain persons not holding qualifications under the Indian Medical Council Act as registered medical practitioners.

(b) According to information available such declarations have been made in Rajasthan, Delhi, Punjab, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in respect of certain categories of Ayurvedic and Unani practitioners.

आन्ध्र प्रदेश में मैडिकल कालिज

२०३०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में आन्ध्र प्रदेश में मैडिकल कालिजों के लिये कुल कितना अनुदान स्वीकार किया गया है ; और

(ख) १९६४-६५ में इन कालिजों को कुल कितना अनुदान दिया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख). मैडिकल कालिजों की स्थापना तथा विस्तार तीसरी पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना में शामिल कर ली गई है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये इकट्ठा धन दिया जाता है तथा केवल एक योजना के लिये नहीं दिया जाता है। मैडिकल कालिजों की योजना समेत सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को १९६३-६४ को ४९.८५ लाख रुपया दिया गया था।

आपातकाल योजना, जिस को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना मान लिया गया है, के अधीन मैडिकल कालिज के विस्तार के लिये १९६३-६४ में राज्य सरकार को ४,९०,००० रुपये स्वीकार किये गये थे।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं तथा मैडिकल कालिजों के आपात कालीन विस्तार के लिये १९६४-६५ में तब आवंटन किए जायेंगे जब इसमें अतिरिक्त विद्यार्थी दाखिल होंगे।

Laxmi Bank

2031. **Shri Kachhavaiya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money collected and paid to the depositors of the Laxmi Bank so far ; and

(b) when the liquidation proceedings are expected to conclude ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) According to the information furnished by the Official Liquidator the total realisations made upto the 31st December, 1963, amounted to Rs. 147.63 lakhs. Besides payments to secured creditors amounting to Rs. 60 lakhs a total sum of Rs. 24.85 lakhs (including Rs. 5.33 lakhs remitted to the Companies Liquidation Account) was paid to the depositors upto that date.

(b) As a police investigation is in progress and as a number of suits are also pending in the courts, it is not possible to indicate at this stage when the winding up will be completed.

उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य

२०३२. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तथा दूसरे वर्ष में राज्य के स्थानीय विकास कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश को अब तक कितना धन दिया गया है; और

(ख) १९६४–६५ में उक्त कार्य के लिये उत्तर प्रदेश को कितना धन देने का विचार है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम के लिए १९६२–६३ में ११० लाख रुपया तथा १९६१-६२ में ८९.४ लाख रुपया सहायता के रूप में दिया गया था।

(ख) १९६४–६५ के लिये स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम के लिये राज्यवार निधि के आवंटन पर विचार किया जा रहा है।

शरवती जल विद्युत परियोजना

२०३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरवती जल विद्युत् परियोजना के लागत प्राक्कलनों को पुनः बढ़ाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) शरवती परियोजना–क्रम १ के लागत प्राक्कलन १९६१ में तथा १९६२ में बढ़ाये गये थे। प्राक्कलनों को और बढ़ाने के बारे में भारत सरकार को नहीं बताया गया है। व्यावर की परियोजना, क्रम २ के लागत प्राक्कलन बदले जा रहे हैं।

(ख) (१) मूल प्राक्कलन जो १९५६ की दरों पर आधारित थे उस समय बहुत कम पाये गये जब दूसरी योजना के अन्तिम भाग में क्रम १ का काम होने लगा था।

(२) और आगे अध्ययन करने के बाद यह उचित समझा गया कि क्रम १ के कार्यों तथा इसके डिज़ायन में फेरबदल कर दी जाये।

भाखड़ा जलाशय

२०३४. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा जलाशय के बनने के बाद प्रत्येक वर्ष उसमें कितना रेत जमता रहा है;

(ख) इसको रोकने में भू-संरक्षण कार्यों को कहां तक सहायता मिली है;

(ग) योजनानुसार यह जलाशय कब तक बना रहेगा; और

(घ) इस जलाशय के अब कब तक बने रहने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) १९५९–६० से १९६२–६३ के चार वर्षों में रेत जमने के आधार पर प्रति वर्ष लगभग २५,००० एकड़ फुट।

[डा० कु० ल० राव]

(ख) भू-संरक्षण काम हो रहे हैं परन्तु उनके प्रभाव का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) यह अनुमान है कि २६० वर्षों में पूरा भांडार धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा तथा आर० एल० १६६० तथा ६३० वर्षों में समस्त स्टोरेज समाप्त हो जायेगा।

(घ) प्रारम्भिक क्रम में रेत अधिक जमा होता है और इसलिये वास्तविक रेत जमने के आधार पर जलाशय के बने रहने की अवधि का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है।

Quarters at Minto Road, New Delhi

2035. Shri K. C. Sharma. Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Government quarters are lying vacant at Minto Road, New Delhi and if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that some of the said quarters, declared less dangerous, have been allotted to such Government employees whose quarters were got vacated for dismantling in that very area ; and

(c) whether quarters of that very type have been allotted to them to which they were entitled?

The Minister Of Works, Housing And Rehabilitation (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) to (c). Out of 1320 houses in the Minto Road area, 238 houses re lying vacant. Schemes for the re-development of the entire Minto Road area have been outlined under which old houses will be demolished and the site cleared for redevelopment and reconstruction. In the process of implementing these schemes, some of the houses have been got vacated by shifting the occupants while some other houses have not been further allotted having been declared unsafe by the C.P.W.D. All vacancies in the Minto Road area, where the houses are fit for occupation and not immediately required for demolition have been utilised for providing alternative accommodation. In the case of others, alternative accommodation is being provided in other Government Servants' colonies. Alternative accommodation is being provided according to the entitlement of the officers as provided in the Allotment Rules.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बम्बई बन्दरगाह के टग के मल्लाहों की कथित हड़ताल

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं तथा उनसे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं :

"बम्बई बन्दरगाह के टग के मल्लाहों की कथित हड़ताल"।

परिवहन मंत्रालय में नोवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : ७ फरवरी, १९६४ को एस० टी० 'आनन्द' सर्वेक्षण के लिये भेजा गया। हमेशा से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, इंजन रूम के चालकवृन्द कई निर्धारित कार्यों में इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की सहायता किया करते हैं। इस बार मौखिक रूप से कहे जाने पर और लिखित आदेश दिये जाने पर भी उन्होंने अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से मना कर दिया। इसलिये ४ अप्रैल, १९६४ को छः सम्बन्धित मल्लाहों को कारण बताओ सूचनायें भेजी गयीं कि उनके विरुद्ध क्यों न अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। उन्हें ९ अप्रैल, १९६४ तक स्पष्टीकरण देना था अतः उस समय तक कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस मामले पर पत्तन न्यास अधिकारियों के साथ कोई बातचीत किये बिना ही और कारण बताओ सूचनाओं का उत्तर दिये बिना ही तथा बिना कोई अभ्यावेदन किये, छः सम्बन्धित मल्लाहों तथा फ्लोटिल्ला के कुछ मल्लाहों ने बम्बई पोर्ट ट्रस्ट जनरल वर्कर्स यूनियन के सहयोग में अचानक ही अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी और आरोप-पत्रों को रद्द करने की मांग की है। यह हड़ताल केवल गैर-कानूनी ही नहीं अपितु न्यायसंगत भी नहीं है और परिवहन मंत्री को उसी यूनियन द्वारा दिये गये आश्वासन के उल्लंघन में है।

पोर्ट ट्रस्ट ने हड़ताल की अवधि में भी २५ जहाज चलाये हैं। नौसेना का सहयोग भी लिया जा रहा है। कल से ६ टग स्वामिभक्त कार्मिकों द्वारा चलाये जा रहे हैं; एक लौंच नेवी द्वारा तथा तीन लौंच पोर्ट ट्रस्ट के नौचालकवृन्द द्वारा चलाये जा रहे हैं।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा समझौता कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि प्राधिकारियों के विरुद्ध कर्मचारियों की कुछ पुरानी शिकायतें हैं जिनके लिये उन्होंने अभ्यावेदन भी किये हैं और यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि इस आधार पर हड़तालें न हों ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में तो लगभग सारी ही शिकायतें दूर कर दी गई हैं। अब भी जिन कुछ असमानताओं का आरोप लगाया जाता है उनका मामला न्यायनिर्णयन के लिये सौंप दिया गया है। यह हड़ताल तो परिपाटी के अनुसार कार्य न किये जाने पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण हुई है जोकि सर्वथा अनुचित है।

श्री बड़े (खारगोन) : यह यूनियन किस राजनीतिक दल के साथ सम्बद्ध है अथवा उसे किस राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है ?

श्री राज बहादुर : मैंने नाम बताया तो है : फेडरेशन आफ पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स एण्ड एम्पलौईज़। मैं समझता हूं हिन्द मज़दूर सभा का समर्थन होगा। किसी के साथ सम्बद्ध होने की बात अनिश्चित है।

Shri Kachhavaiya (Devas) : How much loss we have sustained due to this strike by crew ; how many persons have been prosecuted against and what are the reasons for their resorting to *Satyagraha* ?

Shri Raj Bahadur : This is not a case of *Satyagraha*. As for loss, I have stated that since the strike started, 25 shipping movements have taken place. So many persons have returned to work and we are taking the help of Navy also. No disciplinary action has been taken.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : How much loss approximately might have been caused to traders on account of this strike and what assistance will be provided to them ?

Shri Raj Bahadur : The question of traders being put to any loss does not arise at this stage.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितने कार्य कर रहे हैं और कितनों की कमी है ?

श्री राज बहादुर : प्रारम्भ में लगभग ८०० कर्मचारी हड़ताल पर थे, परन्तु ७ और ८ तारीख को बहुत से काम पर वापस आ गये और अब १५ में से छः टग चल रही हैं और आज मध्याह्न पश्चात् और भी चलने लगेंगी ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : क्या सरकार को यह मालूम है कि यह कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है परन्तु यह तो बहुत समय से चली आ रही शिकायतों का परिणाम है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ऐसी हड़तालें भविष्य में न हों ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं बता चुका हूं हम ने इन बातों पर चर्चा की है और बहुत से विवादों को हल किया है । उनके द्वारा कथित कुछ असमानताओं का मामला न्यायनिर्णयन के लिये सौंप दिया गया है । इस मामले में जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा चुका है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सम्पदा शुल्क अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(१) सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ३३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०२१ की एक प्रति जिस में दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६५९ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६६७[६४]**

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक ३१ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ५६७ ।

(दो) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५४६ ।

(तीन) दिनांक १ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५६९ ।

(चार) दिनांक १ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५७० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६६८/६४]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

बावनवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : श्रीमन्, मैं सरकारी उपक्रमों की कर्मचारियों सम्बन्धी नीतियों के बारे में प्राक्कलन समिति का बावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब इस्पात, खान और इंजीनियरिंग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अन्तर चर्चा की जायेगी । श्री पी० सी० सेठी अपना भाषण जारी रखें ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): श्रीमन्, यह आलोचना की गई है कि लोहे और इस्पात उद्योग का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुआ है परन्तु यदि इस उद्योग के अन्य देशों के प्रारम्भिक इतिहास को देखा जाये तो कदाचित यही स्थिति मिलेगी । १९०७ में टाटाओं ने इस क्षेत्र में उत्पादन प्रारम्भ किया था और १९४८ में इस्पात का उत्पादन केवल १२ लाख ६० हजार मीट्रिक टन था । १९४९ से भारत सरकार ने इस क्षेत्र में सतत प्रयत्न किये जिसके परिणामस्वरूप १९५४ में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई । यह देखा गया कि १९६० तक इस देश की इस्पात की समग्र आवश्यकता ४५ लाख मीट्रिक टन की होगी । १९६२–६३ की इस्पात की मांग ५१ लाख मीट्रिक टन की थी जब कि १९६३–६४ के लिये ५६ लाख मीट्रिक टन की मांग का अनुमान लगाया गया था जिसमें से ४४ लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होने की आशा है । हम लगभग १० लाख मीट्रिक टन इस्पात का आयात करते रहेंगे । इस प्रकार इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है ।

कच्चे लोहे की हमारी वर्तमान आवश्यकता का लगभग २० लाख मीट्रिक टन के होने का अनुमान है जिसमें से हमारा इसका स्व देशी उत्पादन अनेक वर्षों में बढ़ते बढ़ते १२ लाख मीट्रिक टन हो गया है ।

सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों ने गत वर्षों में और चालू वर्ष में काफी अच्छी प्रगति की है । १९६३ में रूरकेला का उत्पादन ९१,४१७ मीट्रिक टन था जोकि निर्धारित क्षमता का १०८ प्रतिशत है । श्रमिकों के धीरे कार्य करो आन्दोलन धमन भट्टियों के बन्द हो जाने और हाल के साम्प्रदायिक दंगों के कारण उत्पादन की गति कुछ मन्द हो गई है ।

भिलाई में मुख्य उत्पादों का उत्पादन निर्धारित क्षमता से अधिक रहा है । उदाहरणर्थ अप्रैल से दिसम्बर, १९६३ तक भिलाई में ८,९८,०२९ मीट्रिक टन कोक ९,६८,६५४ मीट्रिक टन लोहा ८,४९,३९२ मीट्रिक टन इस्पात पिण्ड, १,६६,९९१ टन अर्ध-निर्मित इस्पात और ४,८८,८४५ मीट्रिक टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ है ।

[श्री प्र० चं० सेठी]

दुर्गापुर में भी हाल के महीनों में अधिकांश संयंत्रों में उत्पादन निर्धारित क्षमता से अधिक हुआ है ।

विस्तार कार्यक्रमों के अनुसार, रूरकेला संयंत्र की क्षमता को बढ़ा कर १० लाख टन से १८ लाख टन, भिलाई की १० लाख टन से बढ़ा कर २५ लाख टन और दुर्गापुर की १० लाख टन से बढ़ा कर १६ लाख टन करने का विचार है । रूरकेला का विस्तार पश्चिम जर्मन सरकार के सहयोग से किया जा रहा है । भिलाई का विस्तार रूस सरकार के सहयोग से किया जा रहा है जिस पर कुल १५२ करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से ६७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय होगा । दुर्गापुर संयंत्र के प्रसार कार्यक्रम पर ६० करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से २५ करोड़ ६० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय होगा जिसके लिये इंगलैंड से सहायता मिलेगी । इस प्रकार तीनों संयंत्रों का विस्तार कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है ।

केवल वर्तमान अथवा तृतीय योजनाकाल की आवश्यकताओं को ही नहीं अपितु भविष्य की देश की इस्पात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने एक कर्णधार दल नियुक्त किया है जिसका अनुमान है कि १९७०-७१ तक हमारी मांग कच्चे लोहे की ३४.६२ लाख मीट्रिक टन, बेल्लित लोहे की १३५.९४ लाख टन और पिण्डों की लगभग १८२.८७ लाख टन हो जायेगी । इसलिये अतिरिक्त क्षमता के लिये आयोजन किया गया है और कर्णधार दल ने बहुत से सुझाव दिये हैं जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का प्रसार भी सम्मिलित है ।

संयंत्र के विस्तार के साथ साथ लागत में कमी होती जाती है । इस्पात संयंत्रों का विस्तार इस प्रकार से करने का विचार है : टाटाओं का १० लाख से ३० लाख मीट्रिक टन, इंडियन आयरन का १० लाख से २० लाख मीट्रिक टन, भिलाई का २५ लाख से ३५ लाख मीट्रिक टन, दुर्गापुर का १६ लाख से ३० लाख मीट्रिक टन और रूरकेला का १८ लाख से २५ लाख मीट्रिक टन । बोकारो संयंत्र की भी निर्धारित क्षमता लगभग ४० लाख मीट्रिक टन की होगी । रूस ने २० से २५ लाख मीट्रिक टन के इस्पात संयंत्र के लिये एक बड़ी योजना तैयार की है परन्तु हमें इस सम्बन्ध में परिवहन आदि अनेक समस्याओं पर विचार करना होगा ।

हमारे अधिकांश वर्तमान इस्पात संयंत्र पूर्वी प्रदेश में हैं । इस्पात संयंत्रों की प्रादेशिक बांट भी आवश्यक समझी जाती है इसलिये भिलाई को चुना गया था । दक्षिण में और बन्दरगाहों में इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का हमारा विचार है । इस उद्योग का भिन्न भिन्न प्रदेशों में होना सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है । अतएव, इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कर्मचारियों के मकानों की बात उठाई थी उस सम्बन्ध में यह कहना है कि रूरकेला में विस्तार के पश्चात् १५,००० मकानों की आवश्यकता होगी जिसमें से ११,६०६ बनाये जा चुके हैं ; भिलाई में लगभग ११,००० मकान बनाये जा चुके हैं और दुर्गापुर में लगभग १०,३०० मकान बनाये जा चुके हैं तथा २,००० का निर्माण हो रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : अभी तक भी कितने कर्मचारियों को मकान नहीं दिये गये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : ७० या ७५ प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को मकान दिये जा चुके हैं और हम गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से अधिक सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक कमरे के मकान भी बनाये गये हैं जिनकी प्रधान मंत्री महोदय ने भी निन्दा की है ।

श्री प्र० चं० सेठी : अब सभी मकान तो एक ही दिन में नहीं बनाये जा सकते । इसमें समय लगेगा । हमारा प्रयत्न यह है कि इस्पात संयंत्रों के सभी कर्मचारियों को मकान मिल जायें ।

१९७०–७१ तक कच्चे लोहे की हमारी मांग लगभग ४० लाख मीट्रिक टन की होगी । इस समय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में १२ लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है तथा आशा है कि ७ लाख ५० हजार टन का उत्पादन लाइसेंस शुदा गैर-सरकारी फर्मों द्वारा किया जायेगा । फिर भी लगभग २२ लाख मीट्रिक टन की कमी रहेगी । इसलिये दुर्गापुर और भिलाई में नई धमन भट्टियां स्थापित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त ४ लाख टन क्षमता वाली ६ और धमन भट्टियों के स्थापित होने की आशा है जिससे कच्चे लोहे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

अन्त में मैं अयस्क और विशेष इस्पात के बारे में कहूंगा । कर्णधार दल ने अनुमान लगाया है कि अयस्क और विशेष इस्पात की मांग घटिया प्रकार के अयस्क वाले अधिक मजबूत इस्पात की १ लाख मीट्रिक टन और विद्युत इस्पात की १ लाख ८० हजार मीट्रिक टन होगी । लगभग १० लाख मीट्रिक टन की कुल आवश्यकता होगी जिसमें से गैर-सरकारी क्षेत्र की २३ परियोजनाओं, जिनके लिये लाइसेंस दिये गये हैं और जिनके १९७०–७१ तक उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है, और दुर्गापुर तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स भद्रावती में लगभग ३,३४,४०० मीट्रिक टन विशेष इस्पात का उत्पादन होगा । ४,१४,००० की कमी रह जायेगी जिसके लिये सभी सम्भव साधनों को खोजना होगा । आशा है कि अगले कुछ वर्षों में इसके लिये दुर्गापुर व भद्रावती संयंत्रों का प्रसार किया जायेगा और शायद नये लाइसेंस भी दिये जायेंगे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : सरकारी क्षेत्र के तीनों बड़े बड़े इस्पात संयंत्रों की प्रशंसा करना उचित नहीं है । इन परियोजनाओं पर मूलत: अनुमानित व्यय से कम से कम तीन गुना, कहीं कहीं पांच गुना भी व्यय हुआ है । इनकी प्रगति बहुत असन्तोषजनक रही है और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हमारे इस्पात का उत्पादन व्यय विश्व के समान मूल्य की तुलना में बहुत कम था और आयात किये जाने वाले इस्पात का मूल्य हमें अधिक पड़ता था जिसके लिये उसे स्थानीय इस्पात के साथ मिलाकर एक पूल में रख कर तदर्थ मूल्य निकाल लिया जाता था । मूल्य के समानीकरण की यह प्रक्रिया त्याग दी गई है और उसके अनेक कारण बताये गये हैं परन्तु सब से महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे स्थानीय उत्पादन की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ।

विद्युत् उपकरण, परिवहन उपकरण, इस्पात और धातुकार्मिक उद्योग उपकरण तथा खनन उपकरण के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है । उर्वरक और रासायनिक सामग्री की स्थिति बहुत ही खराब है । निर्माण सम्बन्धी सामग्री और औद्योगिक मशीनों का कार्य प्रारम्भिक स्थिति में ही है । कम मूल्य वाली कार के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने जो वचन दिया था वह पूरा नहीं कर पाई है और इस विकास कार्य के न किये जाने के उचित कारण भी वे नहीं बता सके हैं ।

सरकार विदेशों से ऋण और भीख मांगती रही है और इस क्षेत्र में भी हमारा कार्य संतोषप्रद नहीं है । १९६३–६४ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के अनेक देशों ने ३,००० करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देना स्वीकार किया है जिसमें से हमें १४५१ करोड़ रुपये का उपयोग अभी करना है ।

[श्री रंगा]

छोटी परियोजनाओं के कार्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है । फिर सभी छोटी परियोजनाओं पर समान ध्यान नहीं दिया जाता है— किसी के कार्य की प्रगति अधिक है तो किसी की कम जैसा कि रामचन्द्रपुरम के भारी विद्युत् उपरकण संयंत्र और तिरुचिरापल्ली के हाई प्रैशर बायलर संयंत्र के मामले में हो रहा है ।

इन भारी परियोजनाओं की केवल लागत ही बहुत अधिक नहीं है अपितु इनकी उत्पादन क्षमता और लाभप्रदायक क्षमता के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति भी सरकार नहीं कर पा रही है । इनके विकास पर ध्यान तो अवश्य दिया जाना चाहिये परन्तु साथ ही खाद्यान्न उत्पादन को अधिक पूर्ववर्तिता देना आवश्यक है । यदि किसी कृषि श्रमिक से पूछा जाये तो वह कहेगा कि उसकी आय भी औद्योगिक श्रमिक के समान १०० रुपये प्रति मास होनी चाहिये ; परन्तु सारी बात उसी पर छोड़ देने से वह ३० रुपये मासिक भी नहीं कमा पाता । ठीक यही स्थिति हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और इन बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की है ।

सरकार ने जो यह घोषणा की है कि अमरीकी सहायता न मिलने पर भी हम बोकारो संयंत्र अवश्य बनायेंग तो उस सम्बन्ध में क्या यह बताया जा सकता है कि क्या हमारे पास इसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा, स्थानीय निधियां, तकनीकी जानकारी तथा प्रशिक्षित कर्मचारी हैं । सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि संयंत्र स्थलो पर प्रशिक्षण संस्थाओं के खोलने पर हमारे पास अपेक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं । इस अवस्था में यदि बोकारो परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति बाद में प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजने होंगे, जैसा कि अन्य परियोजनाओं के मामले में हो रहा है, और इस पर जनता का धन बहाया जायेगा । अतएव यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले में दिखावे की बात को छोड़ कर सावधानीपूर्वक यथार्थ स्थिति के अनुकूल कार्य करे । बोकारो के लिये जो एक स्थल चुना गया है वहां तो पहले ही दुर्गापुर आदि अन्य संयंत्र निकट में स्थापित हैं । सामरिक दृष्टिकोण से भी इस संयंत्र को कहीं अन्यत्र ही स्थापित करना अच्छा होगा । अमरीकी सहायता से वंचित होने मात्र पर ही सरकार को इसे इज्जत का भी या अपनी गरिमा का मामला नहीं समझना चाहिये अपितु इस पर पुनर्विचार करना चाहिये और इसे नया रूप देना चाहिये इसी स्थल के लिये सरकार अपने को बाध्य न समझे ।

पहले हमें यह बताया गया था कि सरकारी उपक्रमों का एक बड़ा लाभ यह होगा कि हमें श्रमिकों से अधिकतम सहयोग मिलेगा परन्तु आज भी हड़ताल देखी जाती हैं जैसे कि भोपाल में जहां कि हमें ४ लाख रुपये प्रति दिन की हानि हुई है और रूरकेला जैसी परियोजना में धीमे कार्य करो कार्यक्रम अपनाये जाते हैं । इन सब का कारण यह है कि उन उपक्रमों में सरकार ने गलत नीति अपनाई हुई है । श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिये जिससे कि वह यह अनुभव करें कि संयंत्र उनके अपने हैं और उनमें वे साझीदार के रूप में हैं और प्रबन्धकों के साथ संहयोग करने की उनकी जिम्मे दारी है। सरकार को अब इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अथवा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रस अथवा हिन्द मजदूर सभा जैसे कार्मिक संघों की दृष्टि से ही नहीं सोचना चाहिये क्योंकि उन पर भी राजनीतिक दलों का प्रभाव है जो कि इनके द्वारा अपना हित साधन करते हैं । स्थानीय सरकारों पर भी बात छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी भी अपनी राजनीतिक चाले हैं और वे अनेक शरारतें करते हैं । हिन्द मजदूर सभा जैसे वार्षिक संघ को मान्यता नहीं दी गई है जिससे उसके नेता आदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और विवाद उठ खड़े होते हैं । अब तो ऐसा समय आ गया है कि सरकार को मजदूरों के साथ अपने ही कर्मचारियों जैसा व्यवहार

करना चाहिये । श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच कोई ऐसी संस्था होनी चाहिये जिससे वे लोग कोई विवाद खड़ा होने पर उससे विवाद के निपटारे की प्रार्थना कर सकें । श्रमिक कानूनों का श्रमिकों के विरुद्ध अनुचित लाभ उठाया जा रहा है जो कि नहीं किया जाना चाहिये । त्रिदलीय श्रम सम्मेलन का परिणाम भी सन्तोषजनक नहीं होता । अतएव संयंत्रों के, राज्यों के और अखिल भारतीय स्तर के मजदूर नेताओं के साथ परामर्श करके सरकार को युक्तिसंगत श्रम नीति बनानी चाहिये जिससे कि देश के विकास में सहायता मिले और धीमे कार्य करो जैसे विध्वंस का खतरा हमारे सामने न रहे ।

लोहे तथा इस्पात और उनके उप-उत्पादों के मूल्य बहुत अधिक नहीं होने चाहिये । वे पहले ही बढ़ाये जा चुके हैं । समय समय पर पुनर्विलोकन करके हमें उनमें संशोधन करना चाहिये जिससे उद्योग को इन मदों पर बहुत अधिक व्यय न करना पड़े ।

सरकार और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध के मामले में माननीय मंत्री ने जो कहा है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिये इस्पात निगम स्वायत्तशासी हों और वे आये दिन अपनी ऐसी समस्याओं के बारे में सरकार से न कहें और जो विकेन्द्रीकरण की बात बताई गई है तो उस सम्बन्ध में केवल आश्वासन ही पर्याप्त नहीं है अपितु मंत्री महोदय को स्वयं आगे बढ़ कर यह कार्य करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि पक्षपातपूर्ण हितों अथवा राजनीतिक हितों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कोई शरारत न की जाये ।

सरकार को यह चाहिये कि औद्योगिक कारखानों पर ऐसा नियंत्रण रखा जाये जोकि वास्तव में प्रभावी हो । इस मामले से सम्बन्धी बातें छिपाई न जायें । कोयले के पांच क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थानीय समिति और स्थानीय प्रबन्धक की बात सुनकर मुझे हर्ष हुआ है । विभिन्न उद्योगों पर सरकार को पूर्ण प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिये जिसके लिये औद्योगिक प्रबन्ध सेवा को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है । अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिये और सचिवों के नीचे भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये ।

सरकारी उद्योगों, कारखानों आदि पर, जिनमें करोड़ों रुपया लगा दिया गया है, प्रभावी नियंत्रण करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि ये सुचारु रूप से काम करें, एक औद्योगिक प्रबन्ध सेवा का गठन किया जाना चाहिये । राज्य सेवाओं पर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा ।

इन उपक्रमों में प्रबन्ध व्यवस्था ठीक नहीं है । कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा अन्याय किये जाने के कारण उनमें असंतोष की प्रबल भावना विद्यमान है । इन सब बातों को ठीक करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये ।

इन उपक्रमों का बहुत अधिक विस्तार कर दिया गया है । जिन परियोजनाओं पर आने वाली लागत का अनुमान केवल ३५० करोड़ रुपये लगाया गया था, उन पर अब लागत ८०० से ९०० करोड़ रुपये तक पहुंच गई है । इस बारे में राजाजी द्वारा दी गई चेतावनी सत्य सिद्ध हुई है । दूसरा खतरा राज्यवाद का है । इससे लाभकार्य परिणाम निकलने वाले नहीं हैं । सारा धन प्रशासकों, नौकरशाहियों तथा सत्ता के दीवाने आदमियों को नहीं सौंपा जाना चाहिये क्योंकि उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता ।

[श्री रंगा]

इस हेतु कि गैर सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक तथा उचित ढंग से प्रयोग करें, सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कानून भी बनाया जा सकता है ।

वित्त मंत्री द्वारा समय समय पर दी गई ताड़नाओं के अतिरिक्त इन सरकारी उपक्रमों पर और कोई विशेष नियंत्रण नहीं है । रेलवे के समान ही इन पर भी प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण किया जाना चाहिये । अब समय आ गया है कि सरकार समय के अनुसार इन सरकारी उपक्रमों के बारे में अपनी नीतियों को नया रूप दे । उसे इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि इन उपक्रमों में एकाधिकार के अवगुण अपना स्थान न बना लें जिनको कि हम समाप्त करना चाहते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : हम सब इस बात के इच्छुक हैं कि उत्पादन लागत कम की जानी चाहिये । अन्यथा हम प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर सकेंगे । परन्तु साथ साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इसके दो कारण है : एक तो नये कारखानों की अधिक पूंजीगत लागत तथा श्रम । मैं श्री मुरारका जी के इन विचारों से सहमत हूं कि अधिकांश सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भरे हुए हैं । लागत को कम करने के लिये सुधरे हुए तरीके काम में लाये जाने चाहियें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

माननीय उपमंत्री जी द्वारा कही गई यह बात कि हम सरकारी उपक्रमों को जगह जगह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देती । राजस्थान की इस मामले में पूर्ण तरह से उपेक्षा की गई है । इस योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान खर्च किये ५९० करोड़ रुपयों में से राजस्थान को केवल ८० लाख रुपये मिले हैं और शेष अवधि के दौरान ३११ करोड़ रुपयों मे से केवल ६० लाख रुपये उसको दिये जा रहे हैं । हमारे देश में इतना अधिक असंतुलित विकास है परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि तीन योजनाओं की अवधि में राजस्थान में एक भी उद्योग की स्थापना क्यों नहीं की गई है । जो दो परियोजनाओं, कोटा तथा खेत्री नाम की वहां पर हैं, उनकी प्रगति भी अत्यधिक धीमी है । इनके बारे में पूर्णतया उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया है । ५ मिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा की अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा इस बारे में लिखे गये पत्र के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? माननीय मंत्री जी ने निष्पक्ष रूप से काम करने तथा दृढ़तापूर्वक कार्य चलाने के लिये आश्वासन दिया है परन्तु परियोजनाओं के कार्यकरण को देखते हुए इस बात की पुष्टि नहीं होती है । इन उपक्रमों का उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्य पूर्णतया असंतोषजनक रहा है चाहे यह इस्पात के मामले में हो या कोयले के । हमारी यह मांग है कि ये परियोजनायें स्वायत्तशासी निकायों के रूप में तथा वाणिज्यिक आधार पर काम करें । प्रबन्धकों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे मौके पर ही निर्णय कर सकें । पुराने नियम तथा पुराने कर्मचारियों

की सहायता से कोई प्रगति नहीं हो पाई है । यह उचित समय है कि हम स्थिति को गंभीरतापूर्वक सुलझाने की कोशिश करें ।

इस्पात परियोजनायें, केवल एक भिलाई इस्पात परियोजना को छोड़कर, हर प्रकार से बुरी स्थिति में है । हर दिशा में प्रगति असंतोषजनक है । भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स तथा रांची हैवी इंजीनियरिंग में कोयला उत्पादन, श्रेणीकरण तथा उपयोग के बारे में बहुत अधिक संकट आया हुआ है । इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा कि चौथी योजना में कोयले का संकट पैदा होने की सम्भावना है । मजदूरों द्वारा भी गड़बड़ पैदा की जा सकती है । माननीय मंत्री जी को इस दिशा में सतर्क हो जाने की आवश्यकता है । उन्हें भोपाल परियोजना का प्रशासन सुव्यवस्थित आधार पर पुनर्गठित करना चाहिये और श्रमिकों के हितों का सदैव ध्यान रखना चाहिये ।

छोटी कार परियोजना के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा । समझ में नहीं आता कि यह परियोजना अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं की गई है । मैं इस बात को मानने के लिये बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह ठप्प पड़ी हुई है । इसकी पूर्ति कारों का निर्यात करने से की जा सकती है । हमें बताया गया है—यह मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक ठीक है—कि माननीय मंत्री स्टैंडर्ड कार के पक्ष में हैं । लाल समिति ने इस मामले में स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी । इस ने तो कारखाने के स्थान के बारे मे भी निर्णय कर लिया था । ये तथ्य संसद से छुपाये गये हैं । मैं आशा करता हूं कि संसद को वस्तु स्थिति से परिचित कराया जायेगा और सारा मामला सरकार द्वारा स्पष्ट किया जायेगा ।

छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन बहुत थोड़ा हो रहा है । मांग तो ५०,००० ट्रैक्टरों की है और संभरण ५,००० का भी नहीं हो रहा है । इनका उत्पादन शीघ्रतिशीघ्र काफी संख्या में बढ़ाया जाना चाहिये ।

अन्त मे स्कूटरों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार स्कूटरों की कीमत कम की जानी चाहिये । परन्तु यदि, जैसा कि उन्होंने कहा कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में इस हेतु कोई विशेष एकक स्थापित किया जाय अथवा कोई विशेष एकक स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाये, तो फिर कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं । सरकार को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर—उत्तर) : मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि श्री सुब्रह्मण्यम एक बहुत ही कार्य-कुशल व्यक्ति हैं और यह मंत्रालय उनके अधीन है । भारत सरकार के दो मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हैं—एक तो वित्त मंत्रालय तथा दूसरा इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय । समाजवाद लाने की दिशा मे इस मंत्रालय का बहुत हाथ है ।

स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा विस्तारवाद के विरुद्ध व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत नहीं हूं । यदि हम देश में बुनियादी तथा भारी उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, तो इसके अलावा और क्या रास्ता है । सैनिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है ।

[श्री रा० गि० दुबे]

नौकरशाही की भी, जिसके हाथ में इन उपक्रमों का प्रबन्ध है, निन्दा की गई है । परन्तु इसके अलावा और तरीका कौनसा है । हमने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त कर दी है । निदेशक मंडल तथा कार्य समितियां बनी हुई हैं । मेरे विचार से प्रत्येक उपक्रम में कार्यकरण में श्रमिकों के प्रतिनिधि मौजूद हैं । इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इन उपक्रमों का प्रबन्ध कर्मचारी परिषदों को सौंप दें । परन्तु इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाओं के समान ही मयंत्रालय संधारण तथा मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिये भी प्रोत्साहन देने की योजना चालू करे ।

हमें प्रत्येक बात के लिये विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं करना चाहिये । अपने कर्मचारियों की योग्यता पर हमें विश्वास करना चाहिये । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, मेरा सुझाव है कि मंत्री जी को निजी रूप से कर्मचारियों के साथ आत्मयिता का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये । अपने सरकारी उपक्रमों के मामले मे हम विदेशों की नकल नहीं कर सकते ।

मेरा एक सुझाव और भी है । चोटी के कुछ कांग्रेसियों को, बल्कि कांग्रेस से बाहर के विशिष्ट आदमियों को भी जिनमें देश भक्ति की भावना हो तथा जिनको कुछ ज्ञान हो, इन उद्योगों का प्रबन्ध सौंपा जाना चाहिये ताकि वे इन उद्योगों को सफल बना सकें ।

मैं सभा में तथा बाहर जो यह प्रबल भावना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पर्याप्त मुनफा प्राप्त होना चाहिये, उससे सहमत हूं । इस के लिये मेरा यह निवेदन है कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निश्चित संरक्षण दिया जाना चाहिये । इस समय हमारे सामने मूल्यों को रोकने की बड़ी भारी समस्या है । जब तक कि उपभोक्ता वस्तुओं का काफी मात्रा में सरकारी क्षेत्र मे उत्पादन शुरू नहीं किया जायेगा, तब तक मूल्यों की समस्या का संतोषजनक रूप से हल नहीं किया जा सकता । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र का उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तक विस्तार किया जाय ।

मुझे यह देखकर बहुत खेद हुआ है कि ट्रैक्टरों का उत्पादन गिर गया है । प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक समस्या हल नही हो सकती । गेहूं के आयात पर १५० या २०० करोड़ रुपये खर्च करने के स्थान पर ट्रैक्टरों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यदि गैर सरकारी क्षेत्र इस बारे मे असमर्थ है, तो फिर इस मंत्रालय को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये । कारों के बारे में मैं चिन्तित नहीं हूं । सरकार को ट्रैक्टरों तथा अन्य सम्बन्धित मशीनों के निर्माण के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में उठाया जाने वाला यह एक ठोस कदम होगा ।

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) : इस्पात मिलों को विभिन्न स्थानों में स्थापित करने के विचार का मैं स्वागत करता हूं । गोआ, सालेम–नीवेली तथा बेलाडिला–विशाखापटनम् में इस्पात मिल स्थापित करने के बारे में जो विचार किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मेरे विचार से गोआ एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहां पर प्राकृतिक बन्दरगाह है तथा लौह-अयस्क भी यहां बहुतायत में मिलता है । बालचेर में एक कच्चे लोहे का मिल स्थापित किया जाना चाहिये जहां पर कि सरकार का विचार तापीय संयंत्र स्थापित करने का है । इससे हमारी कच्चे लोहे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी ।

इस्पात के विनियंत्रण के बारे में मंत्री जी द्वारा की गई गति सम्बन्धी घोषणा सराहनीय है। परन्तु क्या इस नीति को कार्य रूप देने के लिये हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब से इस्पात का विनियंत्रण किया गया है, तब से क्या इस्पात के मूल्य में वृद्धि हुई है और क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है?

प्रशुल्क आयोग द्वारा इस्पात के प्रतिधारण मूल्य के बारे में दो वर्ष पहिले की गई सिफारिश को सरकार ने अब स्वीकार किया है। राज समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश की थी। इस तरह ढीले तरीके से ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्यों स्वीकार किया जाता है? मेरा सुझाव है कि प्रशुल्क आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों अथवा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये अन्य निकायों की सिफारिशों को स्वीकार करने में इस प्रकार की ढीली नीति नहीं अपनानी चाहिये।

मुझे पता चला है कि किरिबुरु में लौह अयस्क की उत्पादन लागत लगभग १० रु० से १५ रु० प्रति टन तक है। सरकार स्पष्ट शब्दों में यह बताने का कष्ट करे कि क्या यंत्रीकरण के कारण उत्पादन लागत इतनी अधिक बढ़ गई है? लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ठीक प्रकार आयोजन न करने के कारण तथा इस्पात संयंत्रों में प्रयोग आने वाले कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं के बारे में सावधानी न बरते जाने के कारण ही उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। हमें इस दिशा में सावधानीपूर्वक कदम उठाना चाहिये।

प्राइवेट अयस्क खानों को बिक्री कर तथा अन्य बातों के कारण जो कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, उनको दूर किया जाना चाहिये। देश में मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन बराबर गिरता जा रहा है जो हमारे लिये हानिकारक है। इस चीज़ को रोका जाना चाहिये। शोधन कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें ताकि मैंगनीज़ पहिले की तरह ही बढ़िया किस्म का प्राप्त हो सके।

मंत्रालय यह बात स्वीकार कर चुका है कि खान मुहाने पर मूल्य अथवा रायल्टी एक नाममात्र का तथ्य है क्योंकि अयस्क केवल खान के मुहानों पर ही बेचा जाता है। इसीलिये सरकार ने एक ही आधार पर रायल्टी की दरों को निश्चित करके ठीक काम किया है। परन्तु फिर भी कुछ राज्यों में पुरानी दरों के बारे में कुछ खटकने वाली बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय उनके बारे में जांच पड़ताल करके आवश्यक राहत देने का कष्ट करेगा।

अन्त में मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में दी गई बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे।

श्री शिंकरे (मरभागेआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सभा के सदस्यों को परिचालित लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों में यद्यपि इस मंत्रालय के काम की अधिक प्रशंसा नहीं की गयी है, मेरा अपना विचार यह है कि यह मंत्री केन्द्र के उन थोड़े से मंत्रियों में से हैं, जो अपना काम लगन से करते हैं। इनके कुछ अपने विशेष गुण हैं और हम आशा करते हैं कि वे और सफल होंगे।

मेरा पहला कटौती प्रस्ताव तत्काल जनता कारों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में है। सरकार का यह आशा करना कि इस बारे में गैर-सरकारी उद्योग की प्रतिक्रिया सरकार के अनुकूल होगी जिससे कि वह तथाकथित जनता-कार की कठिनाई पर काबू पा लें, इन सब वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के काम की उपेक्षा करना है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय पर किसी ओर से भारी दबाव पड़ रहा है।

[श्री शिंकरे]

आज जो भारत में बनी कारें बिक रही हैं उनमें भारत में बने पुर्जे ६० प्रतिशत हैं और ४० प्रतिशत अभी भी विदेशों से आयात किये जा रहे हैं। दि हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी ने दस वर्ष बाद भी एक भी ऐसी कार नहीं बनायी जो पूर्णतः भारत-निर्मित हो। जब इनकी किस्म के बारे में कोई शिकायत की जाती है तो निर्माताओं की ओर से उत्तर मिलता है कि उनको सरकार पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं देती और सरकार ने भी इस बात का समर्थन किया है। अतः मैं समझता हूं कि मंत्रालय पर किसी ओर से बड़ा भारी दबाव पड़ रहा है ताकि वह सरकारी क्षेत्र में तथाकथित जनता-कार के निर्माण में और कोई प्रगति न कर सके यद्यपि देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत थोड़ा काम हुआ है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव गोआ में लौह-अयस्क के बड़े निक्षेप और संसाधन के शीघ्र उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। जहां तक लौह-अयस्क या अन्य किसी कच्चे माल के निर्यात का सम्बन्ध है, नीति केवल अल्पकालीन नीति होनी चाहिये क्योंकि लौह-अयस्क जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल को हमेशा के लिये देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस बारे में सरकार को एक निश्चित तिथि निर्धारित करनी पड़ेगी जिसके बाद इस देश से लौह-अयस्क का निर्यात नहीं किया जायेगा।

सरकार ने खान तथा खनिज अधिनियम, १९५७ को संघ-राज्य-क्षेत्र गोआ, दमन और दीव और पांडिचेरी पर लागू करके एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है क्योंकि सभी खानों पर नियंत्रण केन्द्रित होना चाहिये। लेकिन मंत्रालय को गोआ की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। गोआ में लगभग ४००–५०० छोटी छोटी खानें हैं और इस अधिनियम को और इससे सम्बन्धित नियमों को यहां लागू करने से इन छोटे छोटे यूनिटों को, जो कि छोटे दुकानदारों जैसे ही हैं, बड़ी कठिनाई हो जायेगी। सरकार को उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ परियोजनाओं के बारे में इस मंत्रालय ने ऐसे काम किये हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। उदाहरणतः हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने इतना उत्पादन किया है कि हमारी आवश्यकता पूरी करने के बाद यह कुछ वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है और मूल्य भी उन देशों में प्रचलित मूल्यों के समान हैं।

भारतीय कर्मचारियों को उचित तकनीकी प्रशिक्षण देने की ओर अधिक ध्यान दिया जाये ताकि वे ऊंचे पदों पर काम कर सकें। इस समय सभी इस्पात संयंत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी टेक्नीशियन हैं। विदेशी सहयोग में यह आवश्यक है कि विदेशी टेक्नीशियन हों लेकिन अपने लोगों को उनसे मिल कर तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाये। यह हर्ष की बात है कि अनेक विदेशी टेक्नीशियनों का स्थान हमारे भारतीय टेक्नीशियन ले रहे हैं और कुछ समय बाद हम उनका पूरी तरह स्थान प्राप्त कर लेंगे। फिर भी अनुभवी व्यक्तियों की कमी है।

चौथी योजना में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों में बड़ी संख्या में टेक्नीशियनों और अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि मंत्रालय इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है ताकि इस्पात संयंत्र आरम्भ होने से पहले ये व्यक्ति उपलब्ध हो सकें।

कोयला खान उद्योग में भी द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकारी क्षेत्र में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उनके

प्रशिक्षण स्कूल हैं। इंजीनियरों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और विशेष प्रशिक्षण के लिये उन्हें अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में भेजा जाता है। फिर भी अनुभवी व्यक्तियों की कमी रहती है। इस ओर ध्यान दिया जाये। इस देश में व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित सुविधाएं दी जायें ताकि हमें प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। भारत की कोयला परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में खान उद्योग को अपने प्रशिक्षण स्कूल खोलने चाहियें लेकिन उन्होंने कोई उत्साहजनक कार्य नहीं किया। मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस मामले में उन्हें कुछ मजबूर किया जा सकता है। इस्पात संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं में उपयुक्त व्यक्ति लगाने के बारे में भी अन्य कदम उठाये जायें।

दूसरी बात निम्न श्रेणी के कोयले के बारे में है। अनुमान है कि चौथी योजना में कोयले की मांग बढ़ कर १५.४ करोड़ टन से लेकर १७ करोड़ टन तक हो सकती है। स्थापित किये जा रहे बोकारो इस्पात संयंत्र, गोआ और विजागापट्टम में इस्पात मिलों, रेलवे के विस्तार-कार्यक्रम और नये तापीय विद्युत् संयंत्रों से मांग काफी बढ़ जायेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में कोई ढील नहीं होनी चाहिये।

एप्लाइड इकानामिक्स अनुसन्धान परिषद् ने इस देश में जलाये जाने वाले गोबर के बारे में कुछ बातें कही हैं कि इतना गोबर यहां ईंधन के रूप में चलाया जाता है जिसको यदि खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाये, तो ९० लाख टन और अनाज पैदा किया जा सकता है। सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाने चाहियें। संभवतः इस मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन कृषि मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उन्हें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे निःशुल्क गोबर (ईंधन) प्राप्त करने वाली ग्रामीण जनता इस निम्न श्रेणी के कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग करे और गोबर को खाद्यान्न के उत्पादन के लिये खाद के रूप में प्रयोग के लिये बचाया जा सके। इस प्रकार खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये ९० लाख टन खाद्यान्न का और उत्पादन किया जा सकता है।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : हमारे कोयला निक्षेपों में २ प्रतिशत बढ़िया कोयला, ७ प्रतिशत मध्यम दर्जे का कोयला और ९१ प्रतिशत निम्न श्रेणी का कोयला है। हमारी खपत बढ़िया कोयले की २६ प्रतिशत, मध्यम दर्जे की ६२ प्रतिशत और निम्न श्रेणी की ११ प्रतिशत है। यदि उपभोग की प्रणाली यही रही तो हो सकता है कि अगले २० वर्षों में हमें बढ़िया कोयला बिल्कुल ही न मिल सके और हमें इसका विदेशों से आयात करना पड़े। पता नहीं इस बारे में सरकार क्या कर रही है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे बढ़िया कोयले का इस प्रकार इस्तेमाल न किया जाये बल्कि इसे बचाया जाये। यह तभी हो सकता है जब औद्योगिक कोयला धोने के कारखाने स्थापित किये जायें और निम्न श्रेणी के कोयले के अधिक इस्तेमाल की संभावनायें बनायी जायें।

सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये और इस समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर जो ५०० के लगभग अलाभकारी या छोटी छोटी खानें हैं उन्हें मिलाया जाये। इससे कुछ श्रमिक समस्या उत्पन्न हो सकती है लेकिन उसे सावधानी से हल किया जाये।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने जो १.२५ करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, इसमें विनियोजित ७० करोड़ रुपये की राशि को देखते हुए यह बहुत कम है।

मंत्री महोदय को कोयला खान उद्योग के मशीनीकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और इसको बचाने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

[श्री रामेश्वर टांटिया]

पता नहीं कि सभी प्रकार से औद्योगीकरण के बारे में राजस्थान की क्यों उपेक्षा की गयी है । इस राज्य में सरकारी क्षेत्रीय परियोजनायें स्थापित की जानी चाहियें ।

खेत्री में एक कोयला खान स्थापित की जानी थी, पता नहीं उसका क्या हुआ । मूलत: इस पर ६ करोड़ रुपये का व्यय अनुमान था किन्तु अब २५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । विभिन्न तरह के ३१४ क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया गया जिनमें से केवल २३ क्वार्टर ही बन पाये । यदि खेत्री खान की यही प्रगति रही तो इस खान में ठीक तरह से काम चलने में कम से कम चालीस वर्ष और लगेंगे । इस मंत्रालय और सरकार ने राजस्थान के साथ यह व्यवहार किया है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और भारी इंजीनियरी निगम के बारे में उपमंत्री महोदय ने जो कुछ भी कहा, प्राक्कलन समिति उससे सहमत नहीं है ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के बारे में मंत्री महोदय ने कल बताया था कि वहां हड़ताल हुई और श्रमिक-सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । ये उद्योग बड़े महत्वपूर्ण हैं और यदि श्रमिक कानून त्रुटि-पूर्ण हैं तो हमें इनमें संशोधन करने चाहियें ताकि श्रमिक ठीक काम कर सकें । यदि श्रमिक काम नहीं करेंगे तो देश प्रगति कैसे कर पायेगा ?

उड़ीसा के राज्यपाल ने धनबाद में भारतीय खान स्कूल के अपने दीक्षान्त भाषण में कहा कि विदेशी मंडी में प्रतिस्पर्धा करने के लिये हमें लागत कम करने के लिये उत्पादन बढ़ाना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि प्रति श्रमिक उत्पादन कम है और इसलिये उत्पादन लागत अधिक है । पता नहीं ऐसी बात कहने के क्या कारण हैं । चाहे जो भी हो और चाहे जिस किसी को दोष दिया जाये, हमें यह देखना चाहिये कि भविष्य में देश के प्रमुख उद्योगों में ऐसी घटना न हो ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय खान ब्यूरो की उपस्थित नामावली में छंटनी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

दूसरी बात लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी राज समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आंशिक विनियंत्रण के कारण प्रत्याशित छंटनी के बारे में है । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में क्लर्कों की कई बार पद-अवनति की गयी, कई बार उनकी छंटनी की गयी और फिर रखा गया । इन कर्मचारियों को स्थायी विभागों में नौकरियां दी जायें । राज समिति के प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाये । ऐसा नहीं है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी ही भ्रष्टाचार के दोषी हैं बल्कि उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी भी भ्रष्ट हैं । इन क्लर्कों को निकाला न जाये बल्कि आय-कर विभाग जैसे विस्तारवादी विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जाये ।

पिछली बार जब प्रश्न उठा तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि यह मालूम करने के लिये जांच की जायेगी कि क्या श्री बिड़ला ने अमरीका में इस बात के लिये दबाव डाला था कि बोकारों संयंत्र सरकारी क्षेत्र में न लगे । क्या जांच कर ली गई है और यदि नहीं तो क्या इस बात की जांच की जायेगी ?

भोपाल का हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कारखाना सेवा-निवृत्त व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है । जो युवक हैं, जिनका समाजवाद में विश्वास है और जिनकी बड़ी उत्कंठा है, और जो

सरकारी क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उन्हें जेल में बन्द किया हुआ है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसको चला रहे सेवा-निवृत्त व्यक्ति मुगल बादशाहों की तरह मौज उड़ा रहे हैं। इस मामले में पूरी जांच की जानी चाहिये। इस संयंत्र में बड़ी अनुशासनहीनता है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह एक तीर्थ-क्षेत्र बन गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तीर्थ-क्षेत्र में सेवा-निवृत्त पंडे रखे गये हैं जो थोड़े ही समय में इसको कलंकित कर देंगे। इस संयंत्र का नियंत्रण आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसरों को सौंपा जाये। यदि गिरफ्तार किये गये ७५ युवकों को रिहा कर दिया जाये तो हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सामान्य स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेलि) : उपाध्यक्ष महोदय, इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनायें काफी प्रगति कर रही हैं, इसके लिये मैं अपने कुशल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उनमें प्रत्येक में १० लाख टन की निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है। यह मंत्रालय की बहुत बड़ी सफलता है। इन तीनों इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ायी जा रही है। इस्पात सम्बन्धी कर्णधार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में चौथी योजना में लक्ष्य १७० लाख टन से कम नहीं होना चाहिये।

सैलम इस्पात परियोजना काफी समय से चली आ रही है। इसमें बहुत विलम्ब हुआ है और इससे मद्रास राज्य के लोगों को बड़ी निराशा हुयी है। इस बारे में मद्रास सरकार दिल से यह चाहती है कि यह परियोजना तीसरी परियोजना के समाप्त होने से पूर्व आरम्भ हो जाये। मद्रास राज्य में कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कदम उठाने चाहियें कि यह परियोजना तीसरी योजना के समाप्त होने से पूर्व आरम्भ हो जाये।

मद्रास राज्य में निवेली परियोजना की पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत ११७.७ करोड़ रुपये है और इसमें प्रति वर्ष ३५.६ लाख टन लिग्नाइट के खनन का उपबन्ध है। इस लिग्नाइट का निवेली स्थित तातीय विद्युत केन्द्र और उरिया उर्वरक संयंत्र में इस्तेमाल होगा। इस्पात का पूरा उत्पादन वर्ष १९६५ के अन्त तक होने की आशा है। नीवेली स्थित तापीय विद्युत् केन्द्र में ५०–५० मेगावाट के पांच जनरेटिंग यूनिट होंगे। चार यूनिट चालू हैं और पांचवां अभी चालू होना है। इसके मार्च, १९६४ में चालू होने को था लेकिन अभी इसके चालू होने का कोई निशान नहीं है। तापीय विद्युत् केन्द्र की क्षमता को २५० से ४०० मेगावाट और फिर ६०० मेगावाट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को यथासंभव शीघ्र क्रियान्वित किया जाये।

जहां तक नेवेली में उर्वरक योजना का सम्बन्ध है, इसकी गति बड़ी धीमी है। मशीनों के संभरण के लिये ठेका १९५९ में दिया गया था लेकिन संयंत्र अभी तक नहीं बन पाया। उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इस संयंत्र को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाये।

मद्रास राज्य में कराइकुडी के समीप हाल में २०० फुट की गहराई पर बड़ी मात्रा में लिग्नाइट के निक्षेप मिले हैं। सारे देश की भलाई के लिये और विशेषत: पूर्व रामनाथपुरम जिले की भलाई के लिये, जो कि आर्थिक रूप से बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इन निक्षेपों को शीघ्र निकाला जाये। मद्रास राज्य में लौह अयस्क, तांबा और अभ्रक जैसे अन्य खनिजों का भी पता लगा है और उनको भी निकाला जाये। हाल ही में मद्रास राज्य में तिरुनेलवैलि जिले में राज्य के भूतत्वीय विभाग ने चूने के पत्थर, जिप्सम, इलमेनाइट और अभ्रक के बड़ी मात्रा में निक्षेपों का पता लगाया है और उनको निकाला जाना चाहिये।

[श्री मुथिया]

भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स संयंत्र में श्रमिकों का झगड़ा देशद्रोही और तोड़ फोड़ करने वाले लोगों ने कराया है। सरकार को इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। श्रमिकों का शोषण न किया जाये, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाये लेकिन साथ ही उनको देश की उत्पादन और प्रगति में बाधक नहीं बनने देना चाहिये। श्रमिकों के असन्तोष का तर्कसंगत हल यह है कि उनको उत्पादन-प्रोत्साहान दिया जाये। हर श्रमिक को उसके काम के मुताबिक मजूरी दी जाये।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के कार्य के बारे में बड़े लाभप्रद सुझाव दिये हैं।

खनिज संसाधनों के विकास का काम भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो को सौंपा गया है। मुझे पता है कि इन दोनों संगठनों के कार्य के बारे में कुछ अतिछेदी क्षेत्र हैं। इन दोनों संगठनों में अनुभवी व्यक्तियों की भी कमी है और पर्याप्त मात्रा में औजारों और उपकरणों का भी अभाव है।

(श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए)
(SHRI SURENDRANATH DWIVEDI *in the Chair*)

भूतत्वीय विज्ञान के क्षेत्र में कई नयी बातें हुयी हैं और जब तक हम इन आधुनिक तरीकों को नहीं अपनायेंगे, हम थोड़े समय में अधिक भूमि का सर्वेक्षण नहीं कर सकते। अतः हम, जहां तक आवश्यक है, हम विदेशी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे काम को एक नया रूप दे सकें। इस वर्ष के अन्त में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कांग्रेस बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। मैं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो के काम की जांच करने के लिये एक छोटी विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहा हूं ताकि काम अधिक कुशलता से और शीघ्र किया जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

अपने खनिजों के विदोहन के बारे में स्पष्टतः लौह-अयस्क का बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे इस्पात और औद्योगिक विकास का आधार यही है। इसके अतिरिक्त इससे विदेशी मुद्रा की आय भी होती है। लेकिन लौह-अयस्क के प्रयोग में कुछ समस्यायें भी हैं। इसके उत्पादन में कुछ प्रतिशत बढ़िया होता है, इस बढ़िया लोहे के इस्तेमाल की भी एक समस्या है और हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब इसका छोटी गोलियां बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा और केवल लौह-अयस्क की अपेक्षा छोटी गोलियों के निर्यात से अधिक मूल्य मिल सकेगा। हाल में हमने छोटी गोलियां बनाने के लिये गोआ में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र को लाइसेंस दिया है। जब इसका इस प्रकार इस्तेमाल होने लगेगा तो इससे धमन भट्ठियों के कार्य में सुधार होगा।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, पिछले दो या तीन वर्षों से इसका संभरण बहुत कम हो रहा है। लेकिन अब अचानक ही उत्पादन इतना बढ़ गया है कि खानों पर इसका भंडार इकट्ठा हो गया है। यह इसलिये हुआ कि योजना बनाते समय और लक्ष्य निर्धारित करते समय जो हमें आशा थी मांग उतनी नहीं रही। यह फालतू सभी किस्म के कोयले में नहीं है। जहां तक बढ़िया

कोयले का सम्बन्ध है, उसकी काफी मांग है। केवल घटिया किस्म के कोयले की ही बहुतायत है। यह त्रुटिपूर्ण योजना के कारण नहीं है। वास्तव में योजना में घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन में हम वृद्धि नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें पता है कि इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन क्योंकि उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, २० से ३० लाख टन तक घटिया किस्म के कोयले का अतिरिक्त उत्पादन हुआ। और स्थिति सुधारने के लिये हम ने घटिया किस्म के कोयले के वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया है। हमें निम्न श्रेणी के कोयले के अतिरेक उत्पादन से घबड़ाना नहीं चाहिये। जब विभिन्न इस्पात संयंत्र काम करने लग पड़ेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाल ही में हम ने झरिया में पोलैंड की सरकार के सहयोग से एक बड़ी कोयला खान का काम आरम्भ किया है। इस खान के पूर्ण उत्पादन आरम्भ करने में लगभग १२ वर्ष लग जायेंगे। अतः हमें अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगभग १० वर्ष पहले लगाना चाहिये। पहले हम ने कई उद्योगों से कोयले के स्थान पर भट्टी का तेल प्रयोग करने के लिये कहा था। परन्तु अब हम देखते हैं कि इसके कारण कोयला उद्योग को कठिनाई पैदा हो गई। क्योंकि यह तेल हमें आयात करना पड़ता है। अतः कोयले के सम्बन्ध में हमें अपनी नीति को बड़े सोच विचार कर बनाना होगा। इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा नियुक्त शक्ति सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन से सहायता मिलेगी। इस बारे में हमें देश की ईंधन सम्बन्धी खपत को भी ध्यान में रखना है। निम्न श्रेणी के कोयले को विद्युत् जनन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने सस्ता घरेलू ईंधन तैयार करने का एक अच्छा तरीका निकाला है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कम ताप वाले कार्बनीकरण संयंत्र (कार्बोनाइज़ेशन प्लांट) स्थापित किये जायेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस समय कोक का कोयला लगभग ३५,००० लाख टन है जो लगभग ४०–५० वर्षों से के लिये काफी होगा। अतः हमें इसके इस्तेमाल में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इस कोयले के दाम बढ़ा दिये गये थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया वह अलाभप्रद खानों के बारे में था। इस समय ८५० कोयला खानें हैं जिनके द्वारा लगभग ६५० लाख टन कोयले का उत्पादन होता है। हम इस सम्बन्ध में एक कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा छोटी खानों को आपस में मिला दिया जायेगा।

झरिया कोयला क्षेत्र को तीन खण्डों में बांटा जा सकता है। केन्द्रीय खण्ड, उत्तरी खण्ड और दक्षिणी खण्ड। केन्द्रीय खण्ड में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस खण्ड में १७३ कोयला खानें हैं जिन में से १८ बड़ी खानें हैं और उनमें लगभग ५० प्रतिशत कोयला है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम मुख्यतः झरिया के दक्षिणी क्षेत्र में कोयला निकालने का काम कर रहा है। इस क्षेत्र की विशेष बात यह है कि कोयला काफी गहराई में पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयले के उत्पादन के लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसलिये इसके लिये एक एकीकृत कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। इस प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार ने हाल ही में एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और सरकार के विचाराधीन है।

अलोह धातु के क्षेत्र में हम ऐल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पैदा करने की स्थिति में हैं। हमारे पास बॉक्साइट के निक्षेप भी बड़ी संख्या में हैं। हाल ही में हम ने निर्णय किया है कि कोयना

[श्री मुथिया]

ऐल्यूमिनियम परियोजना को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये । मध्य प्रदेश परियोजना में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही निर्णय करने वाले हैं । तीसरी परियोजना मैसूर की शरावती परियोजना है । इस परियोजना के बारे में भी सरकार को निर्णय करना है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में मैसूर और महाराष्ट्र सरकार के बीच कुछ मतभेद था । अब मतभेद दूर हो गया है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा । इस परियोजना का काम इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी करेगी ।

खेत्री परियोजना तीन वर्षों से हमारे लिये समस्या बनी हुई है । हम यह देख रहे हैं कि इस परियोजना को अपने देश में बने उपकरणों और यहीं के व्यक्तियों से कहां तक चलाया जा सकता है । हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इस परियोजना का काम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा कोलार स्वर्ण क्षेत्र निगम द्वारा किया जा सकता है या नहीं ।

माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि तांबा अयस्क हमारे देश में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है । आज हमें तांबा भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है । हमारी तांबे की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती ही जायेगी । अतः हमें यह निर्णय करना है कि क्या हम तांबे का आयात अनिश्चित काल तक करते रहें ।

अब मैं इस्पात के बारे में कहूंगा । १९६२–६३ में इसका उत्पादन ३९.१७ लाख टन था और १९६३–६४ में यह बढ़ कर ४५.६० लाख टन हो गया । हमारे इस्पात के उत्पादन में भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ।

रूरकेला अभी भी अपने लक्षित उत्पादन से पीछे है । इस में ७.२ लाख टन की उत्पादन क्षमता की तुलना में उत्पादन केवल ५.५ लाख टन होगा । इस कारखाने में पूर्ण उत्पादन हासिल करने में अनेक कठिनाइयां बाधक सिद्ध हो रही हैं । इस संयंत्र में सब से बड़ी कठिनाई मज़दूरों की गड़बड़ें हैं । हाल के साम्प्रदायिक दंगों के कारण कारखाने को बन्द करना पड़ा था । परन्तु अब स्थिति सुधर गई है और कारखाने में सामान्य उत्पादन चालू हो गया है ।

इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी के राजदूत का धन्यवाद करना चाहूंगा । उन्होंने जर्मन कर्मचारियों को हिदायतें दीं कि वे अपना काम किसी कारण भी न छोड़ें ।

केवल इस्पात का उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा । हमें इसकी किस्म में भी सुधार करने की आवश्यकता है । जांच किये हुए इस्पात (टैस्टेड स्टील) के उत्पादन में भी बराबर सुधार होता रहा है । १९६३–६४ में रूरकेला इस्पात संयंत्र में टैस्टेड प्लेटों का उत्पादन ५३ से ७१ प्रतिशत तक बढ़ा और एच० आर० चादरों के उत्पादन में ४४ से ५२ प्रतिशत तक वृद्धि हुई । भिलाई कारखाना ९० प्रतिशत जांच किये हुए ढांचे बनाता रहा । दुर्गापुर में १९६२–६३ में ५१ प्रतिशत ढांचे जांच किये हुए थे । १९६३–६४ में यह संख्या बढ़ कर ६४ प्रतिशत हो गई ।

सरकार इस बात पर अधिक जोर दे रही है कि इस्पात संयंत्र बढ़िया किस्म का इस्पात पैदा करें जिसे हम अब आयात कर रहे हैं । हम इसको प्रोत्साहन देने के लिये संयंत्रों में श्रमिकों के लिये बोनस की योजना चालू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

ऐसा कहा जाता है कि रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि उत्पादन केवल १९६१–६२ में आरम्भ हुआ और कारखाने अपनी क्षमता का केवल १० प्रतिशत उत्पादन कर रहे थे। एक बात यह भी है कि इसमें टूट फूट की लागत भी शामिल है। आज 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' की लागत ५०० रु० है जब कि परियोजना के अनुमान के अनुसार यह लागत ४०७ रु० होनी चाहिये। इन दोनों लागतों में १९६१–६२ में बहुत बड़ा अन्तर था अब यह अन्तर बहुत मामूली रह गया है। इस सम्बन्ध में आलोचना करना उचित नहीं है। इसका हमारे मजदूरों और प्रबन्धकों पर बुरा असर पड़ता है।

१९६१–६२ में, रूरकेला में धातु-पिण्ड की उत्पादन लागत ३०८ रु० प्रति टन थी, अब यह घट कर २२६ रु० और २५२ रु० के बीच हो गई है। दुर्गापुर में, १९६१–६२ में यह लागत ३३३ रु० थी। अब यह कम हो कर २१७ रु० हो गई है। भिलाई में यह लागत २१४ रु० है। हमारा अधिक सम्बन्ध १९६३–६४ के आंकड़ों से होना चाहिये, न कि १९६१–६२ के आंकड़ों से। यही कारण है कि हम पिछड़ रहे हैं।

१९६२–६३ में मैं ने सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों से कहा था कि वे १९६३–६४ के लिये उत्पादन लागत को १५ प्रतिशत घटाने का लक्ष्य अपने सामने रखें। अब तक हमें जो मासिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि रूरकेला में श्रमिक और तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद भी इस्पात की उत्पादन लागत १५ प्रतिशत कम रही। भिलाई में यह लागत ७ प्रतिशत घट गई है। दुर्गापुर में १९६३–६४ में, यह लागत १३ प्रतिशत घट गई है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चालू वर्ष में भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रति टन गरम धातु के लिये कोक का उपभोग ९०४ किलोग्राम से घट कर ८३४ किलोग्राम हो गया है। दुर्गापुर और रूरकेला में भी इसका उपभोग घट कर क्रमशः १०७२ से ९६८ और ९६५ से ९०१ किलोग्राम हो गया है। इस्पात और लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल ही में एक दल जापान गया था जिसके चेयरमैन लोहा और इस्पात विभाग के सचिव थे। इस दल ने सिफारिश की है कि यदि अच्छी किस्म का कच्चा माल इस्तेमाल करें तो हमारा उत्पादन १० से १५ प्रतिशत बढ़ सकता है। इसकी जांच करने के लिये एक तकनीकी समिति का गठन किया जा रहा है जो शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन देगी। कच्चे लोहे का काफी अभाव है। परन्तु इसके उत्पादन को शीघ्र बढ़ाना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि जब हम ने विनियंत्रण की समस्या पर विचार किया तो हम इस परिणाम पर पहुंचे कि जहां तक कच्चे लोहे का सम्बन्ध है हमें वितरण और मूल्य नियंत्रण को जारी रखना चाहिये। परन्तु हमें कच्चे लोहे के उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये।

दूसरे, हमारा इस्पात की चादरों का उत्पादन काफी कम है। जब तक रूरकेला कारखाने को बड़ा करने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता इसका उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं है। मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने इस्पात के नियन्त्रण के पुनर्गठन का निश्चय ऐसे समय में किया है कि पश्चिमी देशों को खुशी हो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि २ मार्च, को यह निश्चय इसलिये किया गया कि बजट भी उसी समय पेश हो रहा था। बजट के समय अनेक वित्तीय निर्णय करने होते हैं और यह निर्णय भी उन में से एक था।

[श्री मुथिया]

कुछ सदस्य नई व्यवस्था में मूल्यों की स्थिरता के बारे में चिंतित हैं। इस्पात और लोहा नियन्त्रक, रेलवे बोर्ड और उत्पादक सभी इस समिति में हैं। मैं समझता हूं कि ये विभिन्न हित इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं कि मूल्यों को बढ़ने दें। हम अभी भी इस्पात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हमेशा ही नियन्त्रण लगाया जा सकता है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिये यह सम्भव नहीं है कि सभी किस्मों का इस्पात देश में ही तैयार किया जाये और किसी हद तक हमें आयात पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अधिक कच्चा लोहा तैयार करने की हमारी योजनाएं हैं जिसके लिए हम कार्यवाही कर चुके हैं।

बोकारो के सम्बन्ध में और आगे इंजीनियरिंग का काम हमने भारतीय इंजीनियरिंग फर्म मैसर्स दस्तूर एंड कम्पनी को देने का निश्चय किया है। परामर्श के लिये ठेका दिया जा चुका है और वह फर्म इंजीनियरिंग का काम जारी रखेगी।

दूसरी कठिन समस्या हमारे सामने तेनुघाट बांध की है। इस बांध के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और बिहार सरकार के बीच कुछ मतभेद है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि एक ओर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय और दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने के लिये हम सभी आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियां कर रहे हैं। इसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है। नगरी बनाई जा रही हैं। परामर्शदाता नियुक्त किये जा चुके हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड की एक कथक कम्पनी के रूप में गठन किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि जून और अक्टूबर १९६४ के मध्य तक हम अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी में अपने टेण्डर दे सकेंगे। इस समय मैं इससे अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं। विशेष संयंत्र के क्षेत्र में हमारी दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात परियोजना काफी प्रगति कर रही है। आशा है कि २ अक्टूबर, १९६४ को स्टील मेल सोप नं० २ चालू हो जायेगी। पहली भट्टी २ अक्टूबर, १९६४ को कार्य आरम्भ कर देगी। इस प्रयोजना को शीघ्र क्रियान्विति के लिये नवीनतम टकनीकी और प्रबन्ध जिम्मेदार है। जहां तक भद्रावती स्टील वर्क्स का सम्बन्ध है ऋण प्राप्त कर लिया गया है और एक दल पहले से ही उपकरण संभरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिये पश्चिमी जर्मनी को भेज दिया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन विभिन्न योजनाओं को लाइसेंस दिये गये हैं, वे भी काफी प्रगति कर रहे हैं। अतः मुझे आशा है कि विशेष इस्पात का उत्पादन चौथी योजना के पहिले दो वर्षों में काफी बढ़ जायेगा।

अब मैं चौथी योजना के बारे में बताऊंगा कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि सभा को पता है हमने इस्पात, भारी उद्योग, कोयला और विभिन्न अलौह धातुओं के सम्बन्ध में चौथी योजना बनाने के लिये अलग अलग दल नियुक्त किये थे। इन दलों के प्रतिवेदन पहले से ही मिल गये हैं। इन दलों ने इस्पात, कोयला, अलौह धातु और इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादों के सम्बन्ध में विचार किया। इन दलों ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनेक अनेक योजनाओं का सुझाव दिया है। मैं अन्य किसी समय पर सभा को इन प्रतिवेदियों के ब्यौरों के सम्बन्ध में बताऊंगा।

इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने यह प्रश्न उठाया कि कृषि और उद्योग के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आज हमारे लिये सब से अधिक आवश्यक वस्तु इस्पात है।

कृषि के लिये हमें बिजली की आवश्यकता है। बिजली पैदा करने के लिये हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण चाहियें। इन सब के लिये हमें इस्पात चाहिये। हम ट्रैक्टरों की बातें करते हैं। ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये भी इस्पात की आवश्यकता है। इस्पात के बिना कृषि का विकास नहीं हो सकता।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इन अध्ययनों में औद्योगिक क्षेत्र की आयोजन विषयक विभिन्न समस्याओं की निरन्तर और ब्यौरेवार छानबीन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है कि खान, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग के परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में कच्चे माल, मशीनों, परिवहन और बिजली का विस्तृत आयोजन एक साथ किया जाय। इन अध्ययनों में इस बात पर भी बल दिया गया है कि औद्योगिक आयोजन के क्षेत्र में पांच वर्ष की सीमा का कोई विशेष महत्व नहीं है। इन में देश में मांग, प्रौद्योगिकी और उत्पादन की संभावनाओं के बारे में भी विस्तृत छानबीन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसलिये हमने एक ऐसा उपयुक्त अभिकरण स्थापित करने का निश्चय किया है जो इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, कोयले और विभिन्न अलौह धातुओं के सम्बन्ध में ब्यौरेवार योजनायें तैयार करे। ये योजनायें किस रूप में तैयार की जायें इस पर सरकार विचार कर रही है। विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें समय से पहले तैयार की जानी चाहिये। अनेक परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट अभी भी तैयार करवाने का हमारा विचार है ताकि चौथी योजना में उन्हें आसानी से आरम्भ किया जा सके।

गोआ-होस्पेट इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट मिल चुकी है और बेलडिया-विशाखापत्तनम् के कारखाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जायेगी। सेलम-नेवेली परियोजना की रिपोर्ट तैयार हो रही है और वह भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायगी।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध की कुछ समस्यायें आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की सफलता पर ही सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का विकास निर्भर है। इसलिए शीघ्र और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये हमें उनके सामने स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करने होंगे। सरकार और संसद् के स्तर पर, हमारे सामने सरकारी उद्योगों और उनके कार्यक्रमों के विषय में स्पष्ट और संगठित सिद्धान्त होने चाहियें।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सरकारी उद्योग सरकार को अच्छा मुनाफा दें और साथ ही भविष्य में अपने विस्तार के लिये धन भी रक्षित रखें। मैं इस से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अभी हाल में लोक लेखा समिति की एक सिफारिश से जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के मुनाफे पर उच्चतम सीमा लागू करने का सुझाव रखा गया है, कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ है। मैं समझता हूं कि यह उल्लेख उन उद्योगों के सम्बन्ध में नहीं है जो विभिन्न मशीनें और साज सामान तैयार करती हैं क्योंकि ये मशीनें और साज सामान गैरसरकारी क्षेत्र में ही इस्तेमाल किये जायगे जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में मुनाफों पर कोई सीमा नहीं है। मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति का यह आशय नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्र पर ही ये निर्बन्धन लगाये जाय। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाय कार्य कुशलता से काम करें और उस आधार पर अधिकाधिक मुनाफा कमाए।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध को पुनर्गठित करने के लिए, ताकि कारखानों के प्रबन्धकों को अधिक अधिकार मिलें और निर्बन्धनों से छुटकारा मिले मैंने जो कदम उठाये हैं वे मैंने सभा को

[श्री मुथिया]

समय समय पर बताये हैं। अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिसाब किताब और लेखा परीक्षा के मामले में सरकारी ढांचे के मुताबिक ही काम करते हैं। मजदूरों सम्बन्धी उनकी नीति भी सरकारी परम्पराओं पर ही आधारित है। ये पद्धतियां आज उद्योग के लिये उपयुक्त नहीं हैं और उनमें परिवर्तन करना होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन किया जाये। दुर्गापुर इस्पात कारखाने और सिंदरी उर्वरक कारखाने के प्रबन्ध में मैंने सितम्बर, १९६३ में कुछ परिवर्तन किये थे। दुर्गापुर में इस परिवर्तन का अच्छा परिणाम हुआ है और आज वहां उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ रही है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सामने एक और कठिनाई यह है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक समवाय अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा करता है। मैंने कई बार यह बातें सुनी हैं कि अमुक अमुक निर्णय इस भय के कारण नहीं किये जा सके कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक उस पर टीका टिप्पणी करेगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक स्वत: लेखा परीक्षा की प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक समझते हैं। सितम्बर, १९६३ में मैंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक से यह अनुरोध किया था कि वे दुर्गापुर इस्पात कारखाने में लेखा परीक्षक न रख और वहां की लेखा परीक्षा का काम चार्टर्ड लेखा परीक्षकों के हाथ में ही रहने दे लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। लेखा परीक्षक प्रबन्ध की छोटी छोटी बातों के बारे में प्रश्न उठाते है, न कि समूचे आंकड़ों के बारे में जिससे अधिकारियों का बहुत सा समय उनका उत्तर देने में लग जाता है। इससे उत्तरदायित्व टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए सभा को यह निश्चय करना होगा कि दैनंदिन प्रशासन पर विस्तृत नियन्त्रण रखा जाये या छ महीने में या साल भर में सफलता-असफलता की जांच की जाये। आखिरी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उत्पादन में कहा तक कार्यकुशलता है और कहां तक मुनाफा कमाया गया है। इसलिये हमें अधिक वाणिज्यिक तरीकों को अपनाना होगा।

इस सम्बन्ध में मैं हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अनुमानों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। श्री नाथ पाई ने बताया कि लागत १२५·९५ करोड़ रुपये से १९६३–६४ में २०६·५ करोड़ रुपये हो गयी। यह वृद्धि काफी मालूम होती है लेकिन यदि हम प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को देखें तो हमें मालूम होगा कि ६४ करोड़ रुपये की वृद्धि इस कारण है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में जो मदें शामिल नहीं थीं वे भी शामिल की गयी हैं। इन मदों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल न करना सलाहकारों की गलती हो सकती है लेकिन यह कहना कि लागत १२५·९५ करोड़ रुपये से २०६.५ करोड़ रुपये बढ़ गयी है, कुछ भ्रामक है।

इस पहलू के ओर भी मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि हमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए अच्छे प्रबन्धक चाहिये हों तो उनकी सेवा की शर्तें आकर्षक बनायी जानी चाहियें। हम उन प्रबन्धकों को न केवल अच्छा वेतन बल्कि ऊंचा सम्मान और अच्छी हैसियत भी देनी होगी। सरकारी क्षेत्रों की कर्मचारियों संबंधी नीति औद्योगिक प्रथाओं के अनुकूल होनी चाहिये। प्रबन्धकों को इस आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिये कि काम में गलती होने पर उन्हें निकाला जा सके। योग्यता और काम के आधार पर ही पदोन्नतियां होनी चाहियें।

हमें औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ करने चाहियें। अभी तक यह कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम से और अनुसंधान संस्थाओं से अलग था। हमें ऊंची औद्योगिक संस्थाओं,

विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और इस क्षेत्र के अनुसन्धान कार्यों में तालमेल पैदा करना चाहिये । हमें अपने औद्योगिक प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिए काफी बड़ा कार्यक्रम बनाना चाहिये । अनुसन्धान और विकास के सम्बंध में भी काफी बड़ा कार्यक्रम होना चाहिये । अनुसंधान के क्षेत्र में, नैशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी और नैशनल फ्यूएल रिसर्च इंस्टियूट ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अनुसंधान के लिए अधिक धन प्राप्त करने और अधिक संस्थाएं कायम करने की आवश्यकता है । हमारी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं और औद्योगिक एककों में अधिक समन्वय स्थापित करना होगा ।

मैंने वर्तमान पदाभार संभालने के बाद प्रबन्धकों से सबसे पहली बात यही कही थी कि सरकारी क्षेत्र की हमारी औद्योगिक परियोजनाएं आदर्श मालिक की तरह होनी चाहिये और उनमें मजदूरों के साथ संबंध भी आदर्श के तौर पर होना चाहिये । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे औद्योगिक प्रबन्धकों ने कठोर नौकरशाही प्रवृत्तियों के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है और अधिक अच्छा वातावरण निर्माण करने का यथासंभव प्रयत्न किया है । मैं माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस विचार से सहमत हूं कि उनके प्रति मानवीय और सुसंस्कृत दृष्टिकोण होना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : मैं ने ये शब्द नहीं कहे थे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दोनों ओर से अच्छा व्यवहार होना चाहिये । प्रबन्धकों को मारना या धमकाना क्या श्रमिकों के लिए अच्छी बात है? श्रमिकों के साथ हमारी सहानुभूति है परन्तु हमें यह भी देखना है कि उनका आचरण अच्छा हो । मैं मानता हूं कि दोष दोनों पक्षों का है । दोनों में मनमुटाव होने का मूलभूत कारण राजनैतिक दलों पर आधारित श्रमिक संघों को चलाना था। एक ही व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है और अखिल भारतीय ट्रेडयूनियन कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी है । एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । इसी तरह सोशलिस्ट पार्टी के तत्त्वावधान में एच० एम० एस० है और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में है । अब दक्षिण में डी० एम० के० भी कोई न कोई यूनियन अपने प्रभाव में रखेगी। श्रमिक संघ अब राजनैतिक दलों की शक्ति और मर्यादा के प्रतीक बनते जा रहे हैं । जब दल के अन्दर विभाजन होता है तो संघ में भी हो जाता है । इसलिये यदि हमने प्रगति करनी है तो श्रमिक संघों के राजनैतिक सम्पर्कों को समाप्त करना होगा ।

जब कोई दल सरकार को नीचा दिखाना चाहता है तो वह विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के उत्पादन में रोड़े अटकाता है ताकि लोग समझें कि हम असफल हो गये हैं । कहने को चाहे वे कहें कि वे सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रुचि रखते हैं परन्तु दिल से उनकी सफलता नहीं चाहते क्योंकि उससे कांग्रस का गौरव बढ़ता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह निराधार है । वह यह नहीं कह सकते कि सभी राजनैतिक दलों को सरकारी क्षेत्र की सफलता अभीष्ट नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खुशी है कि राजनैतिक विरोध के बावजूद माननीय सदस्य कांग्रेस की सहायता.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकारी क्षेत्र कांग्रेस की सम्पत्ति नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और है । श्रमिक संघों की संख्या बहुत अधिक है और उच्चतर स्तर पर आचार संहिता होने के बावजूद संघर्ष चलता रहता है । इसका कारण हमारी वर्तमान श्रमिक नीति ही है जिसके लिये दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं । उस नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्रमिक संघ बना सकता है जो राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हो सकता है । साधारण व्यक्ति की दशा सुधारने के लिये उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उत्पादन बढ़ाना जरूरी है और इसके लिये ऐसी श्रमिक नीति की आवश्यकता है जो श्रमिक संघों में राजनैतिक प्रभावों तथा विवादों को समाप्त कर दे । वह नीति ऐसी न हो जो झगड़ों को बढ़ाये और भ्रान्ति पैदा करे ।

प्रश्न किसी एक राजनैतिक दल का नहीं । प्रश्न है राष्ट्रीय हित का, राष्ट्रीय नीति का, ऐसे देश के निर्माण का जहां लाखों लोगों को नये अवसर मिलें, नया जीवन मिले । यह तभी हो सकता है जब हमारा औद्योगिक कार्यक्रम सफल हो और उसके लिये जरूरत है श्रमिकों और प्रबन्धकों के पूर्ण सहयोग की । इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बैठ कर सोच-विचार करें । यदि कोई माननीय सदस्य कोई दूसरा सुझाव देने को तैयार है....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में हम श्रमिक नीति बनाने को तैयार हैं । हमें पता लगाना चाहिये कि यह गड़बड़ क्यों होती है, कौन कराता है । रूरकेला का मामला बड़ा गंभीर है.....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समूची राष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख कर रहा हूं । मुझे विश्वास है कि जब तक इस समस्या का हल नहीं खोजा जाता, परियोजनाओं में करोड़ों रुपया लगाने से पूरा लाभ नहीं हो पायेगा । मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी बातों पर विचार करेगी और ऐसे निर्णय करेगी जिनसे उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसी से समाज का उत्थान होगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७९	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय . .	३७,७४,०००
८०	भूतत्वीय सर्वेक्षण	३,२४,८४,०००
८१	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३५,१३,४०,०००
१३६	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१,२६,३७,९२,०००

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

वर्ष १९६४-६५ के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१५	आदिमजाति क्षेत्र	१४,५४,०१,०००
१६	वैदेशिक-कार्य .	१६,९९,९१,०००
१७	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	१७,२२,०००
१८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	७,१६,०६,०००
११५	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	१,५१,२५,०००

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अपने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज संसार दो विरोधी गुटों में विभक्त नहीं है और इसका क्षत्र इंग्लैंड, अमरीका तथा रूस की कूटनीतिज्ञता को जाता है । आज विश्व मानता है कि किसी विश्व व्यवस्था के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं है ।

इतना अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण होते हुये भी पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है । कई बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन हुआ है । साम्प्रदायिक दंगों के कारण कई लाख हिन्दू, ईसाई और बौद्ध पूर्वी पाकिस्तान से हमारे यहां आ गए हैं और आ रहे हैं । यहां उसकी प्रतिक्रिया हो मैं उसकी निन्दा करता हूं हालांकि वह स्वभाविक ही है । मैं आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन से अल्प-संख्यकों के लिए सुरक्षा का वातावरण पैदा हो सकेगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

काश्मीर के बारे में बातचीत टूट चुकी है । हम सब जानते हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इतिहास, परम्परा तथा संस्कृति इसके साक्षी हैं तथा इस पर वहां के महाराजा और विधान सभा की मुहर लग चुकी है । फिर भी आवश्यक है कि वहां के लोगों के दिल को जीता जाए और दिल जीतने का काम वहां लोगों पर एक बदनाम तथा भ्रष्ट सरकार थोप कर नहीं हो सकता । साथ ही अनुच्छेद ३७० का निराकरण होना चाहिये ।

गोआ, नेफा और नागालैंड गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन होने चाहियें, न कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के क्योंकि वे भारत के अभिन्न अंग हैं । यदि ठीक दिशा में कदम न उठाया गया तो आसाम भी दूसरा काश्मीर हो जाएगा । काश्मीर में हमने यह ठीक कदम उठाया है कि सदरे-रियासत राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री कहलायेगा जैसा कि अन्य राज्यों में होता है । शेख अब्दुल्ला को छोड़ देना भी ठीक है ।

काश्मीर के प्रति हमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । संकीर्ण नहीं । सभी देशभक्त शक्तियों को मिला कर वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए । पाकिस्तान जनमत की

[श्री प्र० के देव]

बात कहे तो हास्यास्पद लगता है क्योंकि वहां की नैशनल असेम्बली में तो लोकतंत्र के नाम तक को सहन नहीं किया जाता । यदि जनमत हुआ भी तो वह भारत के पक्ष में होगा । हिल्ची तथा तावत के छोटे छोटे गांव १९४९ में इसका प्रमाण दे चुके हैं ।

सुरक्षा परिषद में रूस के वीटो पर निर्भर करना गलत है । सुरक्षा परिषद में जाना ही काफी नहीं है । श्री चागला को चाहिये कि अन्य देशों में जा कर अपना पक्ष वहां की सरकारों के सामने रखें ।

पाकिस्तान द्वारा आक्रमण की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इससे वह राजनयिक सौहार्द खो बैठेगा, उसकी सैन्य व्यवस्था अमरीका से जुड़ी हुई है तथा चीनी साम्राज्यवाद को रोकने के लिये सारा संसार भारत पर निर्भर करता है । यह दुःख की बात है कि इस देश से घृणा के कारण पाकिस्तान चीन से जा मिला है ।

चीन ने १९६३ के बाद से अपनी सेना में बड़ी वृद्धि कर ली है और हमारी सीमा पर पैर जमा लिये हैं । १४ नवम्बर, १९६२ की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है । हम केवल कोलम्बो प्रस्तावों के सहारे चले जा रहे हैं ।

देश के अन्दर कम्यूनिस्ट पार्टी में ऐसे लोग हैं जो देश-विरोधी काम कर रहे हैं और चीन को सहायता देते हैं ।

आर्थिक तथा सैनिक सहायता के लिये हम पश्चिमी देशों के आभारी हैं परन्तु शस्त्रों से अधिक मित्रता की आवश्यकता है । चीन तो नये मित्र बना रहा है और हम पुराने मित्रों से भी हाथ धो रहे हैं । बर्मा, लंका और नेपाल के साथ हमारा निर्यात व्यापार पहले से कम हो गया है ।

मलयेशिया का हमने दिल से समर्थन नहीं किया है यद्यपि टंकू अब्दुल रहमान ने चीनी आक्रमण के समय भारत का पूरा समर्थन किया था । अफ्रीका में क्रान्ति आ रही है । जंजीबार में सरकार उलट दी गई है । वहां भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । पूर्वी अफ्रीका में भारतीय लोग सुरक्षित नहीं हैं परन्तु सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है । नये स्वतंत्र होने वाले देशों के साथ, जैसे कि मौरीटेनिया, चाड, निगर, डाहोमी, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, कांगो आदि, राजनयिक संबंध स्थापित होने चाहियें ।

हमारे वैदेशिक प्रचार को सुव्यवस्थित करने की बड़ी आवश्यकता है । बाहर के देशों में हमें समाचार बुलेटिन छापने चाहियें और पैसे की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नाइजीरिया में मैंने देखा कि पैसे की कमी के कारण प्रधान मंत्री द्वारा नाइजीरिया के प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र की पर्याप्त प्रतियां नहीं मिल पाई थीं ।

हमारे कुछ सामन्तशाही राजदूत बाहर जनता से मेल-मिलाप नहीं बढ़ाते । सरकार को चाहिये कि भारत का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए संसद-सदस्यों, कलाकारों, किसानों आदि के शिष्टमंडल बाहर भेज कर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें ।

रूस तथा चीन के बीच राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हितों का विवाद है क्योंकि दोनों अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के आन्दोलन पर छा जाना चाहते हैं । हमें चाहिये कि तटस्थता की बातें छोड़ कर सभी शक्तियों को पिंडी–पीकिंग समझौते के विरुद्ध करें । हम ने फारमोसा को छोड़ कर

पीकिंग को तो राजनयिक मान्यता दे दी परन्तु इजराइल को मान्यता नहीं दी। शायद इस डर से कि नासिर रुष्ट न हो जायें। इससे देश की मर्यादा पर आंच आती है और मित्र शत्रु बन जाते हैं।

उपनिवेशवाद के बारे में मेरा निवेदन है कि अंगोला तथा मोजम्बीक में पुर्तगाली उपनिवेशवाद की तो हमने निन्दा की परन्तु तिब्बत में चीनी उपनिवेशवाद को स्वीकार कर लिया है। लुमुम्बा के बध पर हमने खेद प्रकट किया परन्तु इमरे नागी के मारे जाने पर एक शब्द नहीं कहा। नेपाल में महाराजा महेन्द्र के प्रत्यक्ष शासन का विरोध किया परन्तु एशिया और अफ्रीका में जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया और राष्ट्रपति अपने ही पिट्ठुओं द्वारा जीवन भर के लिए चुन लिये गये तो हम चुप रहे।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य-लाभ के लिये प्रार्थना करता हूं परन्तु मेरा यह भी निवेदन है कि वह उपप्रधान मंत्री की नियुक्ति करें क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अत्यावश्यक है।

Dr. Govind Das (Jabalpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have been a staunch supporter of our foreign policy because it is in conformity with our cultural traditions and is wedded with universal peace and goodwill.

We were taken aback by the Chinese aggression because it was unexpected and came from a friend who has always been professing our principles of Panch sheel. It was a time wnen, but for our Prime Minister, we would have joined some bloc. We adhered to our policy. Initially, it was not understood by either America or the Soviet Union but now both of them appreciate it.

Speaking on the Demands for Grants of Defence, Dr. Lohia claimed, on one hand, that our foreign policy is totally unrealistic and everything boils down to the U.N. A little later, in the same speech, he goes on to assert that those people are wrong who say that we should depend only on one block or the other. In his own words : "I would like to say emphatically that our war policy and foreign policy should be flexible enough to allow us to take help, in the hour of need form wherever it is available. We should not link up our mind with any one bloc." I am at a loss to understand how the same person can say such contradictory things in one breath. I think there is some screw loose in his mind. He is an ardent spporter of Hindi and yet he says, "Let Hindi go to hell."

Shri Tyagi (Dehra Dun): So that people can speak Hindi there also.

Dr. Govind Das : Shrimati Bandaranaike is reported to have said in Colombo that the purpose of the second summit of non-aligned countries was to reiterate their faith in those principles which had brought together the non-aligned nations in 1961. Many countries have become independent after 1961 and adopted the policy of non-alignment. I feel that we can all agree to such things as our Five Year Plans, country's reconstruction and our foreign policy.

Shri Nath Pai (Rajapur) : On a point of order, Sir. This hon. Member has first said that there is some screw loose in the mind of Dr. Lohia. This is against Parliamentary decorum and I request you to direct the hon. Member to withdraw these words.

Dr. Govind Das : Sir, if you think the words are unparliamentary, I am prepared to withdraw them. But whatever knowledge of the language I have, these words are not at all unparliamentary.

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय चाहे न हो परन्तु उचित नहीं है । माननीय सदस्य इन्हें वापिस ले लें ।

Dr. Govind Das : I bow to your order and withdraw these words.

Coming to the Chinese danger, I am not so much worried about any external threat as about certain things happening inside the country as, for example the statement of Shri Basavapunnaiah a leftist member of the Communist Party, who has clearly defined his groups' loyalty to the Chinese Communist Party and opposition to the Soviet Communist Party.

When there is danger to our national life, it is beyond imagination that anybody should favour China and publish in papers whatever he likes. How much liberal will be our policy ? China has illegally occupied a part of our land, and still some persons side with them. This is intolerable. Even in democracy there should be some limit of freedom and liberalism.

It is heartening to note that Home Miniters of India and Pakistan are meeting. But disputes can be settled on some principle. We do not want to fight. Regarding Kashmir, we can have a settlement with Pakistan on the basis of Kashmir being an indivisible part of India. It is unfortunate that communal disturbances took place in both the countries. Kashmir problem should not be connected with that.

I admit that our external publicity is weak and we should ask our ambassadors to vigorously undertake publicity in foreign languages there. we have to make a comprehensive scheme for the purpose, and that scheme should he implemented and more money provided for that. We cannot escape spending huge money on security arrangements and external publicity. But our embassies are not doing as much work as they should do.

Our foreign policy is sound and beneficial for the whole world. I suport it.

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : यदि बाहरी जनमत हमारे देश के जनमत के विपरीत है, और देश का जनमत राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है, तो वे उपेक्षणीय हैं । जनमत चीन और पाकिस्तान को हमारे क्षेत्र से निकालने और उनके साथ ऐसी बातचीत न करने के लिये है, जो कि हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है । पाकिस्तान और चीन द्वारा हमारा क्षेत्र छोड़ने पर ही उनके साथ हमारी मैत्री संभव हो सकती है । हमें पड़ोसी देशों के जनमत की परवा नहीं करनी चाहिये क्यों कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई महत्व नहीं है ।

जब तक निरस्त्रीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता, रूस और अमरीका का प्रभुत्व बना रहेगा । निरस्त्रीकरण से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थित ठीक हो सकती है ।

हमें अकसाई चिन क्षेत्र पर से अपना दावा नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि उसका सामरिक महत्व है । यदि रूसी दल वहां चले गये तो चीन और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे और सिक्यांग पर तुर्किस्तान का दबाव बढ़ जायेगा । और सेक्यांग का भविष्य निर्णायक होगा ।

जब तक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र वाले राज्य होंगे, मित्र और शत्रु रहेंगे ।

भारत के साथ लड़ कर पाकिस्तान ने रूस को अप्रसन्न और इंगलैंड तथा अमरीका को प्रसन्न कर लिया है । चीन ने भारत से युद्ध करके रूस तथा अमरीका को अप्रसन्न एवं पाकिस्तान तथा इंगलैंड को प्रसन्न कर लिया है । रूस और अमरीका के निकट आने के कारण चीन और पाकिस्तान की अस्थायी मैत्री हुई है । अतः पश्चिमी यूरोप में रूस और अमरीका को उलटने का विचार बना है और सैनिक गठबंधन हुआ है । ऐसी स्थिति में रूस और अमरीका के साथ उनका संघर्ष रहेगा । चीन और पश्चिम यूरोप स्वायत्त शक्ति केन्द्र बन जायेगा । चीन और पाकिस्तान की मैत्री भारत तथा रूस विरोधी है ।

चीन रूस को खदेड़ने और इंगलैंड के अफ्रीकी–एशियाई प्रदेश पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिये प्रयत्नशील है । भारत और रूस का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है । विश्व सरकार की स्थापना ही शान्ति स्थापित कर सकती है ।

अमरीका रूस समर्थक तथा चीन विरोधी नीति अपनायेगा । विश्व शान्ति की स्थापना तभी हो सकती है जब बड़े राज्य छोटे राज्यों में विभक्त हो जायें । उस अवस्था में ग्रीक नगर राज्यों की स्थापना हो जायेगी ।

रूस और अमरीका न तो स्वयं किसी देश पर आक्रमण करेंग और न दूसरे देशों को ऐसा करने देंगे । मिस्र से फ्रांस आदि को हटना पड़ा था । क्यूबा में रूस पीछे हटा और हंगरी में अमरीका ने हस्तक्षेप नहीं किया । रूसी–अमरीकी प्रभुत्व एक प्रकार की विश्व सरकार है । जब अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र का औद्योगीकरण हो जायेगा तो इस विश्व सरकार का क्षेत्र व्यापक हो जायेगा । ये दोनों क्षेत्रों में संसार को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं । चीन निरस्त्रीकरण नहीं करेगा, अतः इसका विघटन करने की जरूरत है । हमें अमरीका और रूस के साथ विरोध नहीं बढ़ाना चाहिये । प्रशान्त सागर के लिये चीन, अमरीका और रूस में झगड़ा है । सातवां अमरीकी बेड़ा चीनी समुद्र में गश्त लगा रहा है । अमरीका ने फारमोसा में प्रक्षेपणास्त्र अड्डा बना रखा है । अतः भारत और चीन के बीच यदि बातचीत हो तो वाशिंगटन या मास्को में होनी चाहिये । उसमें रूस और अमरीका के प्रधानों को आमंत्रित किया जाये । अपने प्रश्नों को अकेले हल करने का प्रयत्न न किया जाये । दूसरे महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों की कोई समस्या हल नहीं की गई । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य प्रश्न शान्ति एवं युद्ध का है । देशों के बीच शताब्दियों के विवाद चल रहे हैं । रूस और अमरीका का एक ही शिविर है । चीन दूसरे शिविर में है । भारत ने रूस और अमरीका के साथ सैनिक गठबंधन किया है और वे हमारी सहायता पर भी आये हैं । एशिया और अफ्रीका के देशों को रूस और अमरीका के साथ मिलना चाहिये । जो नवीन प्रभुत्व बनाना चाहें, हमें उनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । यदि रूस और अमरीका को मुख्य देशों और किमलैंड से निकाल दिया गया, तो अशान्ति फैल जायेगी ।

यदि भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो रूस पूरे पश्चिम पाकिस्तान को हथिया लेगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे ।

चीन के साथ मैत्री करने की जरूरत नहीं । अमरीका और रूस चीन को छः भागों में तोड़ देंगे । यदि भारत पर चीन आक्रमण करेगा तो वह खण्ड खण्ड हो जायेगा । परन्तु माओत्से तुंग इसी के द्वारा साम्यवाद को फैलाने का स्वप्न देखता है । थर्मो न्यूक्लियर युग में सभी सिद्धान्त बेकार हैं ।

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

यह कहना गलत है कि साम्राज्यवाद और जाति-पांति को नष्ट किए बिना निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता। यदि प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र राज्यों के संसार में सभी बुराइयां समाप्त हो जायें तो विश्व सरकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। निरस्त्रीकरण रूस और अमरीका की इच्छा पर निर्भर है।

ऐसा लगता है कि चीन को विभाजित करने के प्रश्न पर अभी कोई समझौता नहीं हो पाया। रूस और अमरीका अच्छे अवसर की तलाश में हैं। रूस और अमरीका में चीन समर्थक तत्व मौजूद हैं, इनको समाप्त किए बिना इस दिशा में कुछ नहीं हो सकता। अन्त में मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि प्रधान मंत्री चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना देश के हित में समझते हैं तो उन्हें मेरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्र० संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	४	श्री प्र० के० देव	. भारतीय विदेशी मिशनों पर वित्तीय नियन्त्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५	श्री प्र० के० देव	. भारत—नेपाल सम्बन्धों को सुधारना	१०० रुपये
१६	६	श्री प्र० के० देव	. सरकारों को मान्यता देने में एकरूपता की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	७	श्री प्र० के० देव	. अफ्रीकी गण तंत्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	८	श्री प्र० के० देव	. इजराइल को मान्यता देने की आवश्यकता	१००.रुपये
१६	९	श्री प्र० के० देव	. वैदेशिक प्रचार को तीव्र करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	१०	श्री प्र० के० देव	. विदेशों में भारतीयों के हितों की रक्षा	१००.रुपये
१६	११	श्री प्र० के० देव	. श्री लंका में भारतीयों की हालत	१०० रुपये
१६	१२	श्री प्र० के० देव	. चीन से सम्बन्ध तोड़ने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्र० संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती राशि
16	13	Shri Prakash Vir Shastri	Lack of proparganda regarding Kashmir in foreign countries	The sum be reduced to Re. 1
16	14	Shri Prakashvir Shastri	Failure of foreign Mission to do propaganda	Tne sum be reduced to Re 1
१५	२०	श्री शिंकरे	. आसाम राइफल्ज़ को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत लाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१७	२१	श्री शिंकरे	. दादरा नगर हवली का विलय करने में असमर्थता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
११५	२२	श्री शिंकरे	. पांडीचेरी का विलय करने में असमर्थता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
११५	२३	श्री शिंकरे	. गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
११५	२४	श्री शिंकरें	. दूतावासो के लिए उपयुक्त लोग चुनने में असमर्थता	१०० रुपया
११५	२५	श्री शिंकरे	. राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार वैदेशिक नीति निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२६	श्री यशपालसिंह	. सरकारी नीतियों के प्रभार को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२७	श्री यशपालसिंह	. विदेशों में दूतावासों के काम	१०० रुपये
१५	३८	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	नागाओं को क्षमा देने का परिणाम	१०० रुपये
१५	३९	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	आदिम जाति क्षेत्रों में निर्माणकार्य	१०० रुपये
१५	४०	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	आदिम जाति क्षेत्रों में सीमासेना निर्माण करना	१०० रुपये
१५	४१	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	आदिम जाति क्षेत्रों में विकास कार्यों की जरूरत	१०० रुपये
१५	४२	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	माइकल स्काट का भारत आगमन	१०० रुपये
१५	४३	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	नेफा प्रशासन की कमियां .	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती की आधार	कटौती का राशि
१६	४४	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१६	४५	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	इजराइल की सहायता स्वीकार करने से इन्कार	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१६	४६	डा० मा० श्री० अणे	भारत विरोधी राष्ट्रों से यथा-योग्य व्यवहार की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	४७	डा० मा० श्री० अणे	श्रीलंका के राज्य विहीनों की समस्या	१०० रुपये
१६	४८	डा० मा० श्री० अणे	अमरीका में भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला	१०० रुपये
१६	४९	डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी	संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में पुनरीक्षण	१०० रुपये
१६	५०	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	सुरक्षा परिषद् में स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५१	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	लेटिन अमरीकी देशों से सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५२	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	विदेशों में प्रभार की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५३	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	विदेशों में संसदीय शिष्ट मण्डल भेजने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५४	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	सद्भावना यात्राओं की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५५	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	नयी दिल्ली पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारियों की अवैध गति-विधियां	१०० रुपये
१६	५६	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	विदेशों के लिए भारतीय शिष्ट-मण्डलों का निर्माण	१०० रुपये
१६	५७	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	विस्थापितों की पूर्वी पाकिस्तान की सम्पत्ति का दावा	१०० रुपये
१६	५८	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	तिब्बत का दर्जा तथा उसकी स्वतंत्रता	१०० रुपये
१६	५९	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी	चीन परक समझौता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्र० संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	६०	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	तटस्थ राष्ट्रों के प्रस्तावित सम्मेलन में भारत का भाग लेना	१०० रुपये
१६	६१	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	भारत—नेपाल सम्बन्ध और आर्थिक एकीकरण	१०० रुपये
१६	६२	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	विदेश प्रचार की कमी	१०० रुपये
१६	६३	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	भारतीयों की विदेशों में दशा	१०० रुपये
१६	६४	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	मोजम्बिक से भारतीयों का आना	१०० रुपये
१७	६५	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	भारत में पुर्तगाली बस्तियों को मिलाना	१०० रुपये
१८	६६	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	गोआ के विलय में देरी	१०० रुपये
११५	६७	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	भारतीय दूतावासों और बाहर जाने वाले शिष्टमंडलों के सदस्य	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
११५	६८	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	भारतीय दूतावासों पर अनियमितव्यय	१०० रुपये
११५	६९	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर न दिया जाना	१०० रुपये
११५	७०	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमा वापिस लिया जाना	१०० रुपये
१५	७१	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	माइकल स्काट का बिना अनुमति नागालैंड जाना	१०० रुपये
१५	७२	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	नागालैंड में सामान्य हालात पैदा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	७३	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	पाकिस्तान सरकार से कुछ नागाओं का सम्पर्क	१०० रुपये
१५	७४	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	नागाओं को सामान्य क्षमा देने में असफलता	१०० रुपये
१५	७५	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	आदिम जाति क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता	
१५	७६	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	आदिम जाति क्षेत्रों में लगाये गये अधिकारियों को प्रशिक्षण की अपेक्षा	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्र० संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	७७	श्री नाथपाई	. वैदेशिक नीति की असफलता	. राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१६	७८	श्री नाथपाई	. चीन और पाक के प्रति नीति की असफलता	१०० रुपये
१६	७९	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. भारत के पाकिस्तान और चीन के विवादों के बारे में प्रचार की कमी	१०० रुपये
१६	८०	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत का भाग	१०० रुपये
१६	८१	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. एशिया अफ्रीका देशों के सम्मेलन में भारत का भाग	१०० रुपये
१६	८२	श्री इन्द्रजीत गुप्त	अफ्रेशियाई देश में प्रचार को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	८३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. भारत के रूप में विदेशों में व्यक्त करना	१०० रुपये
१६	८४	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. विभिन्न देशों में भारतीयों के बारे में जानकारी का अभाव	१०० रुपये
१६	८५	श्री इन्द्रजीत गुप्त	विदेशों में गैर सरकारी मिशन भेजने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	८६	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. विदेशी सेवा निदेशालय की गतिविधियां	१०० रुपये
१६	८७	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की शिकायतें	१०० रुपये
१६	८८	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ठीक करना	१०० रुपये
१६	८९	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. वीयाना में भारतीय दूत की अनुपस्थिति	१०० रुपये
१६	९०	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. जर्मन लोकतंत्र को मान्यता देने की नीति को त्यागना	१०० रुपये
११५	९१	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. पांडीचेरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक प्राधिकार से निकालना	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री का उल्लेख आ जाना बहुत स्वाभाविक सा है। आरम्भ से ही वह मंत्रालय के इंचार्ज रहे हैं। खेद का विषय है कि वह बीमार हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। आज मंत्रालय ही नहीं सारे देश को उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। संसार के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बड़ी विकट अवस्था में हैं और गत १८ मास की घटनाओं ने संसार के हालात काफी सीमा तक बदल दिये हैं।

चीन ने १९६२ में हमारे देश पर आक्रमण किया। हमें हार हुई, हमने कोलम्बो प्रस्तावों को भी बिना शर्त स्वीकार कर लिया। फिर चीन ने युद्ध विराम करके शीत युद्ध की सी स्थिति पैदा कर दी। चीन के प्रधान मंत्री अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले। कहा तो यह जा रहा था कि चीन अकेला पड़ गया है परन्तु हुआ यह कि हम अकेले पड़ गये हैं। हमने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। एक कनिष्ठ मंत्री को काहिरा भेज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। हमने तटस्थ देशों का सम्मेलन बुलाना चाहा तो चीन ने भी दूसरे बांडुंग सम्मेलन के विचार को पुनः प्रस्तुत कर दिया। हम यह घोषणा कर चुके हैं कि जब तक चीन कोलम्बो प्रस्तावों को बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं करता हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। परन्तु यकर्ता में हमने तुरन्त अपना शिष्ट-मंडल भेज दिया जब कि इस सम्मेलन को बुलाने वालों में चीन भी एक है। मेरा विचार यह है कि हम चीन से इस शीत युद्ध में भी मार खा रहे हैं। चीन के मामले में हमारी नीति अनिश्चित, अस्थिर तथा असफल रही है।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में तीन स्पष्ट बातें सामने आई हैं। प्रथम बात काश्मीर की है। हमने इस सदन में कई बार घोषणा की है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। उसी तरह अंग है जिस तरह बम्बई और दिल्ली है। परन्तु हमने काश्मीर में से हमला-आवरों को निकालने के लिए कुछ भी न किया। हम केवल काश्मीर के बारे में पाकिस्तान की चालों का केवल सुरक्षा परिषद् में ही उत्तर देते रहे। श्री चागला ने वहां हमारी बहुत अच्छी वकालत की परन्तु वहां सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव से हम बहुत ही कठिनाई से बच पाये। अब फिर सुरक्षा परिषद् की बैठक हो रही है। शेख अब्दुल्ला को रिहा करके हमने एक और बड़ा पग उठाया है। मेरे विचार में शेख अब्दुल्ला को मुक्त करके हमने अच्छा ही किया है। यदि उन्हें जेल में रखते तो पाकिस्तान भी यह प्रचार करता कि हम भारी दमन करके काश्मीर को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। परन्तु यदि आज फिर काश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने 'स्वतन्त्र काश्मीर' का नारा लगाना शुरू कर दिया और काश्मीरियों ने उसका समर्थन किया तो हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ सद्व्यवहार करने का प्रश्न है। इस पर काफी बातें सदन में कही जा चुकी हैं। और दूसरा प्रश्न उन पाकिस्तानियों को देश से निकालने का है जो कि अवैध रूप से देश में घुस आये हैं। हमने इस खतरे की ओर कई बार भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। अच्छा हुआ आसाम सरकार ने गृह-कार्य मंत्री को बुला कर सारी स्थिति को उन्हें दिखा दिया। गृह-कार्य मंत्री के दौरे का आसाम में अच्छा प्रभाव हुआ। अब हमारे गृह-कार्य मंत्री से इसी समस्या पर बातचीत कर रहे हैं। परन्तु अखबारों में छप रही खबरों से तो यही लगता है कि यह गृह मंत्रियों का सम्मेलन असफल रहेगा, यदि मैं इसकी सफलता की कामना कर रहा था। यह है वह चित्र जिसे भारत की विदेश नीति कहते हैं।

[श्री स्वैल]

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि हमारे विदेशी मिशनों की संख्या १२९ है। और यह मिशन विश्व के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। क्या मैं इस संदर्भ में प्रधान मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि एशिया और अफ्रीका में आप ऐसे देश का नाम ले सकते हैं जो आपका सच्चा मित्र है ? एशिया और यूरोप की आप बात मत करिये, वहां हमारी कोई पूछ नहीं। हमारी पूछ तो केवल एशिया में ही हो सकती है। यदि हम संसार में अकेले पड़ गये हैं तो फिर यह १२९ हमारे विदेशी मिशन क्या क्या काम कर रहे हैं तनिक सोचने की बात है। इन मिशनों के विरुद्ध कई प्रकार के आरोप हैं और इन्हें ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा। अभी हाल ही में श्री चागला अमरीका में श्री डीन रस्क से नहीं मिल सके थे, क्योंकि वाशिंगटन में भारतीय दूत नहीं थे और उनके सहायक का भी कुछ पता नहीं था। अभी यह भी खबर छपी है कि रंगून में भारतीय दूतावास पर स्वयं भारतीयों ने ही पथराव किया। मेरा निवेदन है कि इन मिशनों की खराबियों की छानबीन होनी चाहिए और उनका सुधार किया जाना चाहिए।

अब मैं 'नेफा' के प्रश्न पर आता हूं, परन्तु अफसोस है कि समयाभाव के कारण कुछ कह नहीं सकूंगा। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि अब और अधिक देर तक हम इस विदेश नीति को चालू नहीं रख सकेंगे हमें इसका पुनरीक्षण करना ही होगा। लगता है सरकार भी शायद इन्हीं लाइनों पर सोच रही है। हमारी विदेश नीति का आधार कुछ ठोस तथ्य होने चाहिए। हम एक सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हैं और हमें सभी प्रकार से ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि सैनिक और औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ें। यह दुनिया देवतों की नहीं है, हमें अपने पड़ोसियों से बना कर रखनी है। हमें चीन से तब तक कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर लेता। एशिया के राष्ट्रों का सम्मेलन भी हमें बुलाना चाहिए। इससे एशिया की बहुत सी समस्यायें हल होंगी और भारत के भी कुछ प्रश्न हल हो जायेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे पूर्व वक्ता चाहे किसी भी दृष्टिकोण से अपने विचार प्रकट किये हों, परन्तु उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं वे आज की स्थिति में ठीक ही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और देश के हित की दृष्टि से वे ठीक ही हैं। मैं यह नहीं मानता कि हमारी चीन सम्बन्धी नीति अस्थिर, अनिश्चित तथा असफल रही है। हमारे प्रधान मंत्री साफ शब्दों में कहते रहे हैं कि जब तक कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लिए जाते हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। यह कहना गलत है कि हम संसार में अलग थलग हो गये हैं। चीन ने अपनी जान बचाने के लिए ही तो युद्ध विराम किया था।

हमारे प्रधान मंत्री देश की सैनिक और औद्योगिक प्रगति के लिए ही तो काम करते चले आए हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी प्रायः इन्हीं बातों के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। हम अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को अन्तिम सीमा तक बढ़ा रहे हैं। देश का औद्योगीकरण भी कर रहे हैं। । मेरा मत तो यह है कि चीन ने हमें जगा दिया है, और हमें अपने खतरों का अहसास हो गया है। देश के सभी बालक और बालिकायें यह अनुभव कर रही हैं कि हमें हर कीमत पर अपनी एकता और प्रभुसत्ता को बनाये रखना है।

मेरे विचार में हमारी विदेश नीति एक अपरिवर्तनीय सिद्धान्त पर आधारित है। और यह सिद्धान्त गुटों से अलग रहने का है। इससे संसार का बहुत भारी कल्याण हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री की यह अपने देश को नहीं, प्रत्युत समस्त संसार को बहुत बड़ी देन है। और इस नीति ने समय के संकटों का मुकाबला किया है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हू वह यह है कि आज संसार में शक्ति संतुलन के दो गुट नहीं रह गये हैं। जैसा कि रूसी गुट और अमरीकी गुट के नाम से वे कहलाते थे। समय आयेगा कि यह गुट चार हो जायेंगे। आज फ्रांस और चीन में भी नेता बनने की भावना जोर मार रही है। उन हालात में सभी दिशाओं में विकास कर रहे हैं भारत के लिए किसी गुट में शामिल न होने वाली नीति ही सब से श्रेष्ठ समझी जायेगी। समय आयेगा जब कि लोग इस बात को ठीक तरह से महसूस करने लगेंगे।

इसके अतिरिक्त निरशस्त्रीकरण का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बिना संसार में शान्ति नहीं हो सकती। अच्छा है कि जेनेवा में १७ राष्ट्र इकट्ठे हुए और भारतीय शिष्टमंडल ने अपने विचारों को ठीक ढंग से व्यक्त किया। और यह विचार उन सब देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसार में शान्ति चाहते हैं। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि अणु प्रयोगों के बारे में रूस और अमरीका किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे। मेरे विचार में श्री ग्रामिको की योजना में मानव मात्र की शान्ति के लिए गुंजाइश है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात लोक सभा शुक्रवार १० अप्रैल, १९६४/२१ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 10th April 1964 /Chaitra 21, 1886 (Saka)

———

GMGIPND—LS III—545 (Ai)LSD—27-6-64—600